

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

धारा 14- प्रेस के विरुद्ध शिकायतें

दिनांक 1-2/03/2023 को नई दिल्ली में की गई बैठक में जांच समिति-1 द्वारा सुने गए मामले

क्र.सं.	फाइल/मामला संख्या	विषय
1.	2129/2020-ए	श्री अरुण सिद्धू, लुधियाना, पंजाब की दैनिक जागरण, लुधियाना, पंजाब के विरुद्ध शिकायत।
2.	1935/2020-ए	श्री जगदीशचंद्र आर. पटेल, अध्यक्ष, श्रीजी केलवानी मंडल, सूरत, गुजरात की संपादक, दक्षिण गुजरात वर्तमान, साप्ताहिक समाचारपत्र, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत।
3.	104/2020-ए	श्री जगदीशचंद्र आर. पटेल, अध्यक्ष, श्रीजी केलवानी मंडल, सूरत, गुजरात की संपादक, दक्षिण गुजरात वर्तमान, साप्ताहिक समाचारपत्र, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत।
4.	14/256/2019-20	श्री एस पुष्पवनम, सचिव, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु की द हिंदू, चेन्नई के संपादक के विरुद्ध शिकायत।
5.	14/529/2019-20	मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड की संपादक, प्रलाप के विरुद्ध शिकायत।
6.	14/406/2019-20	श्री चितरंजन भास्कर पोल (सेवानिवृत्त आईआरएस) की संपादक, मराठी विश्वास के विरुद्ध शिकायत।
7.	1797/2020-ए	श्री सुरज्य कुमार दास, गुवाहाटी, असम की संपादक, अमर असोम, गुवाहाटी, असम के विरुद्ध शिकायत।
8.	14/18/2019-20	श्री वी. श्रीकुमार की संपादक, केरला कौमुदी-फलैश के विरुद्ध शिकायत।

9.	14/409/2019-20	डॉ. अनुपमा कौशिक की संपादक, राज एक्सप्रेस के विरुद्ध शिकायत।
10-12	623-624&1637/2020-ए	श्री एस. श्रीकुमार श्रीधरन, चटनौर, केरल की संपादकों (i) जन्मभूमि, (ii) मातृभूमि और (iii) केरल कौमुदी, तिरुवनंतपुरम, केरल के विरुद्ध शिकायत।
<u>दिनांक 17-18/04/2023 को मुंबई में की गई बैठक में जांच समिति-II द्वारा सुने गए मामले</u>		
13-14	14/419 & 613/2018-19	श्री अनिल कुमार बाबूराव सोनकामले, औरंगाबाद की संपादक, दिव्य मराठी एवं लोकमत के विरुद्ध शिकायत।
15.	1889/2020-ए	श्री एस.एस.भागवत की लोकमत समाचार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत।
16.	1824/2020-ए	मेसर्स कालिका स्टील अलॉय प्राइवेट लिमिटेड की संपादक, गोकुलनीति, औरंगाबाद रोड, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत।
17.	440/2021-ए	श्री मनोज एस. अग्रवाल की संपादक, आज का आनंद, पुणे के विरुद्ध शिकायत।
18.	470/2021-ए	श्री आर.बी. माने, अधीक्षण अभियंता, एमएसईडीसीएल, वाशी की संपादक, स्पाउट्स के विरुद्ध शिकायत।
19.	70/2021-ए	डॉ. लखन सिंह, निदेशक, आईसीएआर-अटारी की संपादक राष्ट्र सहायत्री, पुणे के विरुद्ध शिकायत।
20.	51/2020-ए	श्री जी. गोडबोले, मुंबई की संपादक, लोकसत्ता के विरुद्ध शिकायत।
21.	1877/2020-ए	श्री सुनील गजानन गोडबोले की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के विरुद्ध शिकायत।
22.	376/2022-ए	श्री सुनील जी. गोडबोले की श्री गिरीश कुबेर, संपादक, लोकसत्ता, मराठी दैनिक, समाचारपत्र, मुंबई के विरुद्ध शिकायत।
23.	229/2022-ए	श्री सुनील जी. गोडबोले की श्री गिरीश कुबेर, संपादक, लोकसत्ता, मराठी दैनिक, समाचारपत्र, मुंबई के विरुद्ध शिकायत।
24-31	44,182,203,417,503,504, 505,1864/2020/एसएम/ए	दिनांक 23.12.2020 को पुधारी (ठाणे संस्करण), राजस्थान पत्रिका (मुंबई संस्करण), प्रवासी संदेश (मुंबई संस्करण), कल्याण (ठाणे

		संस्करण), पुण्य नगरी (ठाणे संस्करण), यशोभूमि (मुंबई) और नवभारत (ठाणे संस्करण) द्वारा आपत्तिजनक समाचारों के प्रकाशन के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान।
32.	478/2022-ए	श्री एच.आर. नाशिरकर, सीईओ, जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती की संपादक, दैनिक जनसंचालन समाचार पत्र, बुलढाणा के विरुद्ध शिकायत।
33.	14/437/2019-20	श्री भाग्य एम.जी., अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, स्कैनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक की संपादक, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई और सुश्री बाला चौहान, वरिष्ठ विशेष संवाददाता, इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई के विरुद्ध शिकायत।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.1

फाइल सं. 2129/2020-ए

शिकायतकर्ता

श्री अरुण सिद्धु,
जिला अध्यक्ष,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी,
लुधियाना, पंजाब।

प्रतिवादी

संपादक,
दैनिक जागरण,
लुधियाना, पंजाब।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 11.12.2020 को श्री अरुण सिद्धु, लुधियाना, पंजाब द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, लुधियाना के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 18.4.2020 में "मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में चले ईट-पत्थर" शीर्षक के तहत कथित झूठी और अपमानजनक खबर प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

आक्षेपित समाचार में दो पक्षों के बीच हुए विवाद का उल्लेख है। आजाद नगर निवासी, श्री रमेश कुमार ने बताया कि श्री अरुण ने उनके मोहल्ले में एक राजनीतिक दल संबंधी कार्यालय बनाया है और वे फाइनेंस का काम भी करते हैं। वह उनकी पत्नी से छेड़छाड़ भी करता था। कई बार समझाने के बाद भी, वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया। इसलिए उनके मोहल्ले के कुछ लोग उसके ऑफिस गए और तब उसने उनसे माफी मांगी। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद 20 लोग उनके घर आये और ईट-पत्थर फेंके, जिससे उनकी पत्नी और बच्चा घायल हो गये। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल को दी। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस

ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने बताया कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। वह भगवान वाल्मिकी जी के नाम पर एक पुस्तकालय चला रहे हैं और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी प्रदान करते हैं। उनके अनुसार, श्री रमेश कुमार विभिन्न अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और उनके कार्यालय के सामने जुआ खेलने की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। जब उन्होंने विरोध किया तो श्री रमेश कुमार ने अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि समाचारपत्र ने श्री रमेश कुमार के कहने पर, उनका (शिकायतकर्ता का) पक्ष लिए बिना, झूठी खबर प्रकाशित की। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि आक्षेपित समाचार और एफआईआर में दर्ज बयान अलग-अलग हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित होने से, उसकी छवि खराब हुई है, जिससे उसका व्यवसाय प्रभावित हुआ है।

संपादक, दैनिक जागरण, लुधियाना को दिनांक 15.2.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद दिनांक 12.4.2021 को एक समयबद्ध अनुस्मारक जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी-संपादक, दैनिक जागरण ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 14.10.2022 के माध्यम से आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया कि यह शिकायत गलतफहमी के कारण दर्ज की गई है और इसकी सामग्री निराधार और गलत है। प्रतिवादी ने आगे बताया कि चूंकि विचाराधीन समाचार में एक घटना के संबंध में सही तथ्य बताए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है। संबंधित पुलिस अधिकारियों से उचित सत्यापन के बाद इसे सद्भावना में प्रकाशित किया

गया था। प्रतिवादी ने बताया कि समाचार की सामग्री न तो अतिरंजित है और न ही इसमें कोई जोड़/परिवर्तन किया गया है। प्रासंगिक रूप से, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में या संपादक को जारी किए गए कथित नोटिस में घटना के तथ्य से इनकार नहीं किया है, इसलिए उसके द्वारा दर्ज की गई शिकायत कष्टप्रद और निराधार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि विषयगत समाचार में रिपोर्ट की गई घटना की एफआईआर दिनांक 21.4.2020 को पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन, लुधियाना में भी दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता के विरुद्ध दर्ज शिकायत के आरोपों को दोहराया गया और इसलिए शिकायतकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि प्रश्नगत आक्षेपित समाचार गलत था। प्रतिवादी ने आगे बताया कि एफआईआर में "तंज कसा" आदि का उल्लेख है। हालाँकि शिकायत में "टच किया" शब्द का उल्लेख है, लेकिन प्रकाशित आक्षेपित समाचार में उल्लिखित तथ्य सत्य हैं। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उनके रिपोर्टर ने घटना की सत्यता की जांच करने के लिए शिकायतकर्ता से संपर्क करने की पूरी कोशिश की, हालाँकि, शिकायतकर्ता की ओर से कोई वर्तन नहीं दिया गया और समाचार रिपोर्ट में भी उक्त तथ्य का उल्लेख किया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायत खारिज किये जाने योग्य है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 25.10.2022 के माध्यम से यह सूचित करते हुए कि उसे दिनांक 22.10.2022 को प्रतिवादी समाचारपत्र, दैनिक जागरण का लिखित वक्तव्य प्राप्त हुआ, विवेचित किया कि प्रतिवादी का उत्तर झूठा है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आक्षेपित समाचार के प्रकाशन के कारण पुलिस को झूठी एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उसने झूठी एफआईआर को लेकर जांच की, तो खबर झूठी पाई गई और उस पर आरोपित, आईपीसी की धारा 452 को हटा दिया गया और उसके बेटे तथा एफआईआर में

नामित अन्य आठ लोगों को भी एफ़आईआर में से हटा दिया गया। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा, उनके विपक्षी दल से पैसे लेकर आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि जब उसने दैनिक जागरण से संपर्क किया, तो उन्होंने 2,000/- रुपये की मांग की और इनकार करने पर प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध खबर प्रकाशित की।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 1.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता श्री अजय कुमार के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे तथा प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व, श्री कपिल यादव, विधिक अधिकारी सहित अधिवक्ता, सुश्री पूनम अत्रे एवं श्री बी.के. मिश्रा कर रहे थे।

यह शिकायत दिनांक 11.12.2020 को श्री अरुण सिद्धु, लुधियाना, पंजाब द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, लुधियाना के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 18.4.2020 में "मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में चले ईंट-पत्थर" शीर्षक के तहत कथित झूठी और अपमानजनक खबर प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

श्री अरुण सिद्धु का मामला यह है कि आपत्तिजनक समाचार श्री राजेश कुमार के कहने पर प्रकाशित किया गया था जो उनके कार्यालय के सामने, विभिन्न अवैध गतिविधियों और जुए में लिप्त रहते थे। जांच समिति ने श्रीमान अरुण सिद्धु की बात सुनी, जिनका कहना था कि दैनिक जागरण को घटना पर उनका वर्तन प्रकाशित करना चाहिए था। दैनिक जागरण द्वारा लिखित वक्तव्य दर्ज किया गया है और उन्होंने बताया कि लेख, दैनिक जागरण को प्राप्त जानकारी और उचित सत्यापन के बाद, सद्भावना में प्रकाशित किया गया है। यह बताया गया है कि उन्होंने श्री अरुण सिद्धु को उनके वर्तन के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा कोई वर्तन नहीं दिया

गया। जांच समिति का मानना है कि यह श्री रमेश कुमार और श्री अरुण सिद्धु के बीच का व्यक्तिगत विवाद है। जहां तक दैनिक जागरण का सवाल है, उसे श्री अरुण सिद्धु का वर्तन प्रकाशित करना चाहिए था, लेकिन दैनिक जागरण का मामला यह है कि श्री अरुण सिद्धु ने अपना वर्तन नहीं दिया। जांच समिति इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती। यदि दैनिक जागरण श्री अरुण सिद्धु का वर्तन प्रकाशित करता है, तो यह न्याय हित में होगा। श्री अरुण सिद्धु ने मामले का हस्तलिखित वर्तन दिया है, जिस पर दैनिक जागरण के परामर्शदाता ने पढ़ा है। श्री कपिल यादव, विधिक अधिकारी, अधिवक्ता सुश्री पूनम अत्रे एवं श्री बी.के.मिश्रा के साथ उनका वर्तन प्रकाशित करने के लिए सहमत हैं। हालाँकि, उन्होंने विवेचित किया कि जहाँ तक स्टेटमेंट, कि श्री रमेश कुमार जुआ खेलते हैं, का संबंध है, उन्होंने इस तथ्य को सत्यापित नहीं किया है और इसलिए वे इसे प्रकाशित करने में संकोच कर रहे हैं। इस संबंध में जांच समिति ने गौर किया है कि यह स्टेटमेंट कि श्री रमेश कुमार जुआ खेलते हैं, दैनिक जागरण द्वारा नहीं कहा गया है। यह महज श्री अरुण सिद्धु का वर्तन है और इस वक्तव्य के लिए दैनिक जागरण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जांच समिति की यह टिप्पणी जाहिर तौर पर, दैनिक जागरण को श्री रमेश कुमार द्वारा उठाई जा रही किसी भी आपत्ति से बचाएगी। इसलिए जांच समिति दैनिक जागरण को एक सप्ताह के भीतर, श्री अरुण सिद्धु का वर्तन प्रकाशित करने का निदेश देती है। श्री अरुण सिद्धु के वर्तन की प्रति को रिकॉर्ड पर लिया गया है और 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है। श्री अरुण सिद्धु ने अपने आरटीआई नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। यह पंजाबी भाषा में है और इसमें बताया गया है कि श्री रमेश कुमार, सुपुत्र श्री ओमप्रकाश के विरुद्ध मामला लंबित है। उस दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और 'बी' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

अतः जांच समिति उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, परिषद से शिकायत को बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त निदेश के साथ मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.2-3

फ़ाइल सं. 104/2020-ए

&

फ़ाइल सं. 1935/2020-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री जगदीशचंद्र आर. पटेल,
अध्यक्ष,
श्रीजी केलवानी मंडल,
वेसु, सूरत, गुजरात।

प्रतिवादी

संपादक,
दक्षिण गुजरात वर्तमान,
साप्ताहिक समाचारपत्र,
वलसाड, गुजरात

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

शिकायतें, दिनांकित 20.02.2020 और 07.04.2020, श्री जगदीशचंद्र आर. पटेल, अध्यक्ष, श्रीजी केलवानी मंडल, वेसु, सूरत (गुजरात) द्वारा संपादक, दक्षिण गुजरात वर्तमान, साप्ताहिक समाचारपत्र, वलसाड (गुजरात) के विरुद्ध कथित तौर पर दर्ज की गई हैं। इसके दिनांक 06.02.2020 और 27.02.2020 के अंकों में “*Rupees 20 lakh scam in the name of training of competitive exam to unemployed tribal by Navsari Project Administrator*” and “*Training institute of Schedule Tribe named Shreeji Kelavani Mandal is in scrutiny by Charity Commissioner office. Chartered Accountant appointed for special scrutiny for grants by the government from 2011 to 2017 for all audits for Shreeji Kelavani Mandal*” (अंग्रेज़ी वर्तन), शीर्षक के अंतर्गत अपमानजनक लेख प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अंग्रेज़ी अनुवाद के अनुसार, दिनांक 06.02.2020 के कथित आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि श्रीजी केलवानी मंडल, बेरोजगार आदिवासियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण

देने के नाम पर एक बड़ा घोटाला चला रहा है। इसके अलावा, समाचार में कहा गया है कि श्रीजी केलवानी मंडल को एक दागी संगठन होने के बाद भी यूपीएससी, गेट, एनआईआईटी और जीपीसी आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नवसारी के परियोजना प्रशासक द्वारा प्रशिक्षण देने का कार्य आदेश दिया गया है। जबकि संगठन में प्रशिक्षित संकायों की कमी है और वर्तमान शिक्षक अशिक्षित हैं। श्रीजी केलवानी मंडल को कार्य आदेश दे दिया गया है और परियोजना के लिए 20 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। चूंकि परियोजना अधिकारी के पास बिना टेंडर के 5 लाख रुपये और उससे कम के कार्य आदेश आवंटित करने की शक्ति है, इसलिए उन्होंने नवसारी जिले के अंतर्गत तीन तालुकाओं के 800 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए 5 लाख रुपये के तहत काम को विभाजित किया है।

दिनांक 27.02.2020 के आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि नवसारी के परियोजना प्रशासक द्वारा अनुसूचित जनजाति जिलों को प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए, बिना निविदा के, अनुदान दिए जाने से संबंधित एक लेख प्रकाशित होने के बाद, गांधीनगर आदिवासी आयुक्त कार्यालय में हंगामा मच गया। परियोजना प्रशासक के दबाव के बाद, श्रीजी केलवानी मंडल ने प्रकाशकों, जिन्होंने इस घोटाले को प्रकाशित किया को मानहानि नोटिस जारी किया और उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी शिकायत की और यह दावा किया कि "वे चोर नहीं हैं"। आगे बताया गया है कि श्रीजी केलवानी मंडल ट्रस्ट ने अनुसूचित जनजातियों को मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए सरकार के साथ एक अनुबंध किया और गुजरात सरकार से अनुदान भी प्राप्त किया। यह भी बताया गया है कि शारीरिक शोषण की घटनाएं सामने आईं और ट्रस्टी, श्री जगदीश पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। आगे यह बताया गया है कि चैरिटी कमिश्नर कोर्ट में, सामाजिक कार्यकर्ता बनाम श्री केलवानी मंडल के मामले में, ट्रस्ट ने विशेष ऑडिट कराने का विरोध किया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध मानहानिकारक लेख प्रकाशित किए हैं। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसने दिनांक 6.2.2020 को प्रतिवादी समाचारपत्र का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी समाचारपत्र का पंजीकरण और लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी संपादक को दिनांक 16.03.2020 और 17.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

लिखित वक्तव्य

दिनांक 06.02.2020 को प्रकाशित आक्षेपित समाचार के संबंध में, प्रतिवादी संपादक, दक्षिण गुजरात वर्तमान ने दिनांक 12.05.2020 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से, आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत समाचार यूपीएससी, गेट, एनआईआईटी, जीपीसी आदि जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शिक्षित करने के लिए सरकारी धन जारी करने से संबंधित है और इसका कार्य आदेश, श्रीजी केलवानी मंडल को दिया गया था, लेकिन श्रीजी केलवानी मंडल कथित तौर पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए महत्वाकांक्षी उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए, कोई उचित प्रशिक्षित शिक्षक/संकाय नियुक्त नहीं किए गए थे, जैसा कि समाचार में बताया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि समाचार, जांचे गए तथ्यों और रिपोर्ट किए गए तथ्यों पर आधारित है और जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गईं प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 05.03.2021 को अपनी प्रति टिप्पणियों में कहा है कि प्रतिवादी कुछ गुंडों के साथ मिला हुआ है और बिना किसी ठोस सबूत

के, उन्हें बदनाम करने की साजिश में शामिल है। संयुक्त निदेशक, एफआरए सेल, आदिवासी विकास आयुक्त और परियोजना प्रशासक कार्यालय, दाहोद द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट दिनांकित 24.11.2020 की एक प्रति प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने प्रथम दृष्टया, कहीं भी उनके संगठन द्वारा पूरे किए गए किसी भी कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि सरकारी अधिकारियों ने पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे दी है, हालांकि समाचारपत्र उनकी शिकायत का सही उत्तर दर्ज करने में विफल रहा।

लिखित वक्तव्य

दिनांक 27.02.2020 को प्रकाशित आक्षेपित समाचार के संबंध में, प्रतिवादी संपादक, दक्षिण गुजरात वर्तमान ने दिनांक 02.04.2020 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि दिनांक 13.11.2019 को श्रीजी केलवानी मंडल को नवसारी जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा कार्य आदेश दिया गया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि इस तरह के प्रशिक्षण के लिए न्यूक्लियस बजट के तहत धन के आवंटन के संबंध में, जिला कलेक्टर और अनुसूचित जनजाति नवसारी के आयुक्त को शिकायत प्राप्त हुई। उसके बाद, उनके अधिकारियों ने इस कार्य आदेश और श्रीजी केलवानी मंडल की छानबीन की। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उक्त संस्थान के सभी सदस्यों के पास शिक्षण में कोई वास्तविक या अल्प अनुभव भी नहीं है, छात्रों की कोचिंग में कौशल और निपुणता तो दूर की बात है। प्रतिवादी ने आगे बताया कि एक विशेष ऑडिट रिपोर्ट में कई अनियमितताएं दिखाई पड़ती हैं और चैरिटी आयुक्त द्वारा ट्रस्ट को 9.7 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस जारी किया गया।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणी

शिकायतकर्ता ने दिनांक 05.03.2021 की प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि उन्होंने यह विवेचित किया है कि विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने उनकी गतिविधियों की जांच की और अब तक उन्हें कहीं भी दोषी नहीं पाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि उनका मानना है कि प्रतिवादी संपादक ने गुंडों से पैसे लिए हैं और वे ट्रस्ट को बदनाम करने की साजिश में शामिल हैं।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 1.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व, उनके संपादक, श्री पी.ए. शाह और उनके अधिवक्ता, श्री आदित्य ने किया।

इन दोनों शिकायतों (फाइल सं. 104/2020-ए/पीसीआई और फाइल सं. 1935/2020-ए/पीसीआई) का निपटारा कॉमन ऑर्डर द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि पक्ष समान हैं और समान मुद्दे हैं। श्रीजी केलवानी मंडल, गुजरात के अध्यक्ष, श्री पटेल की शिकायत है कि दक्षिण गुजरात वर्तमान साप्ताहिक समाचारपत्र ने श्रीजी केलवानी मंडल के बारे में अपमानजनक लेख और समाचार प्रकाशित किए हैं। जांच समिति ने श्री जगदीशचंद्र आर. पटेल (शिकायतकर्ता) और श्री पी.ए. शाह, दक्षिण गुजरात वर्तमान समाचार पत्र के संपादक सहित प्रतिवादी के अधिवक्ता, श्री आदित्य को विस्तार से सुना। इन दोनों ही मामलों में तथ्यों के विवादित सवाल शामिल हैं। ऐसे कुछ आरोप हैं कि श्रीजीकेलवानी मंडल अपने फंड का प्रबंधन ठीक से नहीं कर रहा है, जिसका श्री पटेल ने खंडन किया है। जांच समिति ने पाया कि इस संबंध में कार्यवाही, चैरिटी आयुक्त, अहमदाबाद के न्यायालय में लंबित है। इसलिए, धन के कथित कुप्रबंधन से संबंधित इन सभी आरोपों पर चैरिटी आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, श्री पटेल की शिकायत यह है कि श्रीजी केलवानी मंडल के कर्मचारियों

के संबंध में, दक्षिण गुजरात वर्तमान द्वारा कुछ आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित किए गए थे। यह प्रकाशित किया गया था कि श्रीजी केलवानी मंडल का कर्मचारी एक आदिवासी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था और श्रीजी केलवानी मंडल द्वारा उक्त कृत्य को माफ कर दिया जाता है। दक्षिण गुजरात द्वारा एक ऑडियो पर भरोसा किया गया। जांच समिति द्वारा ऑडियो सुना गया और जांच समिति का मानना है कि ऑडियो से यह साबित नहीं होता है कि श्रीजी केलवानी मंडल का कोई कर्मचारी किसी आदिवासी लड़की के साथ मनमानी कर रहा था।

अतः, जांच समिति ने दक्षिण गुजरात के परामर्शदाता को क्षमा याचना के लिए कहा। तदनुसार, क्षमा याचना की गई है। क्षमा याचना को 'ए' और 'बी' के रूप में चिह्नित किया गया है और यह रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। संपादक और विद्वान परामर्शदाता इस बात पर सहमत हुए हैं कि ये क्षमा याचना दिनांक 09.03.2023 को उसी पृष्ठ पर प्रकाशित की जाएगी, जिस पर आपत्तिजनक लेख प्रकाशित किया गया था।

जांच समिति क्षमा याचना स्वीकार करती है। शिकायतकर्ता, श्री पटेल ने भी माफी स्वीकार कर ली है। इन परिस्थितियों में, शिकायतों को बंद करने की आवश्यकता है। जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि माफी के मद्देनजर, शिकायतें बंद कर दी जाएं।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा मांगी गयी माफी के मद्देनजर, मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.4

फाइल सं. 14/256/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री एस. पुष्पवनम,
सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण परिषद,
तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु।

प्रतिवादी

संपादक,
द हिंदू,
चेन्नई।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 29.7.2019 को श्री एस. पुष्पवनम, सचिव, उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा संपादक, द हिंदू के विरुद्ध निम्नलिखित शीर्षकों के तहत आधारहीन और भ्रामक समाचार लेखों के प्रकाशन का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई है:

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	Muslim man shot at for his name	28.5.2019
2.	A thread of fear and hate	8.6.2019
3.	Muslim youth lynched in West Bengal	1.7.2019

पहले आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि बिहार के बेगूसराय जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति, श्री मोहम्मद कासिम को हमलावर द्वारा उसका नाम पूछे जाने के बाद, कथित तौर पर गोली मार दी गई थी। घटना के बारे में बोलते हुए घायल, श्री कासिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। समाचार में एक पीड़ित के हवाले से कहा गया है कि "मुझे राजीव यादव ने रोका और मेरा नाम पूछा... जब मैंने उसे नाम बताया, तो उसने मुझ पर यह कहते

हुए गोली चला दी कि 'तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पाकिस्तान जाना चाहिए' (हिंदी वर्तन) और जब उसने श्री राजीव यादव को देखा, जो उस समय नशे में थे और अपनी पिस्तौल लोड करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने उन्हें धक्का दिया और भागने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्री कासिम द्वारा दर्ज करायी गयी एफ़आईआर पर छापेमारी की गई।

दूसरे आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि श्री कासिम घर-घर जाकर डिटर्जेंट बेचते थे। उन्होंने अपनी मोटर साइकिल एक दुकान के बाहर खड़ी की थी, तभी अचानक एक आदमी (बाद में पहचान राजीव यादव के रूप में हुई) ने उन्हें बाइक बंद करने के लिए कहा। उस आदमी ने उसका नाम पूछा और उसने कासिम को पाकिस्तान जाने के लिए कहा। एक ही क्षण में, उसने अपनी कंट्री रिवाल्वर निकाली और कासिम को गोली मार दी। श्री कासिम श्री राजीव यादव से परिचित नहीं थे और उन्होंने पुलिस को बताया कि मुस्लिम होने के कारण उन पर गोली चलाई गई थी, लेकिन एस.पी., बेगुसराय ने श्री कासिम के दावे के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की।

तीसरे आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि एक मुस्लिम युवक को पांच या छह व्यक्तियों ने पीटा। भाजपा के मुख्य सचेतक और बैष्णबनगर विधायक, श्री स्वाधीन सरकार ने कहा कि मृतक पर मोटरसाइकिल चोरी करने का संदेह था और स्थानीय लोगों ने उसे बाजार क्षेत्र में पकड़ लिया। स्थानीय युवकों ने पिटाई शुरू कर दी और दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को कोई हिंदू-मुस्लिम एंगल नहीं दिया जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी समाचारपत्र मुस्लिम समुदाय को भड़काना चाहता है और अगर किसी प्रकार का प्रतिशोध लिया जाता है तो उसे खुशी होगी। दूसरे शब्दों में, वह सांप्रदायिक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि ऐसे मामलों में, प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार समुदाय के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे

विवेचित किया कि प्रतिवादी ने इस तथ्य को प्रकाशित नहीं किया कि श्री राजीव यादव एक कट्टर अपराधी था और जब घटना हुई तो वह नशे में था और उसकी हरकत मौखिक द्वंद्व की परिणति थी। प्रतिवादी समाचारपत्र ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि जिस व्यक्ति ने श्री कासिम को अस्पताल भेजा था, वह हिंदू था और गोली लगने के बाद, उनकी मदद करने वाले लोगों में कुछ हिंदू भी थे। इसके अलावा, समाचारपत्र ने समाचार के बीच में एक रिवाल्वर की तस्वीर प्रकाशित करके, हिंसा का महिमामंडन किया है, जिससे पता चलता है कि देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने परिषद से इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है।

परिषद ने दिनांक 24.9.2019 को प्रतिवादी संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

श्री सुरेश नामबाथ, संपादक, द हिंदू ने दिनांक 1.10.2019 के लिखित वक्तव्य में प्रस्तुत किया है कि समाचार, सद्भावना और सत्य को जानने हेतु प्रकाशित किए गए थे और वे विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र की गई विश्वसनीय जानकारी पर आधारित थे। उन्होंने आगे कहा कि समाचार और लेख के बारे में शिकायतकर्ता की व्याख्या गलत और अत्यधिक कल्पनाशील है। आरोपी के स्थानीय अपराधी होने और उसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने के संबंध में अन्य सभी विवरण बाद के लेख में स्पष्ट रूप से उल्लिखित थे। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि आरोपी के खिलाफ दर्ज की जा रही एफआईआर प्रकाशित की गई थी और पुलिस अधीक्षक का बयान भी समाचार में उद्धृत किया गया था। द हिंदू अपने पाठकों को उसकी गिरफ्तारी के बारे में तभी सूचित कर सकता है, जब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया हो और यह तथ्य अंततः लेख में प्रकाशित किया गया। जहां तक अखबार समाचारपत्र में प्रकाशित आरोपी के धर्म का संबंध है, प्रतिवादी ने कहा कि समाचार में पीड़ित के धर्म का उल्लेख

केवल इस कारण से किया गया था कि एफआईआर में पीड़ित का बयान इस प्रकार है: "मुझे एक मुस्लिम होने के नाते गोली मार दी गई थी" बयान "द हिंदू" द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि स्पष्ट रूप से पीड़ित का था और 'हिंदू' ने कभी भी सांप्रदायिक और/या धार्मिक विवादों/संघर्षों को भड़काने के लिए प्रोत्साहित/या उसका इरादा नहीं किया है, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 19.11.2019 को अपनी प्रति टिप्पणियों में प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी द्वारा दिया गया उत्तर, उठाए गए मुद्दों से परे है और केवल अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने उत्तर देने का एक कमजोर प्रयास किया है। उनका मानना है कि चूंकि उन्होंने दस दिन बाद प्रकाशित एक पेज के लेख में कुछ तथ्य शामिल कर दिए थे, इसलिए 28 मई की उनकी खबर सही हो गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, कोई तर्कसंगत रूप से यह मान सकता है कि पाठक समाचार और लेख को जोड़ने में सक्षम होंगे, यदि उन्हें समाचार याद है। लेकिन प्रतिवादी द्वारा कोई भी संदर्भ नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचार के केंद्र में दर्शायी गई रिवाल्वर की तस्वीर के पक्ष में कुछ नहीं कहा है, जो एक भयानक संदेश देता है। हिंदू रीडर संपादक द्वारा दिनांक 23.9.2019 के एक अन्य लेख की एक प्रति प्रदान करते हुए, शिकायतकर्ता ने बताया कि न केवल उन्होंने, बल्कि कई अन्य लोगों ने भी अपने समाचारों के माध्यम से सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के द हिंदू के प्रयासों के खिलाफ शिकायत की है और उन्होंने उनके पत्रकारिता के तरीके के खिलाफ विरोध भी किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 2.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सचिव, श्री एस. पुष्पवनम द्वारा संपादक, 'द हिंदू' के खिलाफ दिनांक 29.7.2019 को शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें निम्नलिखित शीर्षकों के तहत आधारहीन और भ्रामक समाचार लेख प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है:

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	Muslim man shot at for his name	28.5.2019
2.	A thread of fear and hate	8.6.2019
3.	Muslim youth lynched in West Bengal	1.7.2019

पहले आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि बिहार के बेगुसराय जिले में एक मुस्लिम, श्री मोहम्मद कासिम को हमलावर द्वारा उसका नाम पूछे जाने के बाद, कथित तौर पर गोली मार दी गई थी। समाचार में आगे बताया गया है कि घायल श्री कासिम का घटना के बारे में बात करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। समाचार में पीड़ित को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि "मुझे राजीव यादव ने रोका और मेरा नाम पूछा...जब मैंने उसे बताया तो उसने मुझ पर गोली चला दी और कहा, 'तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए।' पीड़ित ने वीडियो में आगे बताया कि राजीव यादव नशे में था और जब वह अपनी पिस्तौल में दूसरा कारतूस लोड करने लगा, तो पीड़ित ने उसे धक्का दे दिया और अपनी मोटर साइकिल छोड़कर भाग गया. राजीव यादव ने उसकी पीठ में गोली मार दी। समाचार में आगे बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक ने अपने वक्तव्य में बताया है कि श्री कासिम द्वारा दर्ज करायी गयी एफआईआर के आधार पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहें न फैलाएं और देश के सामाजिक ताने-बाने को खराब न करें।

दूसरे आक्षेपित समाचार में बताया गया कि श्री कासिम घर-घर जाकर डिटर्जेंट पाउडर बेचते थे। यह बताया गया है कि उसने अपनी मोटर साइकिल एक पान की दुकान के बाहर खड़ी की थी। अचानक एक आदमी (जिसे बाद में राजीव यादव के रूप में पहचाना गया) ने उसे बाइक बंद करने के लिए कहा। उस आदमी ने उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम कासिम बताया. राजीव यादव ने उनसे पाकिस्तान जाने को कहा। एक क्षण में, उसने अपनी कंट्री रिवाल्वर निकाली और कासिम पर गोली चला दी। आगे बताया गया है कि श्री कासिम, श्री राजीव यादव से परिचित नहीं थे और उन्होंने पुलिस को बताया कि मुस्लिम होने के कारण उन पर गोली चलाई गई थी, लेकिन एस.पी.बेगूसराय ने श्री कासिम के दावे के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की।

दिनांक 01.07.2019 को प्रकाशित तीसरे आक्षेपित समाचार में यह बताया गया कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक मुस्लिम युवक, जिसे उसके कुछ परिचितों ने पीटा था, की चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। बाद में, श्री सनाउल्लाह शेख, जिनकी उम्र लगभग बीस वर्ष थी, को उनके गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर बैष्णबनगर बाजार में बुलाया गया। उसे बाइक स्टार्ट करने के लिए कहा गया ताकि उसे चोरी करने वाले के रूप में फंसाया जा सके। इसके बाद पांच-छह लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। भाजपा के मुख्य सचेतक और बैष्णबनगर विधायक, श्री स्वाधीन सरकार ने कहा कि मृतक पर मोटरसाइकिल चोरी करने का संदेह था और स्थानीय लोगों ने उसे बाजार क्षेत्र में पकड़ लिया था। स्थानीय युवकों ने पिटाई शुरू कर दी और दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को कोई हिंदू-मुस्लिम एंगल नहीं दिया जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता ने अपने मामले पर ऑनलाइन तर्क दिये। शिकायतकर्ता का मामला है कि प्रतिवादी समाचारपत्र, मुस्लिम समुदाय को भड़काना चाहता है और इसीलिए ऐसी खबरें प्रकाशित की जाती हैं। श्री पुष्पवनम के अनुसार प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी समुदाय के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना

चाहिए। यह प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। आगे यह भी कहा गया है कि श्री राजीव यादव, जिसने घायल हुए कासिम पर गोली चलाई थी, कट्टर अपराधी था। उसके खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं और घटना के वक्त वह नशे में था। श्री पुष्पवनम जो कहना चाहते हैं वह यह है कि इन तथ्यों के बावजूद 'द हिंदू' ने यह धारणा बनाने की कोशिश की है कि श्री कासिम को गोली मारी गई थी, क्योंकि वह मुस्लिम थे। आगे यह भी कहा गया है कि इस समाचार के बाद 8 जून को लेख प्रकाशित किया गया था। श्री पुष्पवनम के अनुसार, 1.7.2019 को द हिंदू ने खबर प्रकाशित की, कि पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इसलिए, 'द हिंदू' सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए लेख प्रकाशित कर रहा है और हिंदुओं को निशाना बना रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में, कासिम को हिंदुओं द्वारा चिकित्सा सहायता दी गई थी, जिसे प्रकाशित नहीं किया गया है।

हमने 'द हिंदू' की ओर से अधिवक्ता, श्री रामानुजय और सुश्री आर. राधा को सुना। आक्षेपित समाचारों और लेखों को पढ़ने पर हमने कहीं यह नहीं पाया कि कहीं भी पत्रकारिता के आचरण के मानकों का कोई उल्लंघन हुआ है या भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन हुआ है। समाचारों से यह स्पष्ट है कि श्री कासिम ने अपने बयान में कहा है कि उनसे उनका नाम पूछा गया था और जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उनसे कहा गया कि उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए और जब वह वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें पीठ में गोली मार दी गई। समाचार, वीडियो रिकॉर्डिंग और एफआईआर से एकत्र किए गए तथ्यों पर आधारित हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि 'द हिंदू' ने तथ्यों की जांच किए बिना या सामग्री एकत्र किए बिना यह खबर प्रकाशित की है। अजीबोगरीब बात यह है कि खबर में समुदाय का नाम बताया गया है। दरअसल, उसी घटना के संबंध में लेख में यह कहा गया है कि श्री राजा राम साहनी नाम के एक हिंदू ने उन्हें पुलिस के पास ले जाने की पेशकश की।

इसके बाद उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। लेख से पता चलता है कि डॉ. अशोक कुमार ने उनका इलाज किया। इसलिए, श्री पुष्पवनम का यह तर्क कि हिंदुओं द्वारा प्रदान की गई सहायता को जानबूझकर समाचारों में नहीं बताया गया था, किसी भी तथ्य से परे है। यह भी कहा गया है कि राजीव यादव नशे में था और स्थानीय अपराधी था। तीसरी खबर भी उस इलाके के लोगों के बयानों पर आधारित है, जहां घटना हुई थी। इन परिस्थितियों में जांच समिति परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.5

फाइल सं. 14/529/2019-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता

मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड (यूसीएल),
पी.ओ. बिरला विकास, सतना,
मध्य प्रदेश।

प्रतिवादी

संपादक,
प्रलाप खबर एक
नज़र में, साप्ताहिक टैब्लॉयड,
सतना, मध्य प्रदेश

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 21.12.2019 को मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड (यूसीएल), सतना (म.प्र.) द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, संपादक, प्रलाप खबर एक नज़र में (साप्ताहिक), सतना (म.प्र.) के विरुद्ध कथित तौर पर यूसीएल से संबंधित गलत, भ्रामक और पक्षपातपूर्ण समाचार लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। आक्षेपित समाचारों की तारीखें और शीर्षक इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	दिनांक	शीर्षक
1.	23/09/2019	यूसीएल प्रबंधन और नमिता श्रमिकों को बना रहे अपंग
2.	30/09/2019	तानाशाह का अड्डा बना यूसीएल – “कमलनाथ सरकार के निर्देशों का पालन नहीं, उपसंचालक नमिता बनीं कठपुतली”
3.	7/10/2019	यूसीएल कर रहा श्रमिकों का शोषण - कमलनाथ सरकार पर भारी पड़ रहे अधिकारी, नमिता नाम की रह गई उपसंचालक
4.	14/10/2019	घटिया केबिल का निर्माण कर रहा यूसीएल
5.	21/10/2019	यूसीएल की साख पर मैनेजमेंट लगा रहा बट्टा – केबल की होती है ओपन हार्ट सर्जरी

दिनांक 23/09/2019 के समाचार लेख में बताया गया है कि मजदूरों के शोषण का एक उदाहरण, सतना में संचालित यूसीएल कंपनी में देखा जा सकता है। यह कंपनी केबल बनाती है। आगे बताया गया है कि सरकार की ओर से कंपनियों के लिए दिशानिदेश तय किए गए हैं, लेकिन हकीकत में कंपनियां अपने गरीब कर्मचारियों के लिए इनका पालन नहीं करती हैं। परिणामस्वरूप, हर दूसरे दिन, कोई न कोई कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसे शारीरिक चोटें आती हैं। यूसीएल कंपनी में अधिकतर श्रमिक विकलांग हो रहे हैं। तथापि, घायल श्रमिकों को, उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजा और अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसे उसी संस्करण में शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। ऐसा सबसे ज्यादा सतना शहर में देखा जा रहा है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि जब श्रीमती नमिता तिवारी, उप निदेशक, उद्योग सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ने सतना का दौरा किया, तो उच्च अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों की परवाह नहीं की, बल्कि उन लोगों का पक्ष लिया, जो यूसीएल के प्रबंधन की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। यह बताया गया है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रीमती नमिता के सतना प्रवास के दौरान, उनके लिए भोजन और रहने की व्यवस्था की।

दिनांक 30/09/2019 के समाचार में, यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने घोषणा की, कि राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए राज्य के सभी उद्योगों को, स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। लेकिन यूसीएल कंपनी प्रबंधन राज्य सरकार के फैसले को नकार कर, पूरी तरह से सरकार की अवहेलना कर रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि प्रबंधन अपने ही हिसाब से चल रहा है। यह बताया गया है कि यूसीएल कंपनी के कर्मियों को उच्च अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आगे बताया गया है कि श्रीमती नमिता, उप निदेशक, उद्योग सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को

आने वाले कुछ दिनों में यूसीएल कंपनी में कार्यरत और नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों द्वारा घेरा जाएगा। ये कर्मचारी, श्रीमती नमिता के मनमाने व्यवहार के खिलाफ, कार्यकर्ता मंत्री और प्रभारी मंत्री से भी शिकायत करेंगे। यह भी बताया गया है कि अगर सरकार द्वारा अपनायी जा रही अनियमितताओं की जांच कराये, तो सच्चाई सामने आ जायेगी।

दिनांक 07/10/2019 के समाचार में बताया गया कि यूसीएल कई वर्षों से अपने श्रमिकों का शोषण कर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगों में मध्य प्रदेश राज्य के 70% श्रमिकों को रोजगार देने का निदेश दिया था, लेकिन वास्तव में, यूसीएल में काम करने वाले 90 प्रतिशत कर्मचारी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं। आगे बताया गया है कि विद्वान एसजेएम, सतना के न्यायालय ने यूसीएल को दोषी पाया और 22 अप्रैल, 2019 को उस पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।

दिनांक 14/10/2019 के समाचार में प्रकाशित किया गया है कि यूसीएल कंपनी निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए, घटिया केबल का निर्माण करके और राज्यों को आपूर्ति कर रही है, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं ने अपने संबंधित ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। यह बताया गया है कि उच्च प्रशासनिक अधिकारी, जांच के नाम पर सतना आते हैं और यूसीएल कंपनी के गेस्ट हाउस में रुकते हैं और औपचारिकता निभाकर चले जाते हैं।

दिनांक 21/10/2019 के समाचार में यह बताया गया है कि सतना में एक प्रसिद्ध यूसीएल कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा केबल निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। आगे बताया गया है कि इस कंपनी के अधिकारी ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं। कारोबार की दृष्टि से यूसीएल कंपनी का ग्राफ नीचे आ रहा है।

आक्षेपित समाचारों में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड, भारतीय केबल उद्योग में अग्रणी है, जिसे वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था और यूसीएल द्वारा सतना, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में यूसीएल ने अपने ग्राहकों और बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धियों के बीच बिजली केबल के क्षेत्र में अपने त्रुटिहीन काम के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित की है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि गलत, असत्यापित, भ्रामक और विकृत समाचारों के प्रकाशन से प्रतिवादी समाचारपत्र ने यूसीएल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।

शिकायतकर्ता ने 04.12.2019 को प्रतिवादी समाचारपत्र का ध्यान आक्षेपित समाचार लेखों की ओर आकर्षित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने भारतीय प्रेस परिषद से शिकायत पर संज्ञान लेने और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 और उसके संबद्ध नियमों के तहत, प्रतिवादी के विरुद्ध जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी संपादक को 24.02.2021 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद 13.01.2021 को एक अनुस्मारक जारी किया गया।

प्रतिवादी द्वारा लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 02.02.2021 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से विवेचित किया है कि मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स (यूसीएल) द्वारा दर्ज शिकायत पूरी तरह से झूठी, आधारहीन, मनगढ़ंत है और स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे समाचार स्वयं नहीं बनाते, बल्कि समाचार एकत्र करते हैं और उसे परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। उन्होंने बताया कि यूसीएल के संबंध में, समाचारपत्र में प्रकाशित तथ्य, पूरी तरह से सत्य, सटीक और सही हैं और उचित चैनलों के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त उचित रिपोर्टों पर आधारित हैं और अकाट्य तथ्यों तथा सबूतों द्वारा समर्थित हैं एवं समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा बनाई गई पत्रकारिता नीति और पत्रकारिता के आचरण के मानकों के अनुसार हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादियों को, शिकायतकर्ता से कोई व्यक्तिगत रंजिश या राजनीतिक द्वेष नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या किसी कॉर्पोरेट संस्था को बदनाम करना नहीं है, बल्कि बिना किसी डर और पक्षपात के जनता को सच्चाई बताना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता और उसके अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर जनता से सच्चाई छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को दोहराते हुए दिनांक 19.04.2021 की प्रति टिप्पणियों के माध्यम से, लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक कथन, प्रस्तुतियों, आरोपों और दावों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी उनके दावों को साबित करने में विफल रहे कि, वर्तमान शिकायत में दिए गए दावे कथित तौर पर झूठे हैं। उन्होंने कहा है कि यूसीएल ने अपने 13वें, 14वें, 15वें, 16वें और 17वें संस्करण में उक्त टैब्लॉइड में प्रकाशित, कथित समाचार रिपोर्टों में विरोधाभास, पूर्वाग्रह, अशुद्धि और दुर्भावना के बारे में विस्तार से बताया है, जिसे संक्षिप्तता के कारण दोहराया नहीं जा रहा है, और इसे उसके प्रत्युत्तर के भाग के रूप में पढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि विशिष्ट आरोपों पर प्रतिवादी की सामान्य और/या टाल-मटोल वाली प्रतिक्रिया, संदेह से परे साबित करती है कि शिकायत की सामग्री सत्य और सही है और प्रतिवादी ने जानबूझकर पत्रकारिता नीति के मानक के प्रत्येक प्रावधान का उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि शिकायत में प्रस्तुत प्रस्तुतियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी की आपत्तियों को अस्पष्ट, टालमटोल करने वाली और कानून के विपरीत होने के कारण, सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 1.3.2023 को सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। श्री नरेंद्र एम. शर्मा और सुश्री शुभांगी तिवारी, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए, प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व, श्री पुष्पेंद्र मिश्रा और सुश्री सोनी मोकोइया, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

यह शिकायत दिनांक 21.12.2019 को मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड (यूसीएल), सतना (म.प्र.) द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, संपादक, प्रलाप खबर एक नजर में, साप्ताहिक टैब्लॉयड, सतना, म.प्र. के विरुद्ध, कथित तौर पर यूसीएल से संबंधित गलत, भ्रामक और पक्षपातपूर्ण समाचार लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। आक्षेपित समाचारों की तारीखें और शीर्षक इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	दिनांक	शीर्षक
1.	23/09/2019	यूसीएल प्रबंधन और नमिता श्रमिकों को बना रहे अपंग
2.	30/09/2019	तानाशाह का अड्डा बना यूसीएल – “कमलनाथ सरकार के निर्देशों का पालन नहीं, उपसंचालक नमिता बनीं कठपुतली”
3.	7/10/2019	यूसीएल कर रहा श्रमिकों का शोषण - कमलनाथ सरकार पर भारी पड़ रहे अधिकारी, नमिता नाम की रह गई उपसंचालक
4.	14/10/2019	घटिया केबिल का निर्माण कर रहा यूसीएल
5.	21/10/2019	यूसीएल की साख पर मैनेजमेंट लगा रहा बट्टा – केबल की होती है ओपन हार्ट सर्जरी

जांच समिति ने शिकायतकर्ता के अधिवक्ता, श्री नरेंद्र शर्मा और 'प्रभात खबर एक' के संपादक, श्री पुष्पेंद्र मिश्रा को सुना। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की मूल शिकायत यह है कि यूसीएल के बारे में जो कुछ भी प्रकाशित किया गया है, वह स्पष्ट रूप से गलत है और इससे यूसीएल की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ है तथा यूसीएल को वित्तीय नुकसान भी हुआ है। परामर्शदाता

ने प्रस्तुत किया कि 'पत्रकारिता के आचरण के मानकों' के अनुसार, यूसीएल के पक्ष को प्रकाशित करना प्रतिवादी का दायित्व था, हालांकि, यूसीएल से कभी संपर्क नहीं किया गया। परामर्शदाता ने बताया कि प्रतिवादी समाचारपत्र के हर अंक में ऐसे ही असत्य लेख प्रकाशित करता रहता है। जब इस बारे में श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा, संपादक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भविष्य में यूसीएल के बारे में इस तरह की कोई खबर प्रकाशित नहीं की जाएगी। जांच समिति इस कथन को स्वीकार करती है। इस बीच, जांच समिति शिकायतकर्ता को आवश्यक कार्रवाई के लिए, चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरे मामले का अपना पक्ष, प्रतिवादी समाचारपत्र को और रिकॉर्ड के लिए पीसीआई के सचिवालय को सौंपने का निदेश देती है। श्री पुष्पेन्द्र, संपादक ने सहमति व्यक्त की है कि उक्त वर्तन को उनके समाचारपत्र द्वारा प्रमुख पृष्ठ पर प्रकाशित किया जायेगा। जांच समिति इस कथन को भी स्वीकार करती है। जांच समिति परिषद को उपर्युक्त निदेश के साथ शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करने के निदेश के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.6

फाइल सं. 14/406/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री चित्तरंजन भास्कर पोल, आईआरएस (सेवानिवृत्त),
सचिव,
क्राइस्ट चर्च,
पुणे, महाराष्ट्र

प्रतिवादी

संपादक,
मराठी विश्वास,
मराठी साप्ताहिक,
पुणे, महाराष्ट्र

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

सचिव, क्राइस्ट चर्च, पुणे, श्री चित्तरंजन भास्कर पोल, आईआरएस (सेवानिवृत्त) द्वारा संपादक, मराठी विश्वास, मराठी साप्ताहिक, पुणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध असत्यापित, पक्षपातपूर्ण और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दिनांकित 30.10.2019 दर्ज की गई। यह शिकायत "क्राइस्ट चर्च से 2 हजार रुपये के नोट के गायब होने की कहानी", "अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले बुजुर्ग (ट्रस्टी) को किया गया अपमानित है" और "क्राइस्ट चर्च को धारा 12 ए के तहत कोई छूट नहीं" (हिंदी वर्तन) शीर्षकों वाली समाचारों की श्रृंखला के क्रमशः 18-24 सितंबर 2019, 2-8 अक्टूबर 2019 और 16-22 अक्टूबर 2019 के अंकों में प्रकाशन से संबंधित है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गए अंग्रेजी वर्तन के अनुसार, आक्षेपित समाचारों में क्राइस्ट चर्च में फंड्स (चढ़ावे) के कथित दुरुपयोग पर रिपोर्ट दी गई थी।

शिकायतकर्ता का दावा है कि ये समाचार निराधार, पक्षपातपूर्ण और मानहानिकारक हैं, और इनका उद्देश्य क्राइस्ट चर्च के सभी ट्रस्टियों की प्रतिष्ठा

को धूमिल करना था। शिकायतकर्ता ने 8 सितंबर, 2019 को हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रदान किया है, जब चर्च में चढ़ावे की गिनती की जा रही थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, गिनती के दौरान उन्होंने दो हजार रुपये के नोट के बारे में पूछताछ की, जो चढ़ावे के पैसों में नहीं पाया गया। पादरी ने अपने बटुए से 2,000/- रुपये का नोट निकाला और दूसरे ट्रस्टी को उसके बदले रेज़गारी हेतु दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि चढ़ावे में 2,000 रुपये का केवल एक नोट मिला और इसकी पुष्टि पादरी और एक अन्य ट्रस्टी ने की।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि ट्रस्टी, श्री राहुल बोर्ड ने बैठक के दौरान घटना के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन कोषाध्यक्ष, श्री संतोष घोरपड़े ने एक पत्र प्रस्तुत कर श्री बोर्ड के विभिन्न प्रकार के अनैतिक व्यवहार के बारे में शिकायत की, जिसमें 8 सितंबर, 2019 को चढ़ावे की गिनती के दौरान 2,000/- रुपये के नोट का मुद्दा भी शामिल था। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि चर्च, आईटी अधिनियम की धारा 12AA के तहत आयकर छूट प्राप्त करने में विफल रहा है, और यह कि, उसने इस मुद्दे के समाधान के लिए समितियों का गठन किया है।

शिकायतकर्ता ने इस बात की जानकारी होने से इनकार किया कि सीए, श्री काले ने समाचार लेख के लिए सहमति दी थी या यह उनकी सहमति के बिना प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आक्षेपित लेख, व्यंग्यात्मक और जातिवादी तरीके से प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन्हें महार जाति के सदस्य के रूप में चित्रित किया गया था, जो एक धार्मिक सदस्य होने का दावा करते हुए सरकारी लाभ प्राप्त करता है।

मराठी विश्वास, पुणे के प्रतिवादी संपादक को 20.1.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि डाक पते में समस्या के कारण 6.12.2019 को पहले नोटिस जारी नहीं किया जा सका था।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

13 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किए गए निवेदन में, प्रतिवादी-संपादक ने दावा किया कि उसने शिकायतकर्ता और पादरी द्वारा चर्च में की गई कई अवैध गतिविधियों को उजागर किया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस पर दबाव डालकर, उनके काम में बाधा डालने का प्रयास किया। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता की पत्नी ने 2009 में चर्च को एक पत्र भेजकर 1993-2009 की अवधि के लिए एक वित्तीय रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसका प्रतिवादी के समाचारपत्र में समर्थन किया गया था। प्रतिवादी ने रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के बारे में समाचार प्रकाशित किया, जिसके कारण चर्च समिति ने उसे नोटिस जारी कर मानहानि के मुआवजे के रूप में 5 करोड़ रुपयों की मांग की। प्रतिवादी ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता ने 2019 में पादरी को क्लीन चिट दे दी थी और वर्तमान मानहानि के लिए मुआवजे के रूप में 7 करोड़ रुपयों की मांग की थी, जो शिकायतकर्ता की आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। प्रतिवादी ने एक घटना का हवाला देते हुए, यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता भ्रष्ट कार्यों में शामिल था। उनकी उपस्थिति में 2,000/- रुपये गायब हो गए, और संयोग से, उसी दिन सीसीटीवी में खराबी पाई गई। प्रतिवादी ने अपने स्रोत, मुखबिर का हवाला देते हुए इस घटना को प्रकाशित किया, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत की और मानहानि के लिए मुआवजे के रूप में 7 करोड़ रुपयों की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया। प्रतिवादी ने आगे आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और जानकारी प्रदान करने वाले सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और उन्हें बदनाम किया। पुलिस ने शिकायतकर्ता के प्रभाव में इन सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण प्रतिवादी ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की।

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 02.07.2020 को दर्ज प्रति टिप्पणियां

2 जुलाई, 2020 को दर्ज प्रति टिप्पणियों में, शिकायतकर्ता ने 2018 से पहले क्राइस्ट चर्च के वित्तीय, प्रशासनिक या कानूनी मामलों से अपने किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी ने 12-18 फरवरी, 2020 को एक और समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में झूठी शिकायत दर्ज की थी और जानबूझकर पूरी वर्दी में अपनी फोटो छापी थी। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि उनके द्वारा दर्ज उत्तर, 2018 से पहले अध्यक्ष रहे पादरी, Rev.सी.पी. भुजबल के कुप्रबंधन से संबंधित है, जब वह चर्च की किसी भी गतिविधि से नहीं जुड़े थे। उन्होंने आगे दावा किया कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश किए बिना बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि प्रतिवादी ने हेराफेरी के संबंध में, 19 फरवरी, 2020 को अपने समाचारपत्र में समाचार प्रकाशित किया था।

12 जनवरी, 2021 को, शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी ने 30 नवंबर, 2020 को अपने समाचारपत्र में "पोल झूठा और नीच है" (हिंदी वर्तन) शीर्षक के तहत एक समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें उन पर अवैध संपत्ति संचय का आरोप लगाया गया था और बताया गया था कि शिकायत/उत्तर में लगाए गए आरोपों की जांच भारतीय प्रेस परिषद द्वारा की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा उसकी बेटी के चरित्र की सार्वजनिक आलोचना और उसकी तस्वीरें अखबार में प्रकाशित करने की धमकी देने के कृत्य पर आपत्ति जताई। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने प्रतिवादी से समाचार की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए कहा था, लेकिन वह जवाब देने में विफल रहा, और उसे मजबूर होकर प्रतिवादी संपादक के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक गैर-संज्ञेय मामला दर्ज करना पड़ा। शिकायतकर्ता और उसकी बेटी

ने माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष मानहानि की अलग-अलग निजी शिकायतें भी दर्ज कीं, और सभी मामलों की जांच समर्थ पुलिस स्टेशन द्वारा की गई।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 1.7.2021 के माध्यम से आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने अपने ऑनलाइन संस्करण में दिनांक 4.1.2021 को फिर से ऐसा समाचार प्रकाशित किया, जिसने शिकायतकर्ता की मां के चरित्र को खराब दर्शाया।

प्रतिवादी द्वारा दिनांक 24.8.2021 को दर्ज उत्तर

प्रतिवादी संपादक ने अपने ईमेल दिनांक 24.8.2021 के जरिए, शिकायतकर्ता पर सार्वजनिक मंच पर उनके लेखन को रोकने का प्रयास करने, सामाजिक हमले का सहारा लेने और उन्हें मुसीबत में डालने के लिए अपनी मृत मां को बीच में लाने का आरोप लगाया है। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता चर्च से जुड़े स्कूल, प्रकाश विद्यालय से प्राप्त 1 करोड़ रुपये और लगभग 30 लाख रुपये के बारे में बताने में विफल रहे। प्रतिवादी ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2020 में लगभग 10 उत्तेजक संदेश भेजे, जो क्राइस्ट चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गए, और उन्होंने उसके बारे में पुणे पुलिस को ऑनलाइन शिकायत की। प्रतिवादी ने बाबूभाई शेवगांववाले के संबंध में चर्च के एक वरिष्ठ सदस्य का एक पत्र प्रकाशित किया, जिसका चर्च की सदस्य, मंदाकिनी नामक महिला के साथ संबंध था। प्रतिवादी ने यह उल्लेख करने से इनकार किया कि श्री बाबूभाई शेवगांववाले की प्रेमिका, मंदाकिनी, शिकायतकर्ता की मां थी। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता पर अपने फायदे के लिए अपनी मृत मां के नाम और श्री बाबूभाई शेवगांववाले के नाम का फायदा उठाने का भी आरोप लगाया। प्रतिवादी ने आगे दावा किया कि शिकायतकर्ता ने इस मामले में अपनी बेटी को भी घसीटा और अपने बच्चों की परवरिश को साबित करने की कोशिश की। प्रतिवादी ने जांच की और अपने समाचार पत्र में स्कूल के पैसे और खातों के दुरुपयोग में शिकायतकर्ता की बहन की संलिप्तता को प्रकाशित किया।

शिकायतकर्ता का अगला पत्र

दिनांक 15.9.2021 के एक पत्र में, शिकायतकर्ता ने 'मराठी विश्वास' के प्रतिवादी संपादक के खिलाफ, मानहानि के तीन मामले दर्ज करने की सूचना दी। जांच के बाद, माननीय मजिस्ट्रेट ने पाया कि संपादक ने बिना सत्यापन के एक मानहानिकारक लेख प्रकाशित किया था, और मुद्रक ने यह जानते हुए भी इसे मुद्रित किया था कि यह मानहानिकारक हो सकता है। नतीजतन, मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500/501 आर/डब्ल्यू धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कार्यवाही हेतु निदेश दिये। हालाँकि शिकायतकर्ता की शिकायत, संपादक द्वारा प्रकाशित असत्यापित और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टों के आधार पर मानहानि के बारे में थी, लेकिन इस मुद्दे पर माननीय न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

दिनांक 15.3.2022 की जानकारी में, शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक और प्रिंटर के खिलाफ मानहानि के लिए, चल रही कानूनी कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। अदालत ने उन दोनों को 15,000/- रुपये का पीआर बॉन्ड प्रस्तुत करने का निदेश दिया, और अगली सुनवाई, 19.03.2022 के लिए तय की गई। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल के अकाउंटेंट-सह-क्लर्क, नोएल इसाक मपगांवकर के खिलाफ 31,99,194/- रुपये की कथित हेराफेरी के लिए दर्ज एफआईआर का भी उल्लेख किया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

दिनांक 11.10.2022 के पत्र में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने उसके खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की और अनियमितता रिपोर्ट के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की, जिसके कारण स्कूल के लेखाकार-सह-क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 2.3.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

यह शिकायत दिनांक 30.10.2019 को श्री चित्तरंजन भास्कर पोल, आईआरएस (सेवानिवृत्त) सचिव, क्राइस्ट चर्च, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा संपादक मराठी विश्वास, मराठी साप्ताहिक, पुणे महाराष्ट्र के विरुद्ध असत्यापित, पक्षपातपूर्ण और अपमानजनक समाचारों के कथित प्रकाशन के लिए दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये आक्षेपित समाचारों के शीर्षकों की तारीख और अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है:

क्र.सं.	दिनांक	शीर्षक
1.	18-24 सितंबर 2019	"Story of the disappearance of 2 thousand rupees note from Christ Church"
2.	2-8 अक्टूबर 2019	"Elder (Trustee) fighting against injustice is humiliated"
3.	16-22 अक्टूबर 2019	"No exemption under Section 12A available with Christ Church"

शिकायतकर्ता, श्री पोल जांच समिति के समक्ष उपस्थित हैं। प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। उनके जवाब रिकॉर्ड पर हैं, जिसमें उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पुनः दोहराया है। अपने अंतिम पत्र में, उन्होंने सचिवालय द्वारा उनसे अंग्रेजी अनुवाद मांगे जाने पर आपत्ति जताई। उनके उत्तर का भावार्थ उत्तम नहीं है। लेकिन जांच समिति ने इसे नजरअंदाज करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि ऐसा आचरण अवमानना के दायरे में है। फिर भी, अध्यक्ष महोदया के मराठी भाषा से परिचित होने के कारण, उन्होंने मराठी पत्र को पढ़ा। शिकायत से ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता, श्री पोल क्राइस्ट चर्च के सचिव हैं। उन पर कुछ कदाचार के आरोप हैं, जिनका उन्होंने जोरदार खंडन किया है। यह ईसाई समुदाय के दो गुटों के बीच व्यक्तिगत विवाद प्रतीत होता है। इसमें तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल हैं, जिन पर केवल न्यायालय ही विचार कर सकता है और निर्णय ले सकती है। लेकिन पत्रकारिता के आचरण के मानकों के

उल्लंघन से जुड़े कुछ पहलू हैं, जिन्हें प्रेस परिषद द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता द्वारा हमारा ध्यान मराठी विश्वास साप्ताहिक में 16.10.2019 को प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से शीर्षक में शिकायतकर्ता का संदर्भ दिया गया है। लेख में बताया गया है कि कुछ लोग खुद को हिंदू महार बताते हैं, सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और चर्च जाते हैं और दिखाते हैं कि वे धार्मिक हैं। यह, स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता के संदर्भ में है, जिसमें किसी व्यक्ति की जाति का जिक्र करके, पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के मानक 4(1), जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की जाति की पहचान से बचना चाहिए, का उल्लंघन किया है। जांच समिति इस तरह की पत्रकारिता की निंदा करती है। मराठी विश्वास के दिनांक 4.1.2021 और 1.2.2021 के अंकों में प्रतिवादी संपादक ने शिकायतकर्ता की मां का जिक्र करते हुए अत्यधिक असंसदीय और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी फिर से कड़े शब्दों में निंदा करने की जरूरत है। मराठी विश्वास के दिनांक 21.1.2021 के अंक में, प्रतिवादी संपादक ने शिकायतकर्ता की बेटी के चरित्र के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जो पत्रकारिता के आचरण के मानकों के भी भी विरुद्ध है। तथ्यों के विवादित प्रश्नों से जुड़े अन्य आरोपों और प्रत्यारोपों का निर्णय, यदि पक्षकार न्यायालय के पास जाना चाहें तो, न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। जांच समिति का मानना है कि जहां तक उपर्युक्त लेखों का संबंध है, प्रतिवादी समाचार पत्र और उसके संपादक की कड़ी परिनिंदा की जानी चाहिए।

प्रतिवादी संपादक के लिए, यह उचित होगा कि वह शिकायतकर्ता का पक्ष, यदि वह उसे अग्रेषित करता है, तो उसे पूरी निष्पक्षता से प्रकाशित करे। इससे उपर्युक्त कठोर और असंसदीय टिप्पणियों के कारण, शिकायतकर्ता को हुई कठिनाई कुछ हद तक कम हो सकती है।

तदनुसार जांच समिति परिषद को प्रतिवादी की **परिनिंदा** करने और शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और प्रतिवादी समाचारपत्र की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.7

फाइल सं. 1797/2020-ए

शिकायतकर्ता

श्री सुरज्य कुमार दास,
जिला कामरूप (मेट्रो),
असम।

प्रतिवादी

संपादक,
अमर असम,
गुवाहाटी, असम।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 13.7.2020 को श्री सुरज्य कुमार दास, जिला कामरूप (मेट्रो), असम द्वारा संपादक, अमर असम, गुवाहाटी, असम के विरुद्ध उनके अंक 20.5.2020 दिनांकित में "बाघरबाड़ी में कथित अवैध संबंध रखने पर ट्रेजरी अधिकारी को किया गया गिरफ्तार" (शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया गये अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी वर्तन) शीर्षक के तहत कथित तौर पर झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए" दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने आक्षेपित समाचार का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराया है और उसका सार निम्नानुसार पठनीय है:-

“पुलिस ने कथित अवैध संबंध रखने पर एक ट्रेजरी अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी व्यक्ति, श्री अजीत स्वर्गीय (अनुवाद में उल्लिखित नाम) ट्रेजरी कार्यालय, गुवाहाटी में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शिव मंदिर पथ के बाघरबाड़ी की रहने वाली एक महिला से अकाउंट ऑफिसर ने एसीएस ऑफिसर की नौकरी दिलाने के लिए 10 लाख रुपये की रकम ली थी। महिला की शादी डेढ़ साल पहले सेरीकल्चर विभाग के एक अधिकारी से हुई थी। वहीं, आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर विवाहिता से प्रेम संबंध बना लिया। बेशक, आरोपी ने बड़ी चालाकी से विवाहिता को टैक्स

विभाग में टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दिलवा दी। आरोपी नियमित रूप से महिला के घर जाता था और उसके साथ अवैध संबंध बनाता था। पता चलने पर एवं स्वयं खोजबीन करने पर आज आरोपी एवं महिला को उसके ससुराल बघारबाड़ी में रंगे हाथ पकड़ लिया गया। घटना की सूचना उसके पति ने सतगांवा थाने को दी। पुलिस ने घटना स्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले गयी। घटना को लेकर पति ने थाने में एफआईआर दर्ज करायी है।" (हिंदी वर्तन)

शिकायतकर्ता, जो उस महिला का पिता है, जिसका उल्लेख आक्षेपित समाचार में किया गया है, ने आरोप लगाया है कि आक्षेपित समाचार झूठा, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक है और शिकायतकर्ता की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके एक मेहमान, श्री अजीत गायरी (शिकायत में उल्लिखित नाम) अपने बहनोई के साथ 19.5.2020 को उनकी बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए, उनके अनुरोध पर, उनके घर आए। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह उन्हें उनकी बेटी, बेटे और सहायकों की मौजूदगी में, अपने साथ ले जा रहा था, तो अचानक सतगांव पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उसके घर में घुस आए और उनके एक मेहमान, श्री अजीत गायरी को बिना किसी वारंट/एफआईआर के उठा लिया और सतगांवा थाने ले गये। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी और उसके परिवार की स्थिति और प्रतिष्ठा से अवगत होने के कारण, प्रतिवादी ने बिना किसी आधार/उचित जांच के झूठी और अपमानजनक खबर प्रकाशित की। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि डॉ. गुनामोनी डेका, जो उनके दामाद हैं, ने पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर झूठी एफआईआर दर्ज की थी और श्री अजीत गायरी, जो उनके पारिवारिक मित्र हैं, को परेशान किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि डॉ. गुनामोनी डेका ने बाद में प्रतिवादी समाचारपत्र, अमर असम के संपादक और प्रकाशक, के साथ मिलकर शिकायतकर्ता और उसके परिवार की कड़ी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण समाचार

प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है, जैसा कि आक्षेपित समाचार में बताया गया है।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसने दुर्व्यवहार के संबंध में, सतगांव पुलिस स्टेशन के खिलाफ पुलिस महानिदेशक, उलुबरी, गुवाहाटी, असम को दिनांक 1.7.2020 को एक शिकायत दर्ज की थी और डॉ. गुनामोनी के खिलाफ, पुलिस स्टेशन सतगांव में दिनांक 20.5.2020 को एक और शिकायत दर्ज की थी। डेका (शिकायतकर्ता का दामाद) पर अपनी बेटी को परेशान करने और मानसिक/शारीरिक यातना देने और शिकायतकर्ता के परिवार को बदनाम करने और श्री अजीत गायरी को धमकी देने और ब्लैकमेल करने का आरोप है।

शिकायतकर्ता ने दिनांक 25.5.2020 के पत्र के माध्यम से, स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रतिवादी समाचारपत्र का ध्यान आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया था, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी समाचारपत्र को चेतावनी देकर, फटकार लगाकर या निंदा करके, एक आदेश पारित करने और प्रतिवादी को स्पष्टीकरण प्रकाशित करने का निदेश देने का अनुरोध किया है।

कोई उत्तर नहीं

अमर असम, गुवाहाटी के संपादक और प्रधान संपादक को दिनांक 16.9.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे, लेकिन समयबद्ध अनुस्मारक दिनांक 4.12.2020 जारी करने के बावजूद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मामले की सुनवाई, जांच समिति द्वारा 11.10.2022 को की गई और इसे स्थगित कर दिया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 2.3.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। शिकायतकर्ता पिछली बार भी उपस्थित नहीं हुआ था। कोई भी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। हालाँकि, दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हैं, लेकिन शिकायत में कुछ गंभीर आरोप हैं, इसलिए जांच समिति शिकायतकर्ता के पैरवी न करने के कारण, इसे खारिज करने की इच्छुक नहीं है।

शिकायतकर्ता ने संपादक, अमर असम, गुवाहाटी, असम के खिलाफ झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक समाचार, जिसका शीर्षक "बाघरबाड़ी में कथित अवैध संबंध रखने पर ट्रेजरी अधिकारी को किया गया गिरफ्तार" (शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया गये अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी वर्तन) है, प्रकाशित करने के लिए शिकायत दर्ज की है।

वह महिला, जो शिकायतकर्ता की बेटी है, उस पर ट्रेजरी कार्यालय, गुवाहाटी में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने बताया कि ये आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। इस संबंध में, उन्होंने एक शिकायत भी दर्ज कराई है, जो लंबित नजर आ रही है। जांच समिति ने गौर किया कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 25.5.2020 के पत्र के माध्यम से, स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रतिवादी समाचारपत्र का ध्यान आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मामले की परिस्थितियों में, जांच समिति की राय है कि प्रतिवादी समाचारपत्र के लिए शिकायतकर्ता का पक्ष प्रकाशित करना आवश्यक है। इसलिए शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रतिवादी समाचारपत्र को अग्रेषित करना चाहिए और प्रतिवादी समाचारपत्र को उसकी प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर, इसे प्रकाशित करना चाहिए। इससे शिकायतकर्ता की शिकायत का कम से कम, कुछ हद तक तो समाधान होना चाहिए।

जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि शिकायत को उपर्युक्त निदेशों के साथ समाप्त किया जा सकता है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार है और उपर्युक्त निदेशों के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.8

फाइल सं. 14/18/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री वी. श्रीकुमार,
कोल्लम,
केरल।

प्रतिवादी

संपादक,
केरल कौमुदी-फ्लैश,
कोल्लम, केरल।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 28.3.2019 को श्री वी. श्रीकुमार, कोल्लम, केरल द्वारा संपादक, केरल कौमुदी-फ्लैश, कोल्लम के विरुद्ध अंक दिनांकित 23.3.2019 में "अकेले रहने वाली युवा महिला को खतरा- आरटीआई एक्टिविस्ट के विरुद्ध जांच" (अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी वर्तन) शीर्षक के तहत झूठा, आधारहीन और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि एक आरटीआई कार्यकर्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जो अकेले रहने वाली एक युवा महिला को लगातार धमकी दे रहा है। आगे यह भी बताया गया कि आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा धमकी और अपमान करने पर उस युवती और उसके 10 वर्षीय बेटे ने स्थानीय पुलिस स्टेशन और उच्च पुलिस अधिकारियों से याचिका की, जिस पर विचार करते हुए, कोल्लम के सिटी पुलिस आयुक्त ने करुणागप्पल्ली पुलिस को इस याचिका की जांच करने का आदेश दिया। करुणागप्पल्ली पुलिस ने महिला और उसके बेटे के बयान लेने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आक्षेपित समाचार के अनुसार, उत्तरी पावुम्बा में बसी महिला, आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा लगातार अपमान किए जाने के कारण आत्महत्या करने को तैयार है। महिला और

उसकी विधवा मां, श्री श्रीकुमार पुलाचिलाङ्गिकम द्वारा दी गई धमकी और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के विरुद्ध न्याय मांग रही हैं। श्री श्रीकुमार 2016 में एक निजी संस्थान में साथ काम करने के दौरान, शुरू हुई दोस्ती को लेकर महिला का अपमान कर रहे हैं। एक बार, श्री श्रीकुमार पुथ्याकावु में इस महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। अगले वर्ष, श्री श्रीकुमार को चवारा पुलिस ने मोबाइल पर महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उपर्युक्त दोनों मामलों में, श्री श्रीकुमार को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया, लेकिन फिर भी वह लगातार धमकी देते रहे कि या तो उसे मामले वापस लेने होंगे, या फिर उसे अपने बेटे और विधवा मां को छोड़कर श्री श्रीकुमार के साथ रहना होगा। दोनों मांगों को लेकर, श्री श्रीकुमार रात में महिला को उसके घर के पास परेशान करते थे। उपद्रव और बेइज्जती से तंग आकर महिला और उसका बेटा अब अपने रिश्तेदार के घर के पास सोते हैं। श्री श्रीकुमार ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो वह उनके बेटे और वृद्ध मां को मार डालेंगे और उनका अपहरण कर लेंगे। आगे यह भी बताया गया है कि श्री श्रीकुमार पर आरोप है कि वह इस मामले में जांच के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों में बाधा डालते थे। संगठन के नाम का दुरुपयोग करने के कारण उन्हें आरटीआई फेडरेशन से बर्खास्त कर दिये जाने पर भी वह इस संगठन के नाम का उपयोग करते हैं और संगठन के साथ अपना नाम जोड़ते हैं। इसके अलावा, श्री श्रीकुमार ने महिला और उसके पति के विरुद्ध अफवाहें भी फैलाई हैं।

आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आक्षेपित समाचार गलत, निराधार है और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित किया गया है। कुल मिलकर सभी वर्तनों के विवरण में विचारों में सुसंगति नहीं है और न ही मुद्दे के संबंध में कोई पुष्टि की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह केरल राज्य के भीतर और आसपास कई मामलों से जुड़े रहे हैं।

उन्होंने केरल के आरटीआई फेडरेशन के राज्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है, इसलिए पुलिस कर्मियों सहित कई लोग हैं, जो शिकायतकर्ता से कड़ा प्रतिशोध ले रहे हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस गैरकानूनी और झूठी खबर के पीछे एक पुलिस कर्मी है, जिसने प्रतिवादी अखबार को प्रभावित किया और इस तरह उसके विरुद्ध और अधिक परेशानी खड़ी करने के इरादे से, उसके विरुद्ध यह झूठी खबर प्रकाशित करवाई। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि एक और मामला यह है कि प्रतिवादी ने अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इस घटना के संबंध में पहले झूठी खबर प्रकाशित की थी कि एक महिला ने उसके विरुद्ध अपराध दर्ज किया और चावरा पुलिस को गलत जानकारी दी और इस प्रकार पुलिस ने झूठा मामला दर्ज किया। उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रतिवादी द्वारा तुरंत उक्त झूठा मामला और उसके बाद की घटनाओं को प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके बाद उसने न्यायपालिका से जमानत पाने के लिए लगातार कोशिश की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी के पास उसके विरुद्ध ऐसी अमान्य और झूठी खबर प्रकाशित करने का कोई अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता ने विवेचित किया कि प्रतिवादी ने अंततः, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और दोनों पेशे से आने वाली उसकी, दैनिक कमाई बंद हो गई।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 10.5.2019 के माध्यम से, प्रतिवादी का ध्यान आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

12.7.2019 को संपादक, केरल कौमुदी-फलैश, कोल्लम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

प्रतिवादी संपादक द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

श्री एस. राधाकृष्णन, संपादक/यूनिट प्रमुख, केरल कौमुदी-फलैश, कोल्लम ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 14.8.2019 के माध्यम से, प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार, शिकायतकर्ता के विरुद्ध, सुश्री ज्योतिलक्ष्मी द्वारा दर्ज शिकायत पर आधारित था और उसके विरुद्ध करुणागापल्ली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 447/294 (बी)/506/354 डी के तहत, अपराध संख्या 446/2019 और सीआरपीसी की धारा 107 के तहत, चावरा पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 474/2018 के रूप में दो अपराध दर्ज किए गए। उनके अनुसार, उपर्युक्त शिकायतों के रिकॉर्ड से यह साबित हो जाएगा कि प्रकाशित आक्षेपित समाचार की सामग्री वास्तविक तथ्यों पर आधारित है और यह कभी भी किसी व्यक्ति को बदनाम करने के दायरे में नहीं आती है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा मानहानि का आरोप लगाते हुए अखबार को दिनांक 17.4.2019 को एक नोटिस जारी किया गया था और नोटिस का जवाब उसे विधिवत भेजा गया है, जिससे साबित होता है कि आक्षेपित समाचार, कभी भी आईपीसी की धारा 499/500/501/502 के दायरे में नहीं आता है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि एक स्वयंभू सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उसने उस महिला की निजता और व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जो उसके विरुद्ध दर्ज मामले का मूल विषय है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि आक्षेपित समाचार बिल्कुल भी गलत नहीं है और इसने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, जैसा कि आरोप लगाया गया है। उनके अनुसार, मामले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरी तरह से सत्यापित करने के बाद आक्षेपित समाचार को अधिकतम सटीकता के साथ प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने बताया कि गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेजे जाने से संबंधित समाचार, अन्य सभी मलयालम दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था और इन दैनिक समाचार पत्रों ने वही तथ्य प्रकाशित किए, जो उसके समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे। प्रतिवादी ने सूचित किया है कि शिकायतकर्ता के डर से, पीड़ित महिला ने शिकायतकर्ता और उसके नापाक आपराधिक गिरोह, जो लगातार उपर्युक्त स्थान पर अकेले रह रही

महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका मामला संख्या 9583/19 दर्ज की। प्रतिवादी ने आगे बताया कि वह गिरोह, जिसके हैड शिकायतकर्ता हैं, हमेशा निर्दोष नागरिकों को बदनाम करने और पैसे ऐंठने के लिए ब्लैकमेल करने का प्रयास करता रहा है। प्रतिवादी ने कहा है कि आक्षेपित समाचार, उसके विरुद्ध दर्ज अपराध पर उनकी अपनी जांच पर आधारित तथ्यात्मक विवरण है। पत्रकारिता नीति के किसी भी प्रकार से उल्लंघन से इनकार करते हुए, प्रतिवादी ने परिषद से मामले में आगे कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया है।

लिखित वक्तव्य की एक प्रति, शिकायतकर्ता को सूचना/प्रति टिप्पणियों के लिए 27.8.2019 को भेज दी गई थी।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणी दिनांकित 20.9.2019 के माध्यम से अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा है कि प्रतिवादी को खोजी पत्रकारिता के रूप में काम करने का कोई अधिकार नहीं है। दैनिक समाचारपत्र के रूप में कार्य करने के लिए माननीय भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिया गया लाइसेंस या अन्य अनुमति, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या जनता के विरुद्ध अपमान करने का लाइसेंस नहीं देती है। लेकिन प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध अपने लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी द्वारा पहले से ही की गई अवैधताओं को स्वीकार कर लिया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर उसकी मानहानि की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सक्षम न्यायालय द्वारा मामले पर फैसला सुनाने से पहले, किसी गलत धारणा वाले मामले को प्रकाशित करने के लिए पुलिस स्टेशनों या न्यायालय से पुलिस रिकॉर्ड एकत्र करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर तथाकथित महिला के नाम और पते का दुरुपयोग किया और इस तरह पीड़ित के नाम का उपयोग करना कानून के प्रासंगिक नियमों द्वारा सख्ती से निषिद्ध है।

इस आरोप के संबंध में, कि अन्य समाचार पत्रों ने भी वही समाचार प्रकाशित किया, शिकायतकर्ता ने कहा है कि केवल प्रतिवादी ने विशेष रुचि लेते हुए, उक्त महिला के साथ साँठ-गाँठ करके, गलत और कुख्यात आक्षेपित समाचार को पीले समाचारपत्र में प्रकाशित किया। उनके अनुसार, यह सच है कि उक्त साँठगाँठ वाली महिला द्वारा उनके विरुद्ध केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामला संख्या 9583/2019 दर्ज किया गया था, लेकिन उस मामले का निर्णय केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में किया था। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी का अगला पत्र दिनांकित 19.11.2019

प्रतिवादी ने अपने अदिनांकित पत्र, जोकि सचिवालय में 19.11.2019 को प्राप्त हुआ, के जरिये बताया कि प्रति टिप्पणी में उस महिला के विरुद्ध, जिसने शिकायतकर्ता के विरुद्ध केरल के माननीय उच्च न्यायालय सहित विभिन्न कानूनी प्राधिकारियों के समक्ष मुकदमें और शिकायत दर्ज की थी, प्रयोग किए गए शब्द, अपमानजनक, मानहानिकारक हैं और भाषा तुच्छ है, जिसके कारण आईपीसी की धारा 499 के पहले प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि आक्षेपित समाचार, जोकि शिकायतकर्ता का मूल विषय है, बिल्कुल भी मानहानिकारक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि शिकायतकर्ता को कोई और भी शिकायत है, तो वह ऐसे सक्षम न्यायालय के समक्ष आपराधिक/सिविल शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसे इसका अधिकार हो।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 2.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। हालाँकि, उन्होंने सचिवालय को एक पत्र लिखकर विवेचित किया है कि दस्तावेजों का अवलोकन करके, शिकायत को

समाप्त किया जा सकता है। श्री प्रसून एस कंडथ, विशेष संवाददाता, केरल कौमुदी और श्री अल्जो जोसेफ, अधिवक्ता प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए हम मामले में आगे बढ़ते हैं।

शिकायत दिनांक 28.3.2019 को श्री वी. श्रीकुमार, कोल्लम, केरल द्वारा संपादक, केरल कौमुदी-फ्लैश, कोल्लम के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 23.03.2019 में "अकेले रहने वाली युवा महिला को खतरा- आरटीआई एक्टिविस्ट के विरुद्ध जांच" (अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी वर्तन) शीर्षक के तहत झूठा, आधारहीन और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि एक आरटीआई कार्यकर्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जो अकेले रहने वाली एक युवा महिला को लगातार धमकी दे रहा है। आगे यह भी बताया गया कि आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा धमकी और अपमान करने पर उस युवती और उसके 10 वर्षीय बेटे ने स्थानीय पुलिस स्टेशन और उच्च पुलिस अधिकारियों से याचिका की, जिस पर विचार करते हुए, कोल्लम के सिटी पुलिस आयुक्त ने करुणागप्पल्ली पुलिस को इस याचिका की जांच करने का आदेश दिया। करुणागप्पल्ली पुलिस ने महिला और उसके बेटे के बयान लेने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आक्षेपित समाचार के अनुसार, उत्तरी पावुम्बा में बसी महिला, आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा लगातार अपमान किए जाने के कारण आत्महत्या करने को तैयार है। महिला और उसकी विधवा मां, श्री श्रीकुमार पुलाचिलाङ्गिकम द्वारा दी गई धमकी और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के विरुद्ध न्याय मांग रही हैं। श्री श्रीकुमार 2016 में एक निजी संस्थान में साथ काम करने के दौरान, शुरू हुई दोस्ती को लेकर महिला का अपमान कर रहे हैं। एक बार, श्री श्रीकुमार पुथ्याकावु में इस महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। अगले वर्ष, श्री श्रीकुमार

को चवारा पुलिस ने मोबाइल पर महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उपर्युक्त दोनों मामलों में, श्री श्रीकुमार को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया, लेकिन फिर भी वह लगातार धमकी देते रहे कि या तो उसे मामले वापस लेने होंगे, या फिर उसे अपने बेटे और विधवा मां को छोड़कर श्री श्रीकुमार के साथ रहना होगा। दोनों मांगों को लेकर, श्री श्रीकुमार रात में महिला को उसके घर के पास परेशान करते थे। उपद्रव और बेइज्जती से तंग आकर महिला और उसका बेटा अब अपने रिश्तेदार के घर के पास सोते हैं। श्री श्रीकुमार ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो वह उनके बेटे और वृद्ध मां को मार डालेंगे और उनका अपहरण कर लेंगे। आगे यह भी बताया गया है कि श्री श्रीकुमार पर आरोप है कि वह इस मामले में जांच के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों में बाधा डालते थे। संगठन के नाम का दुरुपयोग करने के कारण उन्हें आरटीआई फेडरेशन से बर्खास्त कर दिये जाने पर भी वह इस संगठन के नाम का उपयोग करते हैं और संगठन के साथ अपना नाम जोड़ते हैं। इसके अलावा, श्री श्रीकुमार ने महिला और उसके पति के विरुद्ध अफवाहें भी फैलाई हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार ये आरोप झूठे, निराधार हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित किए गए हैं। प्रतिवादी समाचारपत्र की ओर से उपस्थित विद्वान परामर्शदाता, श्री अलजो जोसेफ का कहना है कि शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। यह खबर पीड़ित महिला द्वारा पुलिस स्टेशन करुणागप्पल्ली में आईपीसी की धारा 447/294(बी)/506/235डी के तहत अपराध संख्या 446/2019 और चावरा पुलिस स्टेशन में सीआरपीसी की धारा 107 के तहत अपराध संख्या 474/2018 के रूप में दर्ज शिकायतों के आधार पर प्रकाशित की गई है।

चूंकि समाचार रिपोर्ट एफआईआर की सामग्री पर आधारित है, इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि प्रतिवादी ने पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन

किया है या शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई खबर गढ़ी है। हालाँकि, प्रकाशित समाचार रिपोर्ट की प्रकृति को देखते हुए, जांच समिति का मानना है कि यदि शिकायतकर्ता अपने पक्ष के साथ प्रतिवादी समाचार पत्र के पास जाता है, तो प्रतिवादी समाचारपत्र को इसे उसी पृष्ठ पर प्रकाशित करना चाहिए, जिस पर केरल कौमुदी फ्लैश में आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित हुआ है। जांच समिति को सूचित किया गया है कि यह समाचार मिड डे केरल कौमुदी फ्लैश में प्रकाशित हुआ था, जिसे अब प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। इसलिए, वकील का परामर्शदाता है कि शिकायतकर्ता का पक्ष प्रतिवादी के दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जो एक मूल कंपनी है। जांच समिति ने रिकॉर्ड किया है कि यदि शिकायतकर्ता के संपर्क करने पर प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता का लिखित वर्तन प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया है। इसलिए, उपर्युक्त को देखते हुए, जांच समिति परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करके कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त को देखते हुए, मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.9

फाइल सं. 14/409/2019-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता

डॉ. (सुश्री) अनुपमा कौशिक,
 प्रोफेसर एवं प्रमुख,
 राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग,
 डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय,
 सागर (म.प्र.)

प्रतिवादी

संपादक,
 राज एक्सप्रेस समाचारपत्र,
 भोपाल (म.प्र.)

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 24.10.2019 को डॉ. (सुश्री) अनुपमा कौशिक, प्रोफेसर एवं प्रमुख, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) द्वारा संपादक, राज एक्सप्रेस, भोपाल के विरुद्ध कथित रूप से उनके दिनांक 09.09.2019 के अंक में "फाइलों में दबी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच" शीर्षक के तहत फर्जी, भ्रामक और मानहानिकारक समाचार लेख प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

समाचार लेख में बताया गया है कि डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, वर्ष 2013 में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की सीबीआई जांच को लेकर काफी चर्चा में रहा। जांच में दोषियों का खुलासा हो चुका है, लेकिन जांच अभी भी फाइलों में अधर में लटकी हुई है। आगे बताया गया है कि भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि, 21.12.2010 निर्धारित की गई थी, लेकिन एक आवेदक, जिसका नाम डॉ. अनुपमा कौशिक था, ने अंतिम तिथि के लगभग दो साल बाद आवेदन किया और उनका चयन हो गया। जांच समिति ने सबसे अधिक

आश्चर्य इस बात पर व्यक्त किया कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त, डॉ. अनुपमा कौशिक ने वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान द्वारा 15.12.2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें स्पष्ट शब्दों में बताया गया था कि डॉ. अनुपमा कौशिक 16.01.2005 से वनस्थली विद्यापीठ में राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं और 01.09.2008 से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। डॉ. अनुपमा कौशिक के पास न्यूनतम आठ साल का शिक्षण और शोध का अनुभव नहीं था। डॉ. अनुपमा कौशिक को 15600-37100 का वेतनमान मिल रहा था, जो कि वर्ष 2006 के एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तय किए गए यूजीसी वेतनमान 37400-67000 के वेतनमान से काफी भिन्न है, जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक तथ्य है। जांच समिति की संस्तुति के बावजूद, डॉ. अनुपमा कौशिक के खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाना, वहां के कुलपति की भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली को दर्शाता है। यह बताया गया है कि एक कांग्रेस नेता, श्री संदीप सबलोक की शिकायत पर तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति ने डीन ऑफ़ फैकल्टी अफेयर्स को डॉ. अनुपमा कौशिक की एसोसिएट प्रोफेसर पद पर अवैध नियुक्ति की जांच के आदेश दिए थे। आगे बताया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के भर्ती सेल ने जांच समिति को आवश्यक दस्तावेज़ नहीं दिए, जिसमें मुख्य रूप से एसोसिएट प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए उपस्थिति शीट्स शामिल थीं। समिति के अध्यक्ष, श्री ए.पी. दुबे ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिये गये निदेशानुसार मामले की जांच की गयी। कुलपति श्री आर.पी.तिवारी ने कहा कि मामला उनके कार्यभार ग्रहण करने से पहले का है। उनके पास इसके ज्यादा जानकारी नहीं है।

आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रोफेसर, एपी दुबे की अध्यक्षता वाली जांच समिति अवैध रूप से कार्यवाहक कुलपति द्वारा गठित की गई थी और इस समिति को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा 20.09.2014 को ऐसी अन्य जांच समितियों के साथ भंग कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि जब उसने डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में एसोसिएट प्रोफेसरशिप के लिए

आवेदन किया था तो उसके पास 10 साल से अधिक का अनुभव था। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि उस समय लागू यूजीसी नियम 2010 में वेतनमान और पे बेंड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि यह कोई सामान्य विज्ञापन नहीं था, बल्कि 30.10.2010 का एक रोलिंग विज्ञापन था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि के बावजूद पूरे वर्ष भी एक रोलिंग तंत्र के तहत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि एक आक्षेपित समाचार के प्रकाशन से उनकी छवि/प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और यह मानहानिकारक है। उन्होंने कहा है कि शैक्षणिक योग्यता और सेवा अनुभव के उनके सभी प्रमाणपत्रों को विश्वविद्यालय द्वारा सीबीएसई, बीएचयू और वनस्थली विद्यापीठ से सत्यापित किया गया है और सभी सही पाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि डॉ. संदीप सबलोक अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके, उनकी पदोन्नति को रोक रहे हैं, जैसा कि समाचारपत्र ने स्वयं प्रकाशित किया है।

प्रतिवादी संपादक को 20.01.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने 03.03.2020 को परिषद के सचिवालय में प्राप्त अदिनांकित लिखित वक्तव्य के माध्यम से, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि आक्षेपित समाचार, तथ्यात्मक दस्तावेजों के आधार पर और विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर करने के लिए प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति ने शिकायतकर्ता डॉ. अनुपमा कौशिक की नियुक्ति के संबंध में जून 2014 में चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के साथ संलग्न किए गए अनुभव प्रमाण पत्र में और विश्वविद्यालय में आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र में

विसंगति है, जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने अपने लाभ के लिए विश्वविद्यालय को गुमराह किया है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि विवादित समाचार में इस्तेमाल किया गया शब्द "चहेते" (पसंदीदा) न केवल शिकायतकर्ता के लिए है, बल्कि सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए है। प्रतिवादी ने कहा कि समाचार के प्रकाशन से, पहले अखबार के रिपोर्टर ने विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार, जनसंपर्क अधिकारी और विश्वविद्यालय के कुलपति की राय जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस संबंध में जानकारी नहीं दी। तब अखबार के रिपोर्टर ने समिति के अध्यक्ष श्री ए.पी. दुबे से संपर्क किया और उनका वक्तव्य अखबार में प्रकाशित किया गया। उन्होंने कहा है कि समाचार प्रकाशित होने के बाद, डॉ. अनुपमा कौशिक ने संबंधित रिपोर्टर पर खंडन प्रकाशित करने के लिए दबाव डाला, लेकिन रिपोर्टर ने विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट की मांग की, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 24.06.2021 को प्रति टिप्पणियों के माध्यम से अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा है कि समाचार प्रोफेसर, ए.पी. दुबे की अध्यक्षता में अवैध रूप से गठित समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। उन्होंने कहा है कि कार्यवाहक कुलपति, प्रोफेसर कसाना द्वारा अवैध रूप से समिति का गठन किया गया था और इस समिति को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 20.09.2014 को भंग कर दिया गया था। कार्यकारी परिषद ने यह भी निदेश दिया कि इस समिति सहित भंग की गई जांच समितियों की रिपोर्ट की कोई कानूनी वैधता नहीं होगी और उन्हें कुलपति सचिवालय में सीलबंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विज्ञापन में वेतनमान की आवश्यकता नहीं थी, सहायक प्रोफेसर के रूप में केवल आठ साल का अनुभव आवश्यक था, जो उनके पास था।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रोफेसर ए.पी. दुबे अवैध समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अखबार को यह नहीं बताया कि समिति अवैध थी और इसे वापस भंग कर दिया गया था और रिपोर्ट का उपयोग नहीं किया जाना था और इसे सीलबंद रखा जाना था, लेकिन प्रतिवादी अखबार ने उनसे संपर्क करने की जरूरत नहीं समझी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, उनकी सेवा की पुष्टि 25.08.2015 को की गई थी और उन्हें 28.05.2016 से प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया था, जो यह दर्शाता है कि प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित समाचार गलत था।

प्रतिवादी से प्राप्त प्रत्युत्तर

प्रतिवादी संपादक ने अपने प्रत्युत्तर पत्र दिनांक 18.01.2021 द्वारा परिषद को सूचित किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा स्थानीय संवाददाता पर अनैतिक दबाव डाला जा रहा है, जबकि सचचाई यह है कि यह खबर सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालय में व्याप्त उच्च स्तर की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रकाशित की गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा खबर का खंडन प्रकाशित करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस खबर को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी है। हालांकि, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस खबर को लेकर प्रेस नोट जारी करता है, तो उसे भी प्रकाशित किया जायेगा। प्रतिवादी ने यह भी बताया कि शिकायत के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों और आरटीआई के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के बीच काफी अंतर है।

शिकायतकर्ता से प्राप्त अगला पत्र

शिकायतकर्ता डॉ. (सुश्री) अनुपमा कौशिक ने अगले पत्र दिनांक 20.2.2021 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि संपादक ने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है

कि उक्त रिपोर्ट अवैध रूप से गठित जांच समिति से ली गई थी। डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति ने 20.9.2014 को आयोजित अपनी 14वीं बैठक में इस समिति के साथ-साथ ऐसी अन्य जांच समितियों द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट वापस ले लीं। कार्यकारी परिषद ने यह भी निदेश दिया कि इस समिति सहित भंग की गई जांच समितियों की रिपोर्ट की कोई कानूनी वैधता नहीं होगी और उन्हें कुलपति सचिवालय में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय को उक्त रिपोर्ट आरटीआई में नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन विश्वविद्यालय में उनके जैसे बाहरी लोगों के खिलाफ, प्रोफेसर ए.पी. दुबे के नेतृत्व में एक स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जो उन्हें परेशान करना चाहता है, ताकि वह अपना पद छोड़ दें और वह अपने लोगों को उनके पद पर बैठा सकें। यही एक कारण है कि विश्वविद्यालय की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। उन्होंने आगे कहा कि न केवल 2020 तक उनकी पदोन्नति रोकी गयी, बल्कि प्रतिवादी समाचार पत्र द्वारा अपमानजनक समाचार के प्रकाशन से उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वह एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य नहीं थीं और यह भी कि वह पुरुष कुलपतियों की पसंदीदा थीं। उन्होंने परिषद से मामले में फैसला देने का अनुरोध किया है, क्योंकि अब एक वर्ष से अधिक समय बीत गया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 2.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता ने वर्चुअल मोड से सुनवाई में भाग लिया, प्रतिवादी समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व श्री सुरेंद्र सेन ने किया।

यह शिकायत दिनांक 24.10.2019 को डॉ. (सुश्री) अनुपमा कौशिक, प्रोफेसर एवं प्रमुख, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) द्वारा संपादक, राज एक्सप्रेस, भोपाल के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 09.09.2019 में "फाइलों में दबी शिक्षक भर्ती घोटाले की

जांच" शीर्षक के तहत, फर्जी, भ्रामक और मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने प्रके लिए दर्ज की गई है।

डॉ. कौशिक का कहना है कि पूरी खबर झूठी है और इस खबर के प्रकाशित होने से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। प्रतिवादी समाचारपत्र ने उसका पक्ष प्रकाशित नहीं किया है। राज एक्सप्रेस के संपादक द्वारा श्री सुरेंद्र सेन को जांच समिति के समक्ष उनका पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया गया है। जांच समिति ने उनसे संपादक से संपर्क कर यह पता लगाने को कहा कि यदि डॉ. कौशिक अपना पक्ष राज एक्सप्रेस अखबार को भेजेगी, तो राज एक्सप्रेस उसे प्रमुखता से प्रकाशित करेगा या नहीं। संपादक, श्री संजय मेहता के निदेश पर, श्री सुरेंद्र सेन, जो संपादक, राज एक्सप्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, का कहना है कि संपादक ऐसा करने के लिए सहमत हो गए हैं। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि राज एक्सप्रेस समाचारपत्र के संपादक को निदेश देते हुए, कि वह डॉ. (सुश्री) अनुपमा कौशिक का वर्तन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर, उसे प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करे, शिकायत को समाप्त किया जा सकता है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करके कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त निदेशों के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.10-12

फ़ा.सं. 623-624&1637/2020-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री एस. श्रीकुमार श्रीधरन,
अक्करकुन्नाथु, रेवती,
ममपल्लीकुन्नम,
चथन्नूर, केरल

प्रतिवादी

1. संपादक,
जन्मभूमि दैनिक,
त्रिवेन्द्रम।
2. संपादक,
मातृभूमि,
कोझिकोड।
3. संपादक,
केरल कौमुदी,
त्रिवेन्द्रम।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

दिनांक 9.5.2020 की ये शिकायतें श्री एस. श्रीकुमार श्रीधरन, चथन्नूर, केरल द्वारा (1) "जन्मभूमि दैनिक" (2) "मातृभूमि दैनिक" और (3) केरल कौमुदी के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 09 मई 2020 में क्रमशः "*Young Lady at home after having violated quarantine*", "*Action following law against five persons for violation quarantine norms whilst undergoing government institutional quarantine*" और "*Five persons jumped institutional quarantine – Traced, returned and a case registered*" (शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया अंग्रेजी अनुवाद) शीर्षकों के तहत कथित रूप से अपमानजनक और निराधार समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई हैं।

समाचारों में बताया गया कि एक युवती ने राज्य की सीमा पार करने के बाद कोविड-19 क्वारंटाइन प्रोटोकॉल के मानकों का उल्लंघन किया है। महिला चेन्नई में कार्यरत थी और उसे उसके पिता और बहन द्वारा कार से चेन्नई से वापस लाया गया था। एरियानकवुशे पहुंचने पर, अधिकारियों द्वारा कोल्लम में कार्तिका होटल में उन्हें सरकारी संस्थागत क्वारंटाइन का निदेश दिया गया और इसके साथ ही उनके पिता और बहन को होम क्वारंटाइन का निदेश दिया गया। हालांकि, युवती के पिता होटल की सुविधाओं का जिक्र करते हुए, उसे कार्तिका होटल से अपने घर ले आए। बाद में, चथन्नूर पुलिस अधिकारियों द्वारा उस युवती को एम्बुलेंस द्वारा वापस कोल्लम के क्वारंटाइन केंद्र में लाया गया और एक पुलिस मामला दर्ज किया गया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि समाचार झूठे, मानहानिकारक और अप्रमाणित तथ्य वाले हैं। उन्होंने विवेचित किया कि वह 7 मई 2020 की रात को अपनी दो बेटियों के साथ तमिलनाडु से केरल जा रहे थे। उन्हें आर्यनकावु में केरल अंतरराज्यीय सीमा पर चेक-पोस्ट द्वारा क्वारंटाइन की सलाह दी गई थी, जहां अधिकारियों ने उन्हें घर पर क्वारंटाइन करने के लिए कहा और उनकी दो बेटियों को एक संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र में क्वारंटाइन करने की सलाह दी गई। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि 7 मई 2020 की देर रात को कोई महिला कर्मचारी/नर्स नहीं होने के कारण, जगह असुरक्षित लगने पर, उसने राज्य क्वारंटाइन केंद्र में अपर्याप्त सुविधाओं के संबंध में, पुलिस शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने कोल्लम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि बाद में उन्हें एक और क्वारंटाइन सेंटर में रहने का सुझाव दिया गया, लेकिन वैध कारणों से, उन्होंने क्वारंटाइन में अपनी बेटियों के रहने के लिए इसे सुरक्षित नहीं समझा और उन्होंने 8 मई 2020 को राज्य स्वास्थ्य मंत्री को राज्य क्वारंटाइन केंद्रों पर अपर्याप्त प्रबंधन के बारे में एक पत्र लिखा। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त कारणों से वह अपनी दोनों बेटियों को घर ले आये और उन सभी ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया। उन्होंने कहा है कि

प्रतिवादी समाचारपत्रों ने कथित तौर पर झूठी खबर प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जो उनके अनुसार झूठी है, क्योंकि उन्होंने राज्य क्वारंटाइन केंद्र में अपर्याप्त प्रबंधन के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की थी और साथ-साथ हर बार राज्य को अपनी गतिविधियों की सूचना दी थी। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी समाचारपत्रों ने उसकी अनुमति के बिना उसके घर की तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं और उसके खिलाफ अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने से पहले उससे किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं की है।

(1) "जन्मभूमि दैनिक" और (2) "मातृभूमि दैनिक" को 02.09.2020 को और (3) केरल कौमुदी को 13.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

प्रतिदिन मातृभूमि दैनिक का लिखित वक्तव्य

मातृभूमि दैनिक के संपादक ने दिनांक 17.9.2020 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि मातृभूमि में कथित "झूठी, अपमानजनक और अप्रमाणित खबरों के प्रसारण" पर शिकायतकर्ता की आपत्ति गलत और निराधार है। शिकायतकर्ता ने अपनी पहचान के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया। रिपोर्ट में केवल जगह का नाम [जो प्रासंगिक है] दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने समाचार में कहीं भी यह नहीं कहा है कि शिकायतकर्ता या उसके साथ कोई भी "फरार" हो गया। प्रतिवादी ने क्वारंटाइन का "उल्लंघन" (मलयालम में लैंगिचू) किया गया है, शब्द का प्रयोग किया है। सामान्य शब्द, शिकायतकर्ता के "बच्चे" का इस्तेमाल किया गया है और उनके लिंग का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता ने चतुराई से इस बात से इनकार नहीं किया है कि पुलिस द्वारा उसके और दो अन्य लोगों के खिलाफ क्वारंटाइन के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, न ही उन्होंने समाचार रिपोर्ट में बताए गए किसी भी तथ्य की सच्चाई से इनकार किया है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि

समाचार के प्रकाशन के समय, लॉकडाउन लागू था। यह सामयिक महत्व की खबर थी कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई होगी। उस समाचार को प्रसारित करना लोगों को क्वारंटाइन नियमों का पालन करने की गंभीरता के बारे में जागरूक करने की प्रेस की प्रतिबद्धता का हिस्सा था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उन्हें नहीं पता कि नियमों में क्वारंटाइन संस्थानों में महिला कर्मचारियों की उपस्थिति पर जोर दिया गया या नहीं। यदि ऐसा कोई नियम है, और कार्तिका क्वारंटाइन केंद्र में कोई महिला कर्मचारी नहीं थी, तो शिकायतकर्ता को संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था और उनके निदेशों का पालन करना चाहिए था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि यदि सुदर्शन होटल को आधिकारिक तौर पर नामित नहीं किया गया था, तो उसे श्री रामभद्रन को इसके बारे में बताना चाहिए था, जो शिकायतकर्ता के अनुसार कोल्लम कलेक्टरेट में कोरोना नियंत्रण कक्ष के प्रभारी थे।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि मातृभूमि का समाचारपत्र प्रभाग, त्रिवेन्द्रम स्थित टेलीविजन नेटवर्क से एक अलग और भिन्न इकाई है। प्रत्येक के पास समाचार एकत्र करने के लिए अपने अपने कर्मचारी हैं, और उनके प्रकाशन पर निर्णय लेने के लिए संपादक हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इकाइयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है और व्यावहारिक रूप से, वे बाहरी लोगों से प्राप्त सूचना के बारे में एक-दूसरे को सूचित नहीं रख सकते हैं। हालाँकि, पूछताछ करने पर, प्रतिवादी को पता चला कि शिकायतकर्ता ने 8 मई 2020 को दोपहर 2:41 बजे, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (das@traai.gov.in) को एक ईमेल भेजा था, जिसमें ट्राई से उक्त समाचार को उस दिन दोपहर 1:30 बजे, प्रसारित करने के लिए, मातृभूमि न्यूज टीवी चैनल और एशियानेट न्यूज टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था और उक्त ईमेल की एक प्रति मातृभूमि न्यूज टीवी चैनल और एशियानेट न्यूज टीवी चैनल को चिन्हित की गई थी। हालाँकि, इस ईमेल पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ट्राई को संबोधित था, मातृभूमि न्यूज टीवी चैनल के समाचार प्रमुख ने अब इस प्रतिवादी

को सूचित किया है कि कथित समाचार का प्रसारण शिकायतकर्ता और दो अन्य के खिलाफ, क्वारंटाइन मानकों का उल्लंघन करने के लिए दर्ज एफआईआर पर आधारित था और उक्त प्रसारण में पुलिस का पक्ष भी शामिल है। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

मातृभूमि के संबंध में प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 28.10.2020 को अपनी प्रति टिप्पणियों में बताया है कि उसकी शिकायत केंद्र यही है कि वह एक जिम्मेदार नागरिक है, जिसने समय पर और उचित रूप से पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों और उनके माध्यम से, केरल राज्य सरकार को उनके और उनकी बेटियों द्वारा अनुभव की गई स्थिति के बारे में बताया था और इस प्रकार उनके कार्यों और ठिकानों के बारे में सरकार को समय-समय पर सूचित किया गया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने उपलब्ध कराये गए अनुवाद में कभी भी "फरार" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और केवल 'उल्लंघन' शब्द का इस्तेमाल किया है और उसके बच्चों के लिंग का भी 'रंडू पेनमार्ककल' शब्द द्वारा आक्षेपित समाचार लेख में उल्लेख किया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने "क्राफिटली" शब्द के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि कथित एफआईआर के बारे में आक्षेपित समाचार लेख के माध्यम से ही उन्हें पता चला था। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि महज एक तरफा जांच, जिसे वे "तत्परता से जांच और कार्रवाई" कहते हैं, अनुचित है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि केरल सरकार की कोविड-19 जगराथा वेबसाइट के अनुसार, आर्यनकावु चेक-पोस्ट पर उन्हें प्रवेश स्लॉट, 7 मई 2020 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक आवंटित किया गया था और वे समय पर निजी कार से 15:15 बजे पहुँच गए और उसके बाद उनकी विभिन्न प्रकार से जांच की गई।

जन्मभूमि दैनिक का लिखित वक्तव्य

जन्मभूमि के प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 28.09.2020 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि शिकायत, तोड़-मरोड़ कर दिये गए तथ्यों पर आधारित है और इसलिए यह अप्रामाणिक है और अस्वीकार किए जाने योग्य है। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता के घर की फोटो प्रकाशित करने का आरोप गलत है। उनके अनुसार, उन्होंने एक एंबुलेंस की फोटो प्रकाशित की थी। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता का यह आरोप कि पुलिस ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, बल्कि शिकायतकर्ता ने ही पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की थी, यह बिल्कुल असत्य, आधारहीन और झूठ है। उन्होंने कहा है कि लागू लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ कोल्लम पूर्व पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 1583/2020 दर्ज की गई है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उनके समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार में पत्रकारिता आचारनीति का कड़ा पालन किया गया है और ऐसी कोई भी कार्रवाई, जिसकी शिकायतकर्ता द्वारा मांग की गई है, अनपेक्षित है। उन्होंने परिषद से इस मामले में आगे कार्यवाही बंद कर देने का अनुरोध किया है।

जन्मभूमि के संबंध में शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 19.11.2020 को अपनी प्रति टिप्पणियों में विवेचित किया है कि शिकायत का केंद्र यही है कि वह एक जिम्मेदार नागरिक है, जिसने समय पर और उचित रूप से पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों और उनके माध्यम से, केरल राज्य सरकार को उनके और उनकी बेटियों द्वारा अनुभव की गई स्थिति के बारे में बताया था और इस प्रकार उनके कार्यों और ठिकानों के बारे में सरकार को समय-समय पर सूचित किया गया। शिकायतकर्ता ने 7 मई 2020 को कोल्लम पूर्व पुलिस स्टेशन में उसके द्वारा दर्ज की गई शिकायत की रसीद की एक फोटोकॉपी भी संलग्न की है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि समाचार लेख की एकतरफा रिपोर्टिंग ने उसकी और उसकी बेटियों, दोनों की गोपनीयता का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार

की पहली पंक्ति में, उनका पूरा पता, अर्थात् अक्करकुन्नाथु, ममपल्लीकुन्नम, चथन्नूर दिया गया है, शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि फोटो से पता चलता है कि यह उनके आवास का सामने का हिस्सा है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज तथाकथित एफआईआर के संबंध में जवाब देने के लिए उसे आज तक कोई समन नहीं दिया गया है। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और उक्त प्रतिवादी समाचारपत्र को उन्हें और उनकी बेटियों को मुआवजा देने का निदेश देने का अनुरोध किया है।

केरल कौमुदी द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

केरल कौमुदी के प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 29.04.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि मई 2020 के दौरान महामारी कोविड-19 का प्रकोप अपने चरम पर था और क्वारंटाइन दिशानिर्देशों और निदेशों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। उन्होंने आगे कहा है कि इस संबंध में पुलिस ने उल्लंघन के मामले भी दर्ज किए हैं और आम जनता को दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने और उल्लंघन के मामले में परिणामों से अवगत कराने के लिए समाचार प्रसारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि बिना अनुमति के क्वारंटाइन सेंटर छोड़ने वाले व्यक्तियों के मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में शहर पुलिस आयुक्त द्वारा समाचारपत्र के नोटिस में लाया गया था और प्राप्त जानकारी और पुलिस से प्राप्त विवरण के आधार पर समाचार प्रकाशित किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता ने समाचार का केवल आंशिक वर्तन दिया है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि समाचार में केवल शिकायतकर्ता का विवरण बताया गया था और उसकी बेटियों का कोई विवरण प्रकाशित नहीं किया गया था। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि शिकायत को खारिज कर दिया जाए और फाइल को यह कहते हुए बंद कर दिया जाए कि समाचार प्रकाशित करने में दैनिक की ओर से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

केरल कौमुदी के संबंध में शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता, श्री श्रीकुमार, चथन्नूर, केरल ने दिनांक 29.06.2021 को प्रति टिप्पणियों के माध्यम से अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा है कि वह एक जिम्मेदार नागरिक है, जिसने समय पर और उचित रूप से पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों और उनके माध्यम से, केरल राज्य सरकार को उनके और उनकी बेटियों द्वारा अनुभव की गई स्थिति के बारे में बताया था और इस प्रकार उनके कार्यों और ठिकानों के बारे में सरकार को समय-समय पर सूचित किया गया। शिकायतकर्ता ने 7 मई 2020 को कोल्लम पूर्व पुलिस स्टेशन में उसके द्वारा दर्ज की गई शिकायत की रसीद की एक फोटोकॉपी भी संलग्न की है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि समाचार लेख की एकतरफा रिपोर्टिंग ने उसकी और उसकी बेटियों, दोनों की गोपनीयता का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार की पहली पंक्ति में, उनका पूरा पता, अर्थात् अक्करकुन्नाथु, ममपल्लीकुन्नम, चथन्नूर दिया गया है, शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि फोटो से पता चलता है कि यह उनके आवास का सामने का हिस्सा है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज तथाकथित एफआईआर के संबंध में जवाब देने के लिए उसे आज तक कोई समन नहीं दिया गया है। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और उक्त प्रतिवादी समाचारपत्र को उन्हें और उनकी बेटियों को मुआवजा देने का निदेश देने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 2.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता ने वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में भाग लिया, श्री बी.जी. भास्कर, अधिवक्ता और श्री अनिल प्रताप, विधि अधिकारी, प्रतिवादी समाचारपत्र मातृभूमि की ओर से उपस्थित हुए और प्रतिवादी समाचार पत्र केरल

कौमुदी की ओर से श्री अलजो जोसेफ, अधिवक्ता के साथ श्री प्रसून कंदाथ, विशेष संवाददाता उपस्थित हुए। प्रतिवादी जन्मभूमि समाचार पत्र की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

इन तीनों शिकायतों को एक साथ लिया जा सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता एक ही है और उसकी शिकायत भी एक ही है। हालाँकि, प्रतिवादी समाचारपत्र भिन्न हैं। श्री एस. श्रीकुमार श्रीधरन की शिकायत यह है कि समाचार पत्र (i) जन्मभूमि दैनिक (ii) मातृभूमि और (iii) केरल कौमुदी, मलयालम दैनिक ने शिकायतकर्ता और उनकी बेटी द्वारा कथित क्वारंटाइन रेगुलेशन उल्लंघन के संबंध में अपने समाचार पत्रों में अपमानजनक समाचार प्रकाशित किया है। अन्य बातों के साथ-साथ उनका मामला यह है कि इन तीन शिकायतों को समाप्त किया जा सकता है, यदि इन समाचारपत्रों के संपादक शिकायतकर्ता के पक्ष को प्रकाशित करने के लिए सहमत हों।

समाचारपत्रों के परामर्शदाता ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी प्रकाशित किया है, वह बिलकुल सच है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उस पर पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है, इसलिए शिकायतकर्ता के पक्ष को प्रकाशित करने का कोई सवाल ही नहीं है। दोष स्वीकार करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा शिकायतकर्ता पर वास्तव में जुर्माना लगाया गया है। इसलिए, प्रेस परिषद के लिए यह संभव नहीं है कि वह संबंधित समाचारपत्रों को शिकायतकर्ता का पक्ष प्रकाशित करने का निदेश दे, लेकिन जब समाचार प्रकाशित हुआ, तो मामला ताजा था और कोई दोषसिद्धि नहीं थी। उस समय, श्री एस. श्रीकुमार का पक्ष प्राप्त करना और उसे प्रकाशित करना संपादकों का दायित्व था। यह अच्छी पत्रकारिता का पहला सिद्धांत है, जिसका पालन हर अच्छा पत्रकार करता है और निस्संदेह उस सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। इन परिस्थितियों में जांच समिति परिषद से शिकायतों को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.13-14

फ़ा.सं. 14/419 & 613/18-19-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री अनिलकुमार बाबूराव सोनकमले,
औरंगाबाद,
महाराष्ट्र।

प्रतिवादी

1. संपादक,
दैनिक लोकमत,
औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
2. संपादक,
दिव्य मराठी,
औरंगाबाद, महाराष्ट्र।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 8.11.2018 को श्री अनिलकुमार बाबूराव सोनकमले, औरंगाबाद, महाराष्ट्र द्वारा (1) दैनिक लोकमत और (2) दिव्य मराठी के विरुद्ध उनके निम्नलिखित संबंधित अंकों में कथित तौर पर "दलित" शब्द का उपयोग करने के लिए दर्ज की गई है:

क्र.सं.	शीर्षक (हिंदी वर्तन)	समाचारपत्र	दिनांक
1	दलित बस्ती सुधार योजना लंबित	लोकमत	10.12.2018
2	दलित बस्ती के 24 करोड़ रुपये के विकास कार्यक्रम ठंडे बस्ते में	दिव्य मराठी	17.1.2019

शिकायतकर्ता ने समाचारों में 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। उनके अनुसार, अखबारों ने दलित शब्द का इस्तेमाल कर, समाज के एक खास वर्ग के साथ दुर्व्यवहार और उसका अपमान किया है। इसलिए प्रतिवादी समाचार पत्रों ने वृत्तिक कदाचार किया है। उनके अनुसार, दोनों खबरें महाराष्ट्र

सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में जिला परिषद के माध्यम से, इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए चलाई जा रही योजना से संबंधित हैं। महाराष्ट्र सरकार को अपनी गलती का पता चला कि योजना का शीर्षक दलित वस्ति सुधार योजना रखा गया था, इसलिए उन्होंने इस योजना का नाम बदलकर जिला परिषद समाज कल्याण योजना कर दिया, हालांकि उन अखबारों ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से, दलित शब्द का प्रयोग कर समाज के इस वर्ग पर हावी होने के इरादे से ऐसी खबर प्रकाशित की थी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह "दलित" शब्द के इस्तेमाल, को अनुसूचित जाति के लोगों के वर्ग का अपमान मान रहा है और प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी गलत इरादे से उक्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा है।

लोकमत का लिखित वक्तव्य

कारण बताओ नोटिस दिनांक 4.9.2019 के उत्तर में, श्री सैयद अरशद अली, वरिष्ठ प्रबंधक-कानून, लोकमत ने दिनांक 9.11.2019 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी प्रतिकूल तर्कों और आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता ने यह शिकायत, उसे परेशान करने के उद्देश्य से दर्ज की गई है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उसका इरादा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या बड़े पैमाने पर समुदाय को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन आक्षेपित लेख जन-लाभ और जागरूकता के लिए प्रकाशित किया गया था, जिसका किसी को चोट पहुँचाने का या निराश करने का कोई इरादा नहीं था। शिकायतकर्ता ने लेख को अन्यथा ले लिया है, इसे पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाचार लेख किसी भी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से प्रकाशित नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि समाचार लेख उन्हें प्राप्त समाचार के अनुसार प्रकाशित किया गया था और यह प्रामाणिक है और इसमें शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। वास्तव में, समाचार को समाज और पाठकों को बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान

के बारे में सूचित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता लेख को पूरा पढ़ने में विफल रहा है और केवल दलित शब्द पढ़ा है, और इसलिए, ऐसी क्षतिकारक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा कोई अपमानजनक संदेश परिचालित नहीं किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, निर्णय प्रेम कुमार सिंह बनाम भारत सरकार के आधार पर था जिसका, भारत के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेस काउंसिल विनियम, 1979 के विनियमन 3 को देखते हुए याचिकाकर्ता को शिकायत करने की स्वतंत्रता देने के साथ निपटारा किया गया था। प्रतिवादी ने कहा है कि पूरी शिकायत, शिकायतकर्ता द्वारा कल्पना के आधार पर तैयार की गई है। प्रतिवादी ने इस शब्द का उपयोग अपमान करने के लिए नहीं किया है, बल्कि इसका उपयोग सुधार योजना के बारे में सूचित करने के लिए व्यापक अर्थ में किया गया है, इसलिए, समाचार लेख को पाठकों के लिए जानकारी के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा किसी भी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि यदि उक्त लेख से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वह क्षमा मांगता है, क्योंकि प्रतिवादी किसी व्यक्ति या जाति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

दिव्य मराठी का लिखित वक्तव्य

कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.10.2019 के उत्तर में, संपादक, दिव्य मराठी ने दिनांक 11.11.2019 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से विवेचित किया है कि उनके मन में जाति और धर्म से परे, समाज के सभी सदस्यों के प्रति पूरा सम्मान है। उनके अखबार का इरादा कभी भी समाज के किसी भी सदस्य को उसकी जाति और धर्म के आधार पर अपमानित करने का नहीं रहा है। प्रतिवादी के अनुसार उक्त शब्द का प्रयोग समाज के किसी विशेष वर्ग को नामित करने के लिए नहीं किया गया है। प्रकाशित समाचार में उस योजना का जिक्र किया गया

है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए ठीक से लागू नहीं की गई है। वास्तव में, प्रकाशित समाचार आम जनता के ध्यान में लाता है कि संबंधित सरकारी अधिकारियों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के उत्थान के लिए योजना को ठीक से लागू नहीं किया है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि समाचार में प्रयुक्त उक्त शब्द, जिला परिषद द्वारा कार्यान्वित योजना के नाम के संदर्भ में है। 'दलित वस्ती' शब्द का प्रयोग जिला परिषद के कार्यालय से जानकारी लेकर किया गया था और इसका प्रयोग योजना के संबंध में किया गया है, न कि समाज के किन्हीं विशेष सदस्यों के संबंध में। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि 'दलित वस्ती' शब्द का उपयोग किए बिना, आम जनता और सरकारी प्राधिकारियों के ध्यान में यह लाना संभव नहीं था कि योजना लागू नहीं की गई है। दरअसल, अखबार द्वारा योजना लागू करने के बारे में ध्यानाकृष्ट करने का प्रयास किया गया और एससी/एसटी के किसी भी सदस्य को कभी भी अपमानित नहीं किया गया। प्रतिवादी ने कहा कि अखबार समाज के प्रत्येक सदस्य के प्रति पूरा सम्मान रखता है और किसी को भी उनकी जाति और धर्म के आधार पर अपमानित करने की कोई मंशा या जानबूझकर और जानबूझकर प्रयास नहीं किया गया है। उनका अखबार किसी भी समाचार लेख को प्रकाशित करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतता है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि यदि किसी समाचार से समाज के किसी सदस्य की भावना को ठेस पहुंची है, तो वह इसके लिए क्षमा मांगता है। प्रतिवादी ने आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में एससी/एसटी के संबंध में समाचार प्रकाशित करने से पहले यह ध्यान रखेगा।

लोकमत दैनिक मराठी से प्राप्त अगला पत्र

श्री सुधीर महाजन, संपादक, लोकमत दैनिक मराठी ने दिनांक 16.3.2021 को अपने अगले उत्तर में अपने पहले के उत्तर को दोहराते हुए कहा है कि समाचार लेख, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार, झुग्गी-

झोपड़ी विकास की सरकारी योजनाओं को पूरा न करने, और उनकी विफलताओं और "दलित बस्ती सुधार योजना", महाराष्ट्र सरकार द्वारा समाज में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए शुरू की गई योजना का अनुपालन न करने के बारे में था। उक्त समाचार में "दलित" शब्द का प्रयोग ऐसे "अपमानजनक अर्थ" में नहीं किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों का अपमान करना हो। इसी मुद्दे पर शीर्ष अदालत के निर्णयों के संबंध में शिकायतकर्ता के संदर्भ का उल्लेख करते हुए, प्रतिवादी ने कहा कि अधिकतर निर्णयों में "अपमानजनक अर्थ" में एक शब्द के उपयोग पर अधिक जोर दिया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों का अपमान करना था। शीर्ष अदालत ने मीडिया को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करने की सलाह दी है जो अनुसूचित जाति के सदस्य का अपमान करते हैं। इसके अलावा, भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष ने एक लेख में कहा कि 'मीडिया में "दलित" शब्द के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

दिव्य मराठी से प्राप्त अगला पत्र

प्रतिवादी संपादक, दैनिक दिव्य मराठी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ने अपने उत्तर दिनांक 17.5.2021 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने "दलित" शब्द के उपयोग को रोकने के संबंध में विभिन्न परिपत्रों, सरकारी प्रस्तावों, न्यायालयों के निर्णयों का संदर्भ दिया है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि न्यायालयों के उक्त परिपत्र, संकल्प और निर्णय इस संदर्भ में हैं कि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को अपमानित और बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिवादी संपादक ने स्पष्ट किया कि उनके समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार लेख का उद्देश्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अपमानित या बेइज्जत करना नहीं था। प्रतिवादी के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के साथ हुए अन्याय को उजागर करने या उनकी मदद करने के उद्देश्य से आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया गया था।

उन्होंने आगे कहा है कि समाचार, जिसका शीर्षक था "दलित वस्त्या सुधार योजना", योजना के नाम को इंगित करता है और इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि, उक्त योजना सही तरीके से लागू नहीं की गई है और "दलित" शब्द का उपयोग अपमानजनक तरीके से नहीं किया गया है, ताकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य अपमानित और बेइज्जत न हो। उन्होंने आगे कहा है कि उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, प्रेस परिषद द्वारा कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस संबंध में पूरी सावधानी बरती जाएगी और "दलित" शब्द का प्रयोग बंद करने के संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों, सरकारी प्रस्तावों, न्यायालयों के निर्णयों के विपरीत कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 17.4.2023 को मुंबई में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ, श्री मनोज मधुसूदन देशमुख, सहायक प्रबंधक, लोकमत, श्री एच.एच. पडलकर, अधिवक्ता और श्री मंगेह अमले प्रतिवादी समाचारपत्रों की ओर से उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता अनिलकुमार बाबूराव सोनकमले उपस्थित नहीं हैं। उन्हें 31 मार्च, 2023 को नोटिस सेवित किया गया था। 13 अप्रैल, 2023 को एसएमएस भेजकर उन्हें फिर से दूसरा नोटिस सेवित किया गया है। हालांकि, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा महत्वपूर्ण है, हम उससे डील करेंगे, भले ही शिकायतकर्ता ने उपस्थित न रहने का विकल्प चुना हो। शिकायतकर्ता की शिकायत, दैनिक लोकमत और दैनिक दिव्य मराठी द्वारा दिनांक 10.12.2018 और 17.1.2019 के अंक में क्रमशः "दलित बस्ती सुधार योजना लंबित" और "दलित बस्ती के 24 करोड़ रु. के विकास कार्यक्रम ठंडे बस्ते में" (हिंदी वर्तन) शीर्षकों के तहत प्रतिवादी समाचारपत्रों ने अनुसूचित जाति के लोगों के कब्जे वाले इलाके के सुधार के लिए जिला परिषद, औरंगाबाद द्वारा शुरू

की गई योजना का उल्लेख किया है। दोनों अखबारों ने दलित शब्द का इस्तेमाल किया है। शिकायतकर्ता की आपत्ति 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने निर्णय दिया है कि 'दलित' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अनुसूचित जाति के लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष 2016 की जनहित याचिका संख्या 1146, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज आपराधिक अपील संख्या 8084/2009 और श्री प्रेम कुमार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दर्ज रिट याचिका का भी उल्लेख किया है।

जांच समिति ने समाचारों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। यह सच है कि समाचार में दलित शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन जांच समिति की राय में दलित शब्द का प्रयोग अपमानजनक अर्थ में नहीं किया गया है। अखबारों का ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य पर है कि अनुसूचित जाति के लोगों के इलाकों में सुधार के लिए जिला परिषद द्वारा शुरू की गई योजना, बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है, हालांकि उक्त योजना के लिए 24 करोड़ रुपये की भारी राशि आवंटित की गई है। अखबारों की मंशा बहुत सम्मानजनक है और वे चाहते हैं कि लोग अपना ध्यान इस पहलू पर केंद्रित करें और सरकार काम शुरू करे और जल्दी खत्म करे। दोनों अखबारों ने अपनी प्रतिक्रिया दाखिल की है। दिव्य मराठी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि यदि इस समाचार से अनुसूचित जाति समाज के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो दिव्य मराठी इसके लिए क्षमा चाहता है और भविष्य में अनुसूचित जाति के संबंध में कोई भी समाचार प्रकाशित करते समय ध्यान रखेगा।

दैनिक लोकमत ने दिनांक 8.11.2019 को अपने उत्तर में कहा है कि लोकमत, किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। यह लेख अनुसूचित जाति के लोगों के लाभ के लिए प्रकाशित किया गया, न कि उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए। आगे कहा गया है कि समाचार लेख नेक इरादे से प्रकाशित किया गया

था। कहा गया है कि यदि अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं तो लोकमत इसके लिए क्षमा चाहता है। लेखों, शिकायत और प्रतिवादियों की प्रतिक्रियाओं को उचित परिप्रेक्ष्य में पढ़ने के बाद, जांच समिति को लगता है कि प्रतिवादियों का इरादा अनुसूचित जाति के लोगों को चोट पहुंचाना नहीं था। पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के प्रासंगिक मानक इस प्रकार हैं:

4. जाति, धर्म या समुदाय का उल्लेख

(xvi) "दलित" शब्द/अभिव्यक्ति का उपयोग किसी समुदाय को भड़काने या अपमानित करने के लिए नहीं किया जाए।

जांच समिति का मानना है कि समुदाय को अपमानित करने या भड़काने के इरादे के लिए, प्रतिवादियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, जांच समिति, परिषद को सिफारिश करती है कि हलफनामे में व्यक्त क्षमा को स्वीकार करने और प्रतिवादियों को अनुसूचित जाति के लोगों के मामलों की रिपोर्ट करते समय भविष्य में सावधान रहने के लिए आगाह करने और शिकायत को बंद करने की परिषद से संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और प्रतिवादी समाचारपत्रों को सावधानी बरतने के लिए आगाह करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.15

मामला सं. 1889/2020-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री एस.एस. भागवत,
प्रभागीय वनाधिकारी,
फील्ड निदेशक का कार्यालय,
ताडोबा-अंधारी टाडगर रिजर्व,
चंद्रपुर, महाराष्ट्र।

प्रतिवादी

1. संपादक,
लोकमत समाचार
महाराष्ट्र।
2. श्री सहाय,
पत्रकार,
लोकमत समाचार,
चंद्रपुर, महाराष्ट्र।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 29.07.2020 को श्री एस.एस. भागवत, प्रभागीय वन अधिकारी, फील्ड निदेशक का कार्यालय, ताडोबा-अंधारी टाडगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र द्वारा समाचारपत्र लोकमत समाचार, महाराष्ट्र के संपादक और पत्रकार के खिलाफ अपने अंक दिनांकित 20.06.2020 में “**जानकारी मिलने पर भी वन विभाग ने जांच नहीं की**” शीर्षक के तहत कथित तौर पर गलत और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

आक्षेपित समाचार में ताडोबा अंधारी बाघ परियोजना क्षेत्र के कर्मियों की कथित अक्षमताओं पर रिपोर्ट दी गई थी। खबर में बताया गया कि सम्बद्ध कर्मों जंगल में शिकारियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि जून 2020 के पहले सप्ताह में, उसे टाडगर रिजर्व जंगल में कथित अवैध शिकार के संबंध में कुछ बिखरी हुई और अस्पष्ट जानकारी मिली और जांच शुरू करने में उसे 10 से 15 दिन लग गए,

क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य के बिना जांच नहीं की जा सकती थी। सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के बाद यह पता चला कि मामला उनके पर्यवेक्षण क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, लेकिन उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया। बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि अखबार ने सही तथ्य दिए बिना, वन विभाग और शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए झूठी खबरें प्रकाशित की हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि 23 जून 2020 को प्रतिवादी समाचारपत्र के संपादक को आक्षेपित समाचार के खिलाफ अपनी आपत्ति बताने के बाद भी उन्हें उनसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से प्रतिवादी अखबार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी नंबर 1 और 2 का लिखित वक्तव्य

श्री सैयद अरशद अली, वरिष्ठ प्रबंधक - विधि, लोकमत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर ने दिनांक 28.01.2021 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से, शिकायत में लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने आगे कहा कि उनके रिपोर्टर को विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने 1 या 2 जून 2020 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर के ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वन अधिकारी को बाघों और अन्य वन्यजीवों के अवैध शिकार के बारे में विशेष रूप से सूचित किया है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में जानवरों के संबंध में समाचार प्रकाशित किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि उक्त जानकारी अधिकारी को उस क्षेत्र का सीमांकन करने के साथ अवैध रूप से शिकार किए गए जानवरों की संख्या के विवरण के साथ दी गई थी, जहां शिकारियों द्वारा शिकार किए गए जानवरों के शवों का निपटान किया गया था। तथापि, टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने ऐसी सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि सूचक प्रकृति फाउंडेशन (एक गैर सरकारी संगठन) के निदेशक, वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक, श्री दीपक दीक्षित के पास गया और

उन्हें टाइगर रिजर्व में चल रही अवैध शिकार गतिविधियों के बारे में बताया। श्री दीक्षित ने मुख्य वन संरक्षक के अपर प्रमुख को सूचित किया, जिन्होंने सूचना प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई की और संबंधित अधिकारी को जांच करने का निदेश दिया। उक्त मामले में जांच करने पर 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपी व्यक्तियों के पास से टाइगर की 6 हड्डियां, मूछ के बाल और 5 नाखून जब्त किए गए। उन्होंने आगे कहा है कि सूचना की सत्यता से संतुष्ट होने पर, प्रतिवादी संपादक ने उक्त जांच के तथ्य प्रकाशित किये।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों में प्रस्तुत किया कि वन क्षेत्र में अवैध शिकार के मुद्दे पर समाचार कवरेज के संबंध में, प्रतिवादी द्वारा उससे संपर्क नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सूचक ने उन्हें अस्पष्ट जानकारी दी थी, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि जानकारी की कुछ पृष्ठभूमि के कारण, कुछ अन्य जांच एजेंसियों ने सावधानी बरतने की सलाह दी थी। शिकायतकर्ता इस बात पर भी सहमत थे कि उसने सूचना मिलने पर वहां तत्काल छापेमारी नहीं की, क्योंकि प्राप्त सूचना अपर्याप्त थी। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने एनजीओ के श्री दीक्षित को छापे की सीमाएं समझाईं और उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस पर काम कर रहे हैं और उन्हें कुछ दिनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह सुस्त नहीं हैं और सूचना मिलने पर काम कर रहे हैं।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 17.4.2023 को मुंबई में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था, श्री मनोज मधुसूदन देशमुख, सहायक प्रबंधक, लोकमत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता, प्रभागीय वन अधिकारी, क्षेत्र निदेशक कार्यालय, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व चंद्रपुर, महाराष्ट्र है। उन्होंने संपादक, लोकमत समाचार, महाराष्ट्र और श्री सहाय, पत्रकार, लोकमत समाचार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनके अनुसार, अखबार ने वन विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और शिकायतकर्ता को अपमानित और बदनाम करने के लिए झूठी खबर प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है "जानकारी मिलने पर भी वन विभाग ने जांच नहीं की" शिकायतकर्ता मौजूद नहीं है। लोकमत समाचार के सहायक प्रबंधक-विधि, श्री मनोज देशमुख उपस्थित हैं। शिकायतकर्ता को 31 मार्च 2023 को नोटिस भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरा नोटिस दिनांक 13.4.2023 को शिकायतकर्ता को एक ईमेल द्वारा सुनवाई की तारीख और सुनवाई के स्थान के बारे में सूचित करते हुए जारी किया गया था। परंतु शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता को मामले पर आगे मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए, जांच समिति, शिकायतकर्ता के पैरवी न करने पर, परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करती है और शिकायतकर्ता के पैरवी न करने पर, शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं. 16

फ़ा.सं. 1824/2020-ए/पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री सुनील सुभाषचंद्र सोनी,
मेसर्स कलिका स्टील अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड,
न्यू एमआईडीसी,
जालना, महाराष्ट्र।

प्रतिवादी

संपादक,
गोकुलनीति,
जालना, महाराष्ट्र।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 13.07.2020 को श्री सुनील सुभाषचंद्र सोनी, मैसर्स कलिका स्टील अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, न्यू महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी), जालना (महाराष्ट्र) द्वारा संपादक, गोकुलीति, जालना के विरुद्ध कथित तौर पर झूठी और अपमानजनक खबरें तथा मनगढ़ंत चित्र प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। आक्षेपित समाचारों की तारीख और शीर्षक (हिंदी वर्तन) निम्नानुसार हैं: -

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1	शीर्षक "जालना के एमआईडीसी में कलिका स्टील कंपनी से निकलने वाली प्रदूषित गैस के कारण वातावरण में प्रदूषण पैदा हो रहा है के साथ कंपनी की फोटो। उसी की यह तस्वीर है, जो कंपनी की गैरजिम्मेदारी की ओर इंगित करती है। इसलिए, क्षेत्र में नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है।"	01.06.2020
2	जालना में कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ - औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण में जबरदस्त बढ़ोतरी	22.06.2020
3	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सबक कौन सिखाएगा - जालना की जनता का स्वास्थ्य खतरे में	28.06.2020

4	कालिका स्टील कंपनी ने एमआईडीसी में सड़क में बाधा उत्पन्न की	01.07.2020
5	औद्योगिक क्षेत्र में जीएसटी की चोरी?	15.07.2020

आक्षेपित समाचारों में शिकायतकर्ता की कंपनी, अर्थात्, मेसर्स कलिका स्टील कंपनी के खिलाफ क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने और इस तरह वहां के जन जीवन को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता की कंपनी पर जीएसटी चोरी का भी आरोप लगा।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंपनी संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद ही इसे नवीनीकृत किया जाता है। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि संपादक को उनके पिता सहित 29.06.2019 को, उनके खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और यही एकमात्र कारण है, जिसके लिए वह इन निराधार लेखों को प्रकाशित कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी-संपादक ने अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए इस मंच का अनुचित लाभ उठाया है। संपादक द्वारा प्रकाशित किए गए समाचार आधारहीन, निराधार, मानहानिकारक हैं और प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के किसी भी साक्ष्य के बिना हैं और केवल अतीत में उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संपादक ने व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए, प्रेस परिषद द्वारा बनाए गए आचरण के वृत्तिक मानकों से परे जाकर काम किया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि संपादक द्वारा की गई कार्रवाई उनके अखबार के माध्यम से, पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन है एवं मानहानि करने का कार्य IPC, 1860 की धारा 499 के तहत अपराध है और दंड संहिता की धारा 500 के तहत एक दंडनीय है। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से प्रतिवादी संपादक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसकी परिनिंदा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने दिनांक 29.07.2020 के नोटिस के माध्यम से, प्रतिवादी संपादक का ध्यान आकर्षित किया।

दिनांक 28.10.2020 को प्रतिवादी संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक, गोकुलनीति ने दिनांक 14.11.2020 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने उनके और उनके पिता के खिलाफ धारा 406, 420, 34-IPC के अंतर्गत दिनांक 23.06.2019 को एफआईआर संख्या 2021/2019 के तहत चंदन जीरा जालना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उन्हें माननीय सत्र न्यायालय, जालना द्वारा पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, जबकि माननीय न्यायालय ने उन्हें 27.06.2019 के आदेश द्वारा सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया था। इसलिए, पुलिस हिरासत रिमांड का कोई सवाल ही नहीं उठता है, एफआईआर संख्या 202/2019 रद्द करने के लिए 02.07.2019 को औरंगाबाद में, बॉम्बे बेंच के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत 2019 की आपराधिक आवेदन संख्या 2175 द्वारा चुनौती दी गई। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि यह मामला औरंगाबाद के माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज घोषणा कि कानून की किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, पूरी तरह से गलत है।

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 07.01.2021 के अपने अगले पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि औरंगाबाद में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट बेंच में एक आपराधिक आवेदन संख्या 2175/2019 लंबित है, लेकिन आज तक शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 15.01.2021 की अपनी प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी और उसके पिता के खिलाफ आईपीसी संहिता 1860 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए एफआईआर संख्या 202/2019 दर्ज की गई है और वह इस मुद्दे से बिलकुल अलग है, जो प्रेस परिषद

अधिनियम, 1978 के तहत विशुद्ध रूप से एक सिविल मुद्दा है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वर्तमान शिकायत, प्रतिवादी के खिलाफ, समाचारपत्र का लाइसेंस रद्द करने के लिए दर्ज की गई है। गोकुलनीति समाचारपत्र व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे लेख प्रकाशित कर रहा है। शिकायतकर्ता ने एक बार फिर अपनी घोषणा के माध्यम से उद्घोषणा की, कि शिकायत में प्रस्तुत किसी भी मामले के संबंध में किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और वर्तमान शिकायत से संबंधित मुद्दे किसी भी अदालत के समक्ष लंबित/न्यायाधीन नहीं हैं।

प्रतिवादी संपादक से प्राप्त अगला पत्र

प्रतिवादी संपादक ने अपने 13.08.2021 के पत्र के माध्यम से अपने पहले के जवाब को दोहराते हुए प्रस्तुत किया है कि यदि भारतीय प्रेस परिषद कारण बताओ नोटिस को रद्द नहीं करता है और शिकायत की जांच नहीं करता है, तो वह भारतीय प्रेस परिषद के खिलाफ कार्रवाई करने के निदेश देने हेतु, संबंधित न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 17.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व उनके अधिकवक्ता श्री नीलेंद्र वात्सायन ने किया, जबकि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व संपादक, श्री अर्पण गोयल ने किया।

यह शिकायत दिनांक 13.07.2020 को श्री सुनील सुभाषचंद्र सोनी, मैसर्स कलिका स्टील अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, न्यू महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी), जालना (महाराष्ट्र) द्वारा संपादक, गोकुनीति, जालना के विरुद्ध कथित तौर पर झूठी और अपमानजनक खबरें तथा मनगढ़ंत चित्र प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। आक्षेपित समाचारों की तारीख और शीर्षक (हिंदी वर्तन) निम्नानुसार हैं: -

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
---------	--------	--------

1.	शीर्षक "जालना के एमआईडीसी में कलिका स्टील कंपनी से निकलने वाली प्रदूषित गैस के कारण वातावरण में प्रदूषण पैदा हो रहा है के साथ कंपनी की फोटो। उसी की यह तस्वीर है, जो कंपनी की गैरजिम्मेदारी की ओर इंगित करती है। इसलिए, क्षेत्र में नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है।"	01.06.2020
2.	जालना में कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ - औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण में जबरदस्त बढ़ोतरी	22.06.2020
3.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सबक कौन सिखाएगा - जालना की जनता का स्वास्थ्य खतरे में	28.06.2020
4.	कालिका स्टील कंपनी ने एमआईडीसी में सड़क में बाधा उत्पन्न की	01.07.2020
5.	औद्योगिक क्षेत्र में जीएसटी की चोरी?	15.07.2020

शिकायतकर्ता के अनुसार, सभी आरोप झूठे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह आरोप झूठा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और समय-समय पर उचित सत्यापन के बाद इसका नवीनीकरण किया जाता है। यह कहा गया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए प्रतिवादी संपादक को उनके पिता सहित, 29.6.2019 को गिरफ्तार किया गया था और यही एकमात्र कारण है, जिसके लिए वह इन निराधार लेखों को प्रकाशित कर रहे हैं। उनका कहना था कि संपादक ने पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन किया है।

शिकायतकर्ता के परामर्शदाता द्वारा जांच समिति को सूचित किया गया है कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कलेक्टर, जालना और जिला मजिस्ट्रेट, जालना को लिखा है कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने गलत तरीके से यह प्रकाशित किया है कि एमआईडीसी स्टील कारखानों से प्रदूषण फैलता है और इसके परिणामस्वरूप कोरोना फैल गया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्टिंग के कारण लोगों में डर है। क्षेत्र में कोरोना का

प्रसार न हो और इसलिए इस तरह की खबर प्रकाशित करने वाले अखबार, गोकुलनीति और अन्य समाचारपत्रों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

अपने लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी संपादक ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने उसके और उसके पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, आर/डब्ल्यू 34 के तहत 23.06.2019 को चंदन जीरा जालना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। उक्त एफआईआर को चुनौती दी गई है। आपराधिक आवेदन संख्या 2175/2019 बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के समक्ष लंबित है। उस आवेदन में एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है। इसलिए, जांच समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा है कि आक्षेपित समाचार सही हैं और तथ्यों पर आधारित हैं।

हालांकि, शिकायतकर्ता का मामला यह है कि एफआईआर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के लिए दर्ज की गई है, जबकि वर्तमान शिकायत यह आरोप लगाते हुए दर्ज की गई है कि प्रतिवादी ने व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण, शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिए झूठी खबर प्रकाशित की है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी ने झूठी और मनगढ़ंत खबरें प्रकाशित की हैं।

अपने अगले पत्र में प्रतिवादी संपादक ने अपने पूर्व उत्तर को दोहराया है।

जहां तक प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) पर आधारित तर्क का संबंध है, जांच समिति को इसमें कोई आधार नहीं मिलता, क्योंकि वह शिकायत दांडिक अपराधों से संबंधित है। यह प्रतिवादी और उसके पिता द्वारा शिकायतकर्ता के कारखाने में जाकर की गई कथित धोखाधड़ी के संबंध में है। वे कार्यवाहियां लंबित हैं। वर्तमान शिकायत में शिकायतकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी द्वारा झूठी खबर प्रकाशित की गई है। इसलिए प्रतिवादी का यह तर्क विफल हो जाता है।

शिकायतकर्ता का उद्योग प्रदूषण फैला रहा है या नहीं, इसकी जांच, जांच समिति द्वारा नहीं की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न

प्राधिकरण हैं और वे प्राधिकरण या तो शिकायतकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे या यदि वह उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो इसे रद्द कर सकते हैं। ये विवादित तथ्य हैं, जिनके निर्धारण के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

इसलिए, जांच समिति उनकी जांच नहीं कर सकती है और यह तय नहीं कर सकती है कि संबंधित समाचार झूठे हैं या नहीं। हालांकि, शिकायतकर्ता ऐसे अन्य उपाय कर सकता है जैसा कि उसे सलाह दी जाए। यदि संबंधित समाचार उचित सत्यापन के बाद प्रकाशित नहीं किए गए हैं और झूठे हैं, तो शिकायतकर्ता द्वारा उचित कार्यवाही के लिए शिकायत दर्ज करने पर करता है और यह निर्णय लिये जाने पर है कि शिकायतकर्ता का उद्योग प्रदूषण नहीं फैला रहा है, प्रतिवादी के विरुद्ध निस्संदेह कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, इस मामले के एक परेशान करने वाले पहलू पर टिप्पणी की जानी चाहिए। 13 अगस्त, 2021 के अपने जवाबी हलफनामे में, अंत में प्रतिवादी ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

"यदि आपका कार्यालय कारण बताओ नोटिस को रद्द नहीं करता है और शिकायत की जांच नहीं करता है, तो आपके कार्यालय के खिलाफ कार्रवाई करने के निदेश के लिए संबंधित न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे।

जांच समिति इस वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करती है। प्रतिवादी संपादक बैठक में उपस्थित है। वह अपने वकील पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिवादी एक शिक्षित व्यक्ति है। उन्होंने उक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं और यह स्वीकार किया है कि वह अंग्रेजी जानते हैं। इस तरह की प्रति टिप्पणी हमारे समक्ष दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी। भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक निकाय है। यह भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 और संबंधित नियमों द्वारा निर्धारित दायरे के भीतर कार्य करती है। भारतीय प्रेस परिषद अपना कर्तव्य निभा रही है और इस तरह की धमकियों से विचलित नहीं होगी। न्यायालय का दरवाजा खटखटाना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन प्रेस परिषद जैसे सांविधिक निकाय के खिलाफ दी गई ऐसी धमकियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जांच समिति प्रतिवादी समाचारपत्र के इस आचरण की निंदा करती है। इन

परिस्थितियों में, जांच समिति वृत्तिक कदाचार के लिए प्रतिवादी समाचारपत्र और उसके संपादक की **परिनिंदा** करते हुए, परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा वृत्तिक कदाचार के लिए प्रतिवादी समाचारपत्र की **परिनिंदा** करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.17

फ़ा.सं. 440/2021-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री मनोज एस. अग्रवाल,
जिला पुणे,
महाराष्ट्र।

प्रतिवादी

संपादक,
आज का आनंद,
पुणे, महाराष्ट्र।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 21.6.2021 को श्री मनोज एस. अग्रवाल, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा संपादक, आज का आनंद, पुणे के खिलाफ दायर की गई है, कथित तौर पर उनके अंक दिनांकित 15.6.2021 में शीर्षक "राजनेता जातिगत राजनीति कर समाज में दरार पैदा कर रहे" एवं उप-शीर्षक "मराठा आरक्षण को लेकर सांसद उदयनराजे व संभाजीराजे का राज्य और केंद्र पर आरोप" के तहत आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि सांसद, श्री उदयनराजे और श्री संभाजीराजे ने पुणे में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मराठा आरक्षण ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि वे दोनों कई मुद्दों पर एकमत हैं। उदयनराजे ने कहा कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि देश का फिर से विभाजन हो या नहीं। राजनीतिक नेता इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने देश के सम्मान के खिलाफ खबर प्रकाशित की है, जिससे वह आहत हुआ है। शिकायतकर्ता ने कहा

है कि उसने पुणे से प्रकाशित सभी समाचारपत्रों की ऑनलाइन/ऑफलाइन जांच की, लेकिन किसी अन्य समाचारपत्र ने देश के विभाजन के बारे में ऐसे शब्द या वक्तव्य प्रकाशित नहीं किया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि दोनों सांसद सम्मानित व्यक्ति हैं और वे देश के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी अभद्र और नफरत फैलाने वाली खबरें प्रकाशित करने का आदी है। शिकायतकर्ता ने 21.6.2021 को प्रकाशित आक्षेपित समाचार की ओर प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

संपादक, आज का आनंद, पुणे को 6.10.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी ने 23.10.2021 के अपने लिखित वक्तव्य में, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार 14.6.2021 को सांसद, उदयनराजे भोसले और श्री संभाजीराज भोसले द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आधारित था। प्रतिवादी के अनुसार, उक्त संवाददाता सम्मेलन की 23 मिनट की कार्यवाही लगभग सभी मराठी टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित की गई थी और इसकी क्लिपिंग जी24तास द्वारा भी पोस्ट की गई है और अभी भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस, लोकमत, प्रभात, पुधारी आदि ने भी यह खबर दी। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि श्री उदयनराजे ने 14.6.2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि "जैसा हो रहा है, हम एक और विभाजन से इनकार नहीं कर सकते। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जिम्मेदार होंगी। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण था, क्योंकि उनके अपने भाई के पक्ष में खबर प्रकाशित नहीं की थी, जो लोकसभा चुनाव -2019 लड़ रहा था। प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि

शिकायतकर्ता ने चुनाव हारने का बदला लेने और अखबार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह शिकायत दर्ज की है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 17.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। दोनों तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

श्री मनोज अग्रवाल ने संपादक, आज का आनंद, पुणे के खिलाफ शीर्षक "राजनेता जातिगत राजनीति कर समाज में दरार पैदा कर रहे" एवं उप-शीर्षक "मराठा आरक्षण को लेकर सांसद उदयराजे व संभाजीराजे का राज्य और केंद्र पर आरोप" के तहत आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए यह शिकायत दर्ज की है। शिकायतकर्ता का मुख्य जोर इस बात पर है कि श्री उदयनराजे ने पुणे में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वह मराठा आरक्षण के पक्ष में हैं और अब इस बात पर विचार करने का समय आ गया है कि क्या देश को फिर से विभाजित किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक नेता उस दिशा में ही प्रयास कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार श्री उदयनराजे बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वह देश के विभाजन के बारे में ऐसा वक्तव्य नहीं देंगे। समाचारपत्र ने गलत खबर प्रकाशित की है, जिससे लोगों के मन में नफरत पैदा होगी। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है, हालांकि उसे नोटिस सेवित किया गया है। उन्हें 31 मार्च और 13 अप्रैल, 2023 को नोटिस भेजा गया था। आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम अनुपस्थिति की वजह से, इसे खारिज करने के स्थान पर, सुनवाई हेतु शिकायत पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के तर्क से इनकार किया है। यह कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही सभी मराठी टीवी चैनलों पर प्रसारित की गई थी और प्रसारण की क्लिपिंग ज़ी -24 द्वारा भी पोस्ट की गई थी और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यह पता लगाने के लिए कि क्या श्री उदयनराजे ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है, जांच समिति ने यूट्यूब पर साक्षात्कार देखा। जांच समिति

ने पाया कि श्री उदयनराजे ने वास्तव में यह वक्तव्य दिया है कि इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या देश का फिर से विभाजन होगा क्योंकि वर्तमान समय के नेता इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आज का आनंद ने बिना सत्यापन के कोई खबर प्रकाशित की है। जांच समिति को शिकायत में कोई आधार नहीं मिलता है और वह परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.18

मामला सं. 470/2021-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री आर.बी. माने,
अधीक्षण अभियंता,
एमएसईडीसीएल, वाशी सर्किल,
वाशी, नवी मुंबई।

प्रतिवादी

संपादक,
स्प्राउट्स न्यूज़,
अंग्रेजी दैनिक स्प्राउट्स,
भांडुप (पश्चिम), मुंबई।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 15.07.2021 को श्री आरबी माने, अधीक्षण अभियंता, एमएसईडीसीएल, (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड), वाशी सर्किल, नवी मुंबई द्वारा संपादक, स्प्राउट्स, अंग्रेजी दैनिक, भांडुप (पश्चिम), मुंबई के खिलाफ क्रमशः 21.06.2021, 01.07.2021 और 14.07.2021 के अंकों में “**A multi crore scam in “Mahavitaran”, “Mahavitaran loses crores of rupees due to Mane’s underhand dealings”** और “**Corrupt officials are leading MSEDCL, towards bankruptcy**”, शीर्षकों के तहत कथित अपमानजनक, झूठे और तुच्छ समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

एमएसईडीसीएल के वाशी सर्किल के अधीक्षक अभियंता, राजाराम माने पर कई बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व को काफी नुकसान हुआ है। आगे बताया गया कि प्रभावित उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ने के बावजूद, उच्च स्तरीय एमएसईडीसीएल अधिकारी कथित तौर पर दोषी पक्ष को बचा रहे हैं। "स्प्राउट्स" के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित तौर पर इन दावों का समर्थन करते हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 झूठी जानकारी प्रदान करने

वाले उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाने की अनुमति देती है, और यदि उपभोक्ता का औचित्य वैध है, तो अधीक्षक के पास बिल वापस लेने का अधिकार है। तथापि, श्री माने पर आरोप है कि उन्होंने बिलों में हेराफेरी करके और करोड़ों रुपये एकत्र करके इस प्रावधान का दुरुपयोग किया। कई उपभोक्ताओं ने इस मामले को लेकर महावितरण में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता, जो एमएसईडीसीएल में अधीक्षण अभियंता हैं, ने स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत किया है कि एक सरकारी अधिसूचना और एमएसईडीसीएल वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 316 दिनांक 11.03.2019 के अनुसार, उन्हें हाई-टेंशन उपभोक्ताओं के लिए मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई उपभोक्ता सुनवाई के दौरान पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करता है, तो अंतिम मूल्यांकन आदेश राशि कम हो सकती है। शिकायतकर्ता इस बात पर जोर देता है कि अंतिम मूल्यांकन आदेश राशि को घटाने का अर्थ भ्रष्टाचार या उपभोक्ता के साथ कोई अंडरहैंड लेनदेन नहीं है।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने चिन्हित किया कि समाचार रिपोर्ट के संपादक ने अपने आप यह निष्कर्ष निकाला कि अंतिम मूल्यांकन आदेश में घटी हुई राशि, भ्रष्टाचार का संकेत देती है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उपभोक्ताओं को अंतिम मूल्यांकन आदेश, यदि वे इससे असहमत हैं, उसके खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दर्ज करने का अधिकार है,

शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने इस मामले पर प्रतिवादी का ध्यानाकृष्ट किया और 29.06.2021, 06.07.2021 और 15.07.2021 को आक्षेपित समाचारों के बारे में चिंता व्यक्त की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने परिषद से प्रतिवादी संपादक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है।

13.10.2021 को प्रतिवादी संपादक को कारण बताओ नोटिस सेवित किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी के परामर्शदाता ने दिनांक 09.11.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया कि श्री योगेश खैरनार, उप महाप्रबंधक (आईटी), कोंकण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक जांच शुरू की गई, और शिकायतकर्ता, श्री राजाराम माने, अधीक्षण अभियंता, एमएसईडीसीएल वाशी सर्कल के खिलाफ कुछ और जांच परिणाम प्रस्तुत किए गए। दिनांक 03.07.2021 की रिपोर्ट में कुछ विशिष्ट मामलों में सार्वजनिक धन को हुए, महत्वपूर्ण नुकसान पर प्रकाश डाला गया है, जैसे:

(क) मैसर्स लोमा आईटी पार्क डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एचटी उपभोक्ता संख्या 000159042520) को 800 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, क्योंकि श्री माने ने दो बार अनंतिम बिल दिया था, जो कानून का उल्लंघन है। (ख) मैसर्स लोमा को-डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एचटी उपभोक्ता संख्या 000159044930) एमएसईडीसीएल रिव्यू को 5.29 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि श्री माने ने उनके नाम पर दो गुना प्रोविजनल बिल जारी कर दिया था, जो कानून का उल्लंघन है। (ग) मैसर्स जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर (एचटी उपभोक्ता संख्या 000119019931), उपभोक्ता बिल को धारा 126 मूल्यांकन के स्थान पर उसी अवधि के लिए, प्लेन मूल्यांकन करके गलत तरीके से संशोधित किया गया। वास्तव में, मूल्यांकन अधिकारी को धारा 126 में वर्णित मूल्यांकन प्रक्रिया या प्लेन मूल्यांकन (केवल उसी मामले में, जहां उपयोग की अवधि स्थापित की जा सकती हो), जो भी अधिक हो, के अनुसार मूल्यांकन देना चाहिए। श्री माने ने न्यूनतम आंकलन करके, एमएसईडीसीएल के राजस्व में 3.61 करोड़ रुपये का नुकसान किया।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि रिपोर्ट से पता चलता है कि श्री राजाराम माने (शिकायतकर्ता) ने एचटी उपभोक्ताओं से जुड़े केवल तीन मामलों में एमएसईडीसीएल के राजस्व को 16.90 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। इस बात पर जोर दिया गया कि धारा 126 के तहत मूल्यांकन के लिए मैनुअल बिल जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, और मूल्यांकन बिल विशेष रूप से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दिए जाने चाहिए। इसके बावजूद, शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर कदाचार करते हुए, कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के बाद भी, मैनुअल बिल जारी करना जारी रखा। प्रतिवादी ने आगे कहा कि मेसर्स पावरिका और मेसर्स सुरेश फुटवियर जैसे उपभोक्ताओं ने पहले ही शिकायतकर्ता के खिलाफ जबरन वसूली के आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इस समय, मामले की एमएसईडीसीएल द्वारा विभागीय जांच की जा रही है और यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। इसके अलावा, श्री राजाराम माने के खिलाफ माननीय लोकायुक्त के पास एक शिकायत दर्ज की गई है और इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 14 (3) के तहत, प्रेस परिषद किसी भी ऐसे मामले में जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है, जिसके संबंध में कार्यवाही किसी भी न्यायालय में लंबित है। प्रतिवादी का कहना है कि एमएसईडीसीएल में उच्च प्राधिकारी, आंतरिक रूप से मामले की जांच कर रहे हैं, और शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान शिकायत, जांच से ध्यान हटाने के लिए दर्ज की गई है। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 02.12.2021 को प्रति टिप्पणियों के माध्यम से, उसके खिलाफ दर्ज, किसी भी लंबित कानूनी मामलों से इनकार किया। शिकायतकर्ता ने दो सदस्यीय समिति की जांच का हवाला दिया, जिसने निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्ट्या नहीं पाया गया कि कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा

है, और उपलब्ध रिकॉर्ड से, बिलों को जारी करने और उनमें संशोधन करने के पीछे के इरादों को स्थापित नहीं किया जा सका। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि राजस्व की कोई हानि नहीं देखी गई, क्योंकि एचटी उपभोक्ताओं ने आकलन राशि का भुगतान कर दिया है और वे आकलन अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। शिकायतकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी का यह आरोप कि धारा 126 आकलन के तहत, सभी मामलों को मैनुअल रूप से निपटाया जाता है और एक भी बिल अपलोड नहीं किया जाता है और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जारी नहीं किया जाता है, बिल्कुल गलत है और उनका खंडन किया जाता है। शिकायतकर्ता ने बिजली उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एजेंट, सूरज चक्रवर्ती पर आरोप लगाया कि वह एमएसईडीसीएल के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए आदतन उनके खिलाफ निजी शिकायतें दर्ज करते हैं। उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जांच के बाद कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाए जाने के कारण कार्रवाई को बंद कर दिया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 17.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व, सुश्री वैष्णवी वर्तक, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

आरबी माने, अधीक्षण अभियंता, एमएसईडीसीएल, वाशी सर्कल ने संपादक, स्प्राउट्स न्यूज, अंग्रेज़ी दैनिक, स्प्राउट्स भांडुप (पश्चिम) मुंबई के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने दिनांक 21.06.2021, 01.02.2021 और 14.07.2021 के अंकों में **“A multi crore scam in “Mahavitaran”, “Mahavitaran loses crores of rupees due to Mane’s underhand dealings”** और **“Corrupt officials are leading MSEDCL, towards bankruptcy”**, शीर्षकों के तहत झूठी और अपमानजनक खबर प्रकाशित की है।

इन समाचारों में कई प्रश्न शामिल हैं। संक्षेप में कहें तो, समाचार, सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के साथ हुई कथित छेड़छाड़ के बारे में हैं, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरी तरह से झूठा आरोप है। प्रतिवादी ने अपने लिखित वक्तव्य में जो कुछ भी कहा था, उसे पुनः दोहराया है और यहां तक कि, शिकायतकर्ता के कथित कदाचार के मामलों के नमूने प्रस्तुत किए हैं। जांच समिति को श्री माने द्वारा सूचित किया गया था कि उन्होंने वाशी, पुलिस स्टेशन में प्रतिवादी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है। प्रेस परिषद यह निर्णय नहीं ले सकती है कि वास्तव में श्री माने ने बिजली बिलों के साथ छेड़छाड़ की है, जैसा कि आरोप लगाया गया है या अन्य अवैधताएं की हैं, जिन्हें समाचारों में सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह की कार्रवाई, प्रेस परिषद के दायरे में नहीं आती। श्री माने द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर संबंधित न्यायालय द्वारा उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा, यदि यह अदालत में जाते हैं। हालांकि, जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा उसे लिखे गए पत्रों का जवाब नहीं दिया है। प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक था कि यदि वह इस तरह के हानिकारक समाचारों को प्रकाशित करना चाहता है, जो स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता के हित के खिलाफ हैं, तो शिकायतकर्ता को पत्र भेजकर उसके बारे में उसका पक्ष जानना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के पत्र का जवाब नहीं दिया, न ही उसने शिकायतकर्ता का पक्ष प्राप्त करने की कोशिश की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह 15 दिनों के भीतर प्रतिवादी अखबार को अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रतिवादी की परामर्शदाता, सुश्री वैष्णवी वर्तक ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, तो प्रतिवादी इसे प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, प्रतिवादी समाचारपत्र में एक प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करेगा। जांच समिति इन वक्तव्यों को स्वीकार करती है। शिकायतकर्ता के वक्तव्य को प्रकाशित किया जाए, जैसा कि प्रतिवादी के परामर्शदाता ने कहा है।

जांच समिति यह स्पष्ट करती है कि यह एक स्वतंत्र कार्रवाई है और शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत पर मुकदमा चलाने में किसी भी तरह से बाधा नहीं होगी।

इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से प्रतिवादी के परामर्शदाता के वक्तव्य को स्वीकार करने और प्रतिवादी को उक्त वक्तव्य का पालन करने का निदेश देने के बाद शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त निदेशों के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.19

मामला सं. 70/2021-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री लखन सिंह,
निदेशक
आईसीएआर, अटारी-पुणे,
महाराष्ट्र

प्रतिवादी

संपादक,
राष्ट्र सहयाद्री,
दैनिक समाचारपत्र
पुणे।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

दिनांक 15.01.2021 को आईसीएआर, अटारी-पुणे के निदेशक, श्री लखन सिंह द्वारा संपादक, राष्ट्र सहयाद्री, दैनिक समाचारपत्र, पुणे के खिलाफ 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी, 2021 के अंकों में आपत्तिजनक और गलत समाचारों की श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए कथित रूप से शिकायत दर्ज कराई गई है। (i) Malpractices in the recruitment of Senior Research Fellow at ATARI (ii) Arbitrary management by contractual woman in ATARI: Employees held hostage by woman, Support to the woman from the Director (iii) The woman in ATARI has obtained MBA degree by showing attendance on two places at a time (iv) Ignorance of Director towards complaints against woman in ATARI: Written outrageous answers to the complaining women; Four to five women raised complaints (v) The Director's fuss: Agriculture graduates aggressive against Director's Answer (vi) Demand for action against ATARI Director (vii) Director removes photo of woman employee from the website of ATARI (Rashtra Sahyadri effect) and 15 January, 2021 under caption: False allegations by ATTARI Director against students (चूंकि समाचार स्थानीय भाषा में हैं, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा अंग्रेजी अनुवाद प्रदान किया गया था)।

आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता द्वारा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टिट्यूट (अटारी), पुणे की तिलहन (Oil Seeds) परियोजना

में एक महिला को अवैध रूप से वरिष्ठ रिसर्च फेलो के रूप में नियुक्त करने के आरोप लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता द्वारा छात्रों को धमकी देने का आरोप भी आक्षेपित समाचार में लगाया गया है। इसमें आगे यह भी बताया गया है कि छात्र संघ शिकायतकर्ता से काफी परेशान है। छात्र संघ ने इस मामले और डॉ. लाखन सिंह के छात्र विरोधी कृत्यों के बारे में संबंधित थाने को अवगत करा दिया है।

आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने उन्हें और उनके संगठन को बदनाम करने के उद्देश्य से, दुर्भावनापूर्ण समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि समाचार प्रकाशित करने से पहले प्रतिवादी द्वारा कोई पूर्व-सत्यापन नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय, डिग्री पूरी होने के दिन डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, डिग्री पूरी होने के दिन यह केवल अंक पत्र या पीडीसी प्रदान करता है और बाद में, दीक्षांत समारोह के समय विश्वविद्यालय डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि सुश्री पल्लवी पालवे आईसीएआर-अटारी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में संविदा कर्मचारियों के रूप में काम कर रही थीं, इसलिए इंडियन कॉउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट - एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टिट्यूट (आईसीएआर-अटारी) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय समय के दौरान उनकी उपस्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था और छुट्टी के समय वे क्या कर रही थीं, वह आईसीएआर-अटारी की चिंता का विषय नहीं था। नियमित और स्थायी कर्मचारियों पर लागू सेवा नियम, संविदा कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) आईसीएआर-अटारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित विश्वविद्यालय, आईसीएआर संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पास है। इसलिए, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में कर्मचारियों की भर्ती संबंधित प्राधिकरण द्वारा की जाती है, जिससे केवीके संबंधित है।

आईसीएआर-अटारी की भूमिका भर्ती नियमों को प्रदान करना और प्रक्रिया तथा स्क्रीनिंग प्रक्रिया में संगठन की सहायता करना एवं साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान सदस्य /प्रेक्षक के रूप में कार्य करना है। इन तथ्यों को संपादक द्वारा लगभग किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) पर जाकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। शिकायतकर्ता ने 15.01.2021 को प्रतिवादी का ध्यान आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

07.04.2021 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद 13.06.2021 को एक अनुस्मारक जारी किया गया था।

प्रतिवादी संपादक द्वारा दिनांक 30.06.2021 को दर्ज लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने 30.06.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से, आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि दैनिक राष्ट्र सहयात्री द्वारा प्रकाशित समाचार रिपोर्ट, डॉ. लखन सिंह, निदेशक, अटारी, पुणे के खिलाफ कृषि अनुसंधान छात्र की शिकायत पर आधारित है। उन्होंने बताया कि उनका शिकायतकर्ता को परेशान करने का कोई मकसद नहीं है, उन्होंने केवल भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पत्रकारिता के आचरण के मानकों के अनुसार, हितप्रहरी के रूप में मीडिया की भूमिका को दिया है। प्रतिवादी ने कहा है कि डॉ. लाखन सिंह ने अपने संस्थान में भर्तियों के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट (अटारी) कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैंपस, शिवाजीनगर, पुणे द्वारा अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित किया था। उन्होंने बताया है कि विज्ञापन के अनुसार यह पद उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने एग्रीकल्चर मास्टर डिप्लोमा कोर्स पास किया है। उन्होंने कहा है कि पल्लवी पालवे को उक्त पद पर तब नियुक्त किया गया था जब उन्होंने विज्ञापन में उल्लिखित पद के लिए आवश्यक योग्यता प्रस्तुत नहीं की थी। उन्होंने कहा है कि संगठन के अधिकारियों ने केवल औपचारिकता के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की पात्रता और नियमों को पूरा करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया, जबकि कर्मचारी की नियुक्ति उनकी

मनमर्जी के अनुसार की गई थी और आवश्यक विनियमों और नियमों का पालन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा है कि समाचार रिपोर्ट वास्तविक, तथ्यात्मक और सबूतों पर आधारित थी। समाचारपत्र, समाचार प्रकाशित करने में पक्षपाती नहीं था और संगठन को नुकसान पहुंचाने का भी उसका कोई विचार नहीं था।

शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणी दिनांकित 08.08.2021

शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी के लिखित वक्तव्य से इनकार करते हुए दिनांक 8.8.2021 की प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि विज्ञापन के अनुसार, आवश्यक योग्यता "कृषि और संबद्ध विज्ञान के किसी भी विषय में मास्टर डिग्री" थी। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि सुश्री पल्लवी पालवे ने अभिना एजुकेशन सोसाइटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, पुणे के तहत ग्रामीण और कृषि व्यवसाय प्रबंधन में एमबीए की पढ़ाई की है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन भी कृषि अनुसंधान सेवाओं के लिए एक अनुमोदित पात्रता योग्यता है। इसलिए, चयन/स्क्रीनिंग समिति ने पात्रता के दायरे में उनकी उम्मीदवारी पर भली-भांति विचार किया। इसके अलावा उन्होंने वॉक इन इंटरव्यू में उच्चतम अंक प्राप्त किए और सीनियर रिसर्च फेलो (एसआरएफ) के पद के लिए उनका चयन किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि ये तथ्य गोपनीय नहीं हैं, बल्कि विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं, जिन्हें संपादक द्वारा आसानी से सत्यापित किया जा सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि वह समाचार प्रकाशित करने से पहले उसकी जांच करे।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 17.04.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से श्री धोंगडे बी.डी., परामर्शदाता के पेश हुए, जबकि राष्ट्र सहयात्री, दैनिक के संपादक, श्री करण नववली स्वयं पेश हुए।

शिकायतकर्ता, श्री लखन सिंह, निदेशक, आईसीएआर, अटारी, पुणे, महाराष्ट्र ने राष्ट्र सह्याद्री, दैनिक समाचार पत्र, पुणे के संपादक के खिलाफ 7-13 जनवरी, 2021 और 15 जनवरी, 2021 के अंकों में आपत्तिजनक और गलत समाचारों की श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए यह शिकायत दर्ज कराई है। शीर्षक निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	Malpractices in the recruitment of Senior Research Fellow at ATARI	07.01.2021
2.	Arbitrary management by contractual woman in ATARI: Employees held hostage by woman, Support to the Woman from the Director	8.01.2021
3.	The Woman in ATARI has obtained MBA degree by showing attendance on two places at a time.	09.01.2021
4.	Ignorance of Director towards complaints against woman in ATARI: Written outrageous answers to the complaining women: Four to five women raised complaints.	10.01.2021
5.	The Director's fuss: Agriculture Graduates aggressive against Director's Answer.	11.01.2021
6.	Demand for action against ATARI Director	12.01.2021
7.	Director removes photo of woman employee from the website of ATARI (Rashtra Sahyadri effect)	13.01.2021
8.	False allegations by ATARI Director against students	15.01.2021

इन आरोपों में कई आक्षेपित तथ्य शामिल हैं। वे सच हैं या नहीं, इसका निर्णय प्रेस परिषद द्वारा नहीं किया जा सकता है। केवल न्यायालय ही इस पर निर्णय लेने के लिए, उन तथ्यों पर विचार कर सकता है। शिकायतकर्ता का कहना यह है कि उसने 15.1.2021 को प्रतिवादी का ध्यान, समाचारों की ओर आकर्षित किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने ई-मेल भी भेजे, लेकिन उनका

जवाब भी नहीं दिया गया। ऐसी खबरें प्रकाशित करने से पहले, जो शिकायतकर्ता के हित में नहीं थी, प्रतिवादी को शिकायतकर्ता का पक्ष जानना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। उपस्थित प्रतिवादी, श्री करण नववाली का कहना है कि यदि शिकायतकर्ता अपना वर्तन प्रस्तुत करता है, तो उसे उसकी प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर प्रकाशित किया जाएगा। शिकायतकर्ता के परामर्शदाता, धोंगडे का कहना है कि दो सप्ताह के भीतर शिकायतकर्ता का वर्तन प्रतिवादी को भेज दिया जाएगा।

जांच समिति प्रतिवादी के परामर्शदाता द्वारा दिए गए वक्तव्यों को स्वीकार करती है। शिकायतकर्ता का पक्ष प्राप्त होने के बाद, प्रतिवादी इसे प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर, समाचारपत्र में किसी प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करेगा। जांच समिति को सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है, जो वसई में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि मामले में आगे विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार, जांच समिति उपर्युक्त निदेशों के साथ शिकायत को समाप्त करने की परिषद से संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त निदेशों के साथ शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.20

मामला सं. 51/2020-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री सुनील जी. गोडबोले,
अंधेरी (पूर्व),
मुंबई।

प्रतिवादी

संपादक,
लोकसत्ता,
मुंबई।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत श्री सुनील जी. गोडबोले, अंधेरी (पूर्व), मुंबई द्वारा संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के खिलाफ 11.01.2020 के अंक में "केंद्र सरकार को नए मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित संशोधित दंड पर पुनर्विचार करना चाहिए - परिवहन मंत्री" (हिंदी वर्तन), शीर्षक के अंतर्गत कथित तौर पर झूठे और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

समाचार में बताया गया कि केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि चूंकि महाराष्ट्र राज्य ने, राष्ट्रपति शासन के नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के अनुसार संशोधित दंडों को लागू नहीं किया है, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। लेकिन राज्य परिवहन मंत्री ने सूचित किया कि वे जुर्माना राशि को कम करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव देंगे और नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियमों के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव, उन लोगों को भारी सजा देने के इरादे से किया है जो मौतों और गंभीर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। दिवाकर राउते ने केंद्र सरकार से इन दंडों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था और इस वजह से नए नियमों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया था। यह बताया गया है कि

नए अधिनियम को लागू करने से पहले केंद्र सरकार के साथ इस पर चर्चा की जाएगी।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी समाचारपत्र दावा कर रहा है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र भेजा है कि अगर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और शिकायतकर्ता के अनुसार, यह अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि किसी भी समाचार चैनल, समाचार पत्र ने ऐसी खबर नहीं दी है। इस संबंध में उन्होंने (शिकायतकर्ता ने) अखबार से खबर का अधिक विवरण प्रदान करने के लिए कहा, क्योंकि यह पीटीआई की खबर नहीं है जैसा कि समाचार सामग्री से प्रतीत होता है, यह उनके अपने संवाददाता से द्वारा दी गई खबर है।

प्रतिवादी संपादक, लोकसत्ता को 16.03.2020 को कारण बताओ नोटिस सेवित किया गया था।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक, लोकसत्ता ने दिनांक 10.11.2020 के अपने लिखित वक्तव्य में बताया है कि शिकायतकर्ता, व्यक्तिगत रूप से समाचार रिपोर्ट से प्रभावित नहीं है, तो शिकायतकर्ता को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, और शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि समाचार संशोधित, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करने के बारे में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रुख से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य ने अत्यधिक जुर्माने पर आपत्ति की थी और उन्हें लागू नहीं किया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि समाचार रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए सरकार के 6 जनवरी, 2020 के पत्र पर आधारित एक सच्ची और सटीक रिपोर्ट है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि अन्य प्रमुख समाचार पत्रों ने भी इसी तरह की खबरें प्रकाशित की हैं। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि

लोकसत्ता द्वारा प्रकाशित समाचार रिपोर्ट में "अनुच्छेद 356" के बजाय "राष्ट्रपति शासन" का उल्लेख किया गया है, क्योंकि आम पाठक यह समझ पायें या न समझ पायें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 356, किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति के संदर्भ में है। प्रतिवादी ने कहा कि समाचार रिपोर्ट में संशोधित, मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेदों पर रिपोर्ट की गई है। प्रतिवादी ने कहा है कि आक्षेपित रिपोर्ट सद्भावना और जनहित में दी गई थी और इस विशेष मामले में, शिकायतकर्ता को यह शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 22.12.2020 की अपनी प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से सलाह मांगी थी। इसका उल्लेख लोकसत्ता समाचार में कहीं नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर कुबेर के लेख के बारे में प्रेस परिषद के निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद ने लोकसत्ता के खिलाफ, किसी की शिकायत स्वीकार कर ली है और कुबेर को दोषी घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोकसत्ता मुख्यमंत्री के झूठ को उजागर करने वाला कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं करेगा।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। जबकि शिकायतकर्ता श्री गौतम भागवत के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व इसके अधिवक्ताओं, श्री प्रणित

कुलकर्णी, सुश्री पूर्वी कमान्नी, सुश्री तेजस्वी घाग और श्री शिवम सिंह द्वारा किया गया।

यह शिकायत श्री गोडबोले ने लोकसत्ता, मुंबई के संपादक के खिलाफ दर्ज की है। शिकायतकर्ता की आपत्ति दिनांक 11.1.2020 के अंक में **"केंद्र सरकार को नए मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित संशोधित दंड पर पुनर्विचार करना चाहिए - परिवहन मंत्री"** शीर्षक के अंतर्गत समाचार को लेकर है। श्री गोडबोले के अनुसार, उक्त समाचार रिपोर्ट में केवल महाराष्ट्र राज्य का उल्लेख किया गया है, जबकि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में अनुदेश जारी किए थे। जांच समिति ने यहां उपस्थित, श्री गोडबोले को विस्तार से सुना। श्री गोडबोले कहते हैं कि लोकसत्ता को यह प्रस्तुत करते हुए सही खबर प्रकाशित करनी चाहिए थी कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चेतावनी दी थी, न कि केवल महाराष्ट्र राज्य को।

जांच समिति ने प्रतिवादी की ओर से पेश परामर्शदाता, श्री प्रणित कुलकर्णी को भी सुना। उन्होंने हमारा ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी, 2020 जारी उस पत्र की ओर आकृष्ट किया है, जिसमें सभी राज्यों को नए मोटर वाहन अधिनियम को सही तरीके से लागू करने के लिए कहा गया है। प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, जांच समिति की राय है कि पत्रकारिता के आचरण के मानकों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रतिवादी समाचारपत्र ने कोई गलत या असत्यापित समाचार प्रकाशित नहीं किया है। यह तथ्य कि इसने अन्य राज्यों का संदर्भ नहीं दिया है, इतना गंभीर मुद्दा नहीं है। जांच समिति परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.21

मामला सं. 1877/2020-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री सुनील जी. गोडबोले,
अंधेरी (पूर्व),
मुंबई।

प्रतिवादी

संपादक,
लोकसत्ता, मराठी दैनिक,
मुंबई।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत दिनांक 15.06.2020 को श्री सुनील जी. गोडबोले, निवासी अंधेरी (पूर्व), मुंबई द्वारा संपादक, लोकसत्ता, मराठी दैनिक समाचारपत्र के खिलाफ दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि समाचारपत्र ने 05.06.2020 के अंक में **"प्रतिक्रिया और रोकथाम" (Response and Prevention)** शीर्षक के तहत एक झूठा और अपमानजनक संपादकीय प्रकाशित किया, जिसमें उप-शीर्षक था, **"Our army will lose to nobody in the field. However, in patrolling and surveillance, we have fallen short is the reality"** (अंग्रेज़ी वर्तन, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया है) शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि अखबार ने दिनांक 06.06.2020 के अंक में **"Need to give confidence to military and civilians"** (अंग्रेज़ी वर्तन, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया है) शीर्षक के तहत एक पत्र प्रकाशित किया गया था, जिसने उपर्युक्त संपादकीय का समर्थन किया गया था।

उपलब्ध कराए गए अंग्रेज़ी अनुवाद के अनुसार, एक समाचार लेख में भारत-चीन सीमा पर भारतीय और चीनी बलों के बीच झड़पों पर रिपोर्ट की गई थी। देश के रक्षा मंत्री ने आखिरकार तीन सप्ताह की चुप्पी के बाद गंभीर स्थिति का

जिक्र किया एवं अप्रत्यक्ष रूप से घुसपैठ की घटना को स्वीकार किया। हमेशा की तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता करने की इच्छा व्यक्त की। सैन्य विशेषज्ञ सेवानिवृत्त कर्नल, अजय शुक्ला ने बताया कि जब देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और लगभग 5,000 कर्मियों और सैन्य वाहनों को तैनात किया है। यह चीन के ऐतिहासिक व्यवहार और उसके महत्वाकांक्षी इरादों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि संपादकीय का लेखक, सैन्य विशेषज्ञ नहीं है और लेख लिखने से पहले किसी सैन्य विशेषज्ञ की राय लेने में विफल रहा है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता का तर्क है कि अखबार ने चीनी घुसपैठ के बारे में लेखक के दावों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। यह तर्क दिया जाता है कि पत्र और संपादकीय दोनों पूर्ण तथ्यों पर आधारित होने की जगह, सेना और सरकार की नकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता की आड़ में देश, सेना और सरकार को बदनाम करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। आगे दावा किया गया है कि संपादकीय और पत्र का उद्देश्य भारत को हमले के प्रति संवेदनशील दर्शाना है और यह सुझाव देना है कि चीन हमारी ताकत का सम्मान नहीं करता है, जो चुनौतीपूर्ण कोविड-19 स्थिति के दौरान नकारात्मकता फैलाने वाला झूठा प्रचार जान पड़ता है।

मामले में संज्ञान लेते हुए, प्रतिवादी संपादक को दिनांक 18.12.2020 को कारण बताओ नोटिस सेवित किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 06.01.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से, वेबसाइट, epaper.loksatta.com से क्लिपिंग डाउनलोड करने की बात

स्वीकार की और इसे शिकायत के साथ संलग्न किया। प्रतिवादी का तर्क है कि प्रारंभिक शिकायत माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह के एक सामान्य साक्षात्कार और एक समाचार चैनल पर श्री अजय शुक्ला की सामान्य टिप्पणियों के संदर्भ में है। हालांकि, प्रतिवादी का दावा है कि संपादकीय में अपनी ओर से अजय शुक्ला के ऐसे किसी साक्षात्कार या अजय शुक्ला के संबंध में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की टिप्पणियों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है और न ही इसमें द प्रिंट द्वारा किसी कवरेज का उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता की कार्रवाई व्यक्तिगत आवेश और लोकसत्ता, मुंबई के संपादक को परेशान करने और डराने की इच्छा के कारण है, जो संपादकीय स्वतंत्रता के विपरीत है।

प्रतिवादी ने आगे कहा कि गलवान में दुखद झड़प के बाद, संपादकीय को प्रकाशित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 20 साहसी भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि संपादकीय में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे देश, सेना या सरकार को अपमानित करने के प्रयास के रूप में माना जा सकता है। प्रतिवादी दृढ़ता से कहता है कि "देशद्रोह" के ऐसे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि संपादकीय, गलवान संघर्ष और चीन की अचानक आक्रामकता पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप सैनिकों की जान चली गई। संपादकीय में इस बात की पड़ताल की गई है कि कैसे भारत को सतर्क कर दिया गया और इसकी तुलना कारगिल की स्थिति से की गई है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारतीय सेना का मैदान में लड़ाई नहीं हारने का एक सराहनीय रिकॉर्ड है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि कारगिल और गलवान दोनों में निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता का सुझाव देना एक वैध टिप्पणी है और संपादकीय में किसी प्रकार के प्रचार की मंशा से नहीं लिखा गया है।

प्रति टिप्पणियाँ

08.02.2021 की प्रति टिप्पणियों में, शिकायतकर्ता ने बताया है कि आक्षेपित संपादकीय, 5 जून को प्रकाशित किया गया था, जबकि गलवान में झड़प 15 जून को हुई थी। इसलिए, शिकायतकर्ता का तर्क है कि प्रतिवादी के लिए यह संभव नहीं है कि उसने एक ऐसी घटना के बारे में लिखा हो जो अभी तक नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता का दावा है कि प्रतिवादी यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि वे संपादकीय और उनकी प्रतिक्रिया दोनों में किस गलवान संघर्ष का उल्लेख कर रहे थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि आक्षेपित संपादकीय देश, सेना और सरकार को बदनाम करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज प्रत्युत्तर

दिनांक 23.3.2021 के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी ने पिछले लिखित वक्तव्य को पुनः दोहराया। इसके अलावा, प्रतिवादी ने जोर देकर कहा है कि शिकायत पूरी तरह से www.loksatta.com वेबसाइट से डाउनलोड की गई सामग्री पर आधारित है, विशेष रूप से ई-पेपर से। प्रतिवादी ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता संपादक के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय भाषा का उपयोग करता है और उन पर देशद्रोह जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाता है। प्रतिवादी संपादक दृढ़ता से दावा करते हैं कि संपादकीय में सेना या भारत सरकार के प्रति निदेशित किसी भी प्रकार का अपमान नहीं है। ऐसी राय व्यक्त करना, जिससे शिकायतकर्ता असहमत हो, देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.04.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता, श्री सुनील गोडबोले, श्री गौतम भागवत के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि श्री प्रणित कुलकर्णी, सुश्री पूर्वी कमानी, सुश्री तेजस्वी घाग और श्री शिवम सिंह, प्रतिवादी समाचारपत्र, लोकसत्ता की ओर से पेश हुए।

शिकायतकर्ता, श्री सुनील जी. गोडबोले ने प्रतिवादी, लोकसत्ता, मराठी दैनिक के संपादक के खिलाफ 5.6.2020 के अपने अंक में **"प्रतिक्रिया और रोकथाम" (Response and Prevention)** शीर्षक के तहत एक झूठा और अपमानजनक संपादकीय प्रकाशित किया, जिसमें उप-शीर्षक था, **"Our army will lose to nobody in the field. However, in patrolling and surveillance, we have fallen short is the reality"**

यह लेख भारत-चीन सीमा पर भारतीय सेनाओं और चीनी सेनाओं के बीच होने वाली झड़पों के संदर्भ में लिखा गया है। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारी सेना बेहद सक्षम है, यह किसी भी स्थिति का सामना कर सकती है लेकिन इसमें गश्त और निगरानी है।

जांच समिति ने श्री गोडबोले को विस्तार से सुना। श्री गोडबोले ने कहा कि यह कथन कि भारतीय सेना में गश्त और निगरानी की कमी है, सही नहीं है। वास्तव में पिछले पांच वर्षों से अधिक समय में हमारी निगरानी में सुधार हुआ है और इस तरह के वक्तव्य, संपादकीय में नहीं दिए जाने चाहिए थे। श्री गोडबोले ने कहा कि इस तरह के गलत वक्तव्य से लोगों में डर फैलता है कि इस तरह की घटनाएं फिर से हो सकती हैं। जांच समिति ने प्रतिवादी लोकसत्ता के परामर्शदाता को भी सुना। जांच समिति ने लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। लेख में भारतीय सैनिकों की आलोचना या मानहानिकारक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके विपरीत, इसमें कहा गया है कि भारतीय सैनिक किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। निगरानी की कथित विफलता पर जोर दिया गया है। जांच समिति की राय है कि संपादकीय में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसे आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी कहा जा सके। यह भारतीय बलों और चीनी बलों के बीच हुई झड़पों के बारे में संपादक की धारणा है। प्रेस परिषद, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हालांकि, जांच समिति यह कहना चाहती है कि भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना के बारे में लिखते समय प्रत्येक समाचारपत्र को बेहद

सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे भारत की रीढ़ हैं और गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिससे हमारी सेनाओं का मनोबल प्रभावित हो। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है और आशा करती है, कि भारतीय बलों से संबंधित संवेदनशील समाचार या संपादकीय, समुचित सत्यापन और सावधानी बरतने के बाद ही प्रकाशित किए जाएंगे। इस टिप्पणी के साथ शिकायत को खारिज किया जा सकता है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.22

मामला सं. 376/2022-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री सुनील जी. गोडबोले,
अंधेरी (पूर्व),
मुंबई।

प्रतिवादी

संपादक,
लोकसत्ता,
मुंबई।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

दिनांक 04.05.2022 को श्री सुनील जी. गोडबोले, अंधेरी (पूर्व), मुंबई द्वारा संपादक, लोकसत्ता के खिलाफ दिनांक 01.05.2022 के अंक में “Fuel Related Friction Leads to Fire” शीर्षक के तहत श्री जोगदंड के कथित झूठे और आधारहीन दावे/पत्र को प्रकाशित करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है। (चूँकि समाचार स्थानीय भाषा में प्रकाशित हुआ था, श्री गोडबोले ने अपनी शिकायत में उसीका अनुवाद प्रदान किया है)

अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, समाचार में यह बताया गया था कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करों को कम करने और राहत प्रदान करने की अपील की थी। श्री ठाकरे का मत था कि केंद्र सरकार, महाराष्ट्र के साथ वित्तीय अन्याय कर रही है, प्रधानमंत्री भाजपा और गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, गैर-भाजपा राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता पर कुठारघात कर रहे हैं। लेख में आगे दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री का यह रवैया, संघीय लोकतंत्र के खिलाफ है और भारत में वर्तमान विविधता पर सीधा हमला है। यह भी बताया गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोदी

ने राजकोषीय स्वतंत्रता का आनंद लिया था और अब वह इसे भूल गए हैं, जिसके कारण जीएसटी लागू किया गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, श्री जोगदंड के पत्र में प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। पत्र में 26.4.2022 को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित एक बैठक का उल्लेख किया गया है। हालांकि, बैठक के बारे में शासकीय पत्र, श्री जोगदंड के दावों से बहुत अलग है। शिकायतकर्ता ने बताया कि शासकीय पत्र पढ़ने पर उन्हें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को उनकी वित्तीय स्वतंत्रता के संबंध में असुरक्षित महसूस कराया है। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि श्री जोगदंड द्वारा लिखे गए पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण, पीएम के रूप में उनके आधिकारिक वक्तव्यों के समान कैसे हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि अपने चुनावी भाषणों में, पीएम राज्य और केंद्र दोनों में एक पार्टी के शासन की अवधारणा को, राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद होने के कारण बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी समाचारपत्र, लोकसत्ता, यह जानते हुए भी कि तथ्य पूरी तरह से अलग हैं, प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक पत्र प्रकाशित कर रहा है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि श्री जोगदंड का मानना है कि जीएसटी के साथ, प्रधानमंत्री ने, सीमित स्वतंत्रता, जो संविधान ने राज्यों को दी थी, को भी उनसे छीन लिया है।

प्रतिवादी संपादक, लोकसत्ता को 18.08.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

07.09.2022 के एक लिखित वक्तव्य में, लोकसत्ता के प्रतिवादी संपादक ने तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता का मुद्दा संपादक द्वारा व्यक्त की गई राय को लेकर है, जो एक भारतीय नागरिक के रूप में संपादक का अधिकार है।

हालांकि, संपादक का कहना है कि लोकसत्ता द्वारा प्रकाशित पत्र का जानबूझकर गलत अनुवाद करके, और संपादक के खिलाफ निराधार और बेतुके आरोप लगाकर, संपादक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं है। संपादक ने बताया कि शिकायतकर्ता ने 04.05.2022 को लोकसत्ता के संपादक को संबोधित, तथाकथित पत्र संलग्न किया है, लेकिन शिकायत, पत्र सेवित किए जाने का प्रमाण देने में नाकाम रही। प्रतिवादी का तर्क है कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर पत्र की सामग्री की गलत व्याख्या की, क्योंकि कहीं भी पत्र में यह विवेचित नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री से राज्यों या उनकी राजकोषीय स्वायत्तता को कोई खतरा है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणी

09.10.2022 की अपनी प्रति टिप्पणियों में, शिकायतकर्ता ने झूठ पर आधारित प्रकाशित पत्र पर अपनी आपत्ति दोहराई, जिसके बारे में, उनका मानना है कि वह पाठकों को भ्रमित करने और प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत फैलाने के प्रतिवादी के छिपे हुए एजेंडे के अनुरूप है। उन्होंने आगे दावा किया कि प्रतिवादी, पत्रकारिता के मानकों के संबंध में उठाए गए बुनियादी सवालों का जवाब देने में विफल रहे और इसके बजाय उन्होंने ऐसे विभिन्न प्रकाशनों से समाचार संलग्न करके मामले पर से ध्यान हटाने का प्रयास किया, जो प्रधानमंत्री को बदनाम करने और झूठ का सहारा लेकर उनकी विफलता को साबित करते हैं।

प्रतिवादी संपादक, लोकसत्ता द्वारा दर्ज प्रत्युत्तर

जवाब में, लोकसत्ता के प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 29.11.2022 को एक प्रत्युत्तर दर्ज किया, जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत फैलाने के किसी भी छिपे हुए एजेंडे से इनकार किया गया और जोर देकर यह कहा गया कि एक पाठक का पत्र प्रकाशित करके, किसी भी पत्रकारिता नीति का उल्लंघन नहीं किया गया था।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रत्युत्तर

हालांकि, 03.02.2023 के प्रत्युत्तर में, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संपादक यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे कि उनके दावे झूठे थे और यह कि पत्रकारिता के मानकों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी द्वारा 13.02.2023 के अंक में श्री उत्तम जोगदंड द्वारा लिखा एक पत्र, जिसका शीर्षक "An illogical way of tricking middle class" था, का प्रकाशन, प्रधानमंत्री जी के प्रति उनकी घृणा को व्यक्त करता है और उन्हें एक धोखेबाज और जालसाज के रूप में चित्रित करने का प्रयास है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस तरह की भाषा आहत करने वाली है और प्रधानमंत्री जी का समर्थन करने वाले उनके जैसे मध्यमवर्गीय लोगों को ठेस पहुंचा सकती है।

27.02.2023 के एक और पत्र में, शिकायतकर्ता ने श्री उत्तम जोगदंड द्वारा लिखित पत्र के प्रतिवादी के प्रकाशन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और प्रतिवादी पर यह आरोप लगाया कि उनका यह सोचना एकदम गलत है कि जो लोग प्रधानमंत्री जी का समर्थन करते हैं, उन्हें इस तरह की सामग्री से आहत होने का कोई अधिकार नहीं है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.04.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। शिकायतकर्ता, श्री सुनील गोडबोले, श्री गौतम भागवत के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि श्री प्रणित कुलकर्णी, सुश्री पूर्वी कमानी, सुश्री तेजस्वी घाग और श्री शिवम सिंह, प्रतिवादी समाचारपत्र, लोकसत्ता की ओर से पेश हुए।

शिकायतकर्ता, श्री गोडबोले ने संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के खिलाफ उत्तम जोगदंड नामक व्यक्ति का पत्र प्रकाशित करने के लिए यह शिकायत दर्ज कराई

है। इस पत्र में श्री जोगदंड ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री के भाषण और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री ठाकरे की टिप्पणियों का उल्लेख किया है। श्री गोडबोले का कहना है कि यह पत्र झूठा है। पत्र लिखने वाले का कहना है कि प्रधानमंत्री का व्यवहार, देश के संघीय ढांचे और विविधता पर प्रहार है, राज्यों को कमजोर कर रहा है और देश को अधिनायकवाद की ओर ले जा रहा है। पत्र लिखने वाले ने अन्य बातों के साथ-साथ विवेचित किया कि प्रधानमंत्री, भाजपा शासित राज्यों और गैर-भाजपा शासित राज्यों के बीच भेदभाव करते हैं और उन्होंने गैर-भाजपा शासित राज्यों की राजकोषीय स्वतंत्रता पर कुठारघात किया है। श्री गोडबोले के अनुसार, पत्र लेखक ने इस बात को गलत तरीके से विवेचित किया है कि संविधान द्वारा राज्यों को जो सीमित स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसका श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा उपयोग किया था। जीएसटी संघीय लोकतंत्र का एक प्रमुख उदाहरण है। हालांकि, जब वह पीएम बने, तो ऐसा लगता है कि वह इस बात को पूरी तरह से भूल गए हैं। जीएसटी के साथ मोदी जी ने उस सीमित स्वतंत्रता को छीन लिया है, जो संविधान ने राज्यों को दी है।

श्री गोडबोले ने कहा कि इस पत्र की सामग्री, प्रधानमंत्री के वक्तव्य के शासकीय वर्तन के पूरी तरह से विपरीत है।

जांच समिति की राय में इस पत्र में प्रधानमंत्री जी की नीति के बारे में, पत्र लेखक की वह धारणा शामिल है, जो प्रधानमंत्री जी के भाषण में परिलक्षित होती है। इसे प्रकाशित करके, लोकसत्ता के संपादक ने देश के नागरिकों के दृष्टिकोण या धारणा को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। लोगों से यह कहना संभव नहीं है कि वे हर मुद्दे पर हमेशा सरकार के पक्ष का पालन करें। हालांकि, संपादक को केवल यह सत्यापित करना चाहिए कि पत्र लेखक कोई ऐसा वक्तव्य तो नहीं दे रहा है, जो व्यक्तिगत, अपमानजनक या असंसदीय भाषा में है। एक पत्र लेखक द्वारा की गई किसी राजनीतिक नेता की आलोचना पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। जांच समिति को विचाराधीन पत्र में किसी भी तरह से

ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है, जिसे अपमानजनक या आपत्तिजनक कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद को शिकायत खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.23

मामला सं. 229/2022-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री सुनील जी. गोडबोले,
अंधेरी (पूर्व),
मुंबई।

प्रतिवादी

संपादक,
लोकसत्ता,
मुंबई।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत श्री सुनील जी. गोडबोले, अंधेरी (पूर्व), मुंबई द्वारा लोकसत्ता के संपादक के खिलाफ कथित तौर पर 10.02.2022 के उनके अंक में “Hijab row escalates” शीर्षक के तहत श्री बालकृष्ण शिंदे के झूठे और आधारहीन पत्र को प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

खबर में प्रकाशित किया गया है कि इस बात पर संदेह की गुंजाइश है कि यह मात्र संयोग नहीं है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की पृष्ठभूमि में मामले में वृद्धि हुई है और यह संदेह इसलिए पैदा होता है, क्योंकि भाजपा धार्मिक धुवीकरण की राजनीति करती है। अपने चुनावी घोषणापत्र में भाजपा ने "लव जिहाद" (लव जिहाद आज तक इस देश की किसी भी अदालत में साबित नहीं हुआ है) के मुद्दे के बारे में बात की है। अगर यही नियम लागू करना है, तो मेहंदी लगाने से लेकर माथे पर तिलक लगाने, देवी-देवताओं की फोटो लगाने और स्कूल, कॉलेज में त्योहार मनाने पर भी आपत्ति जताई जा सकती है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न्यूजीलैंड पुलिस, जांच एजेंसियों द्वारा हिजाब पहना जाता है। भारत में यह वेलकम एरिया के फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा पहना जाता है।

संसद के अंदर पूजा का आयोजन किया जाता है, डिलीवरी के दौरान राफेल विमान पर एक नींबू रखा गया और विमान के बाहरी हिस्से पर धार्मिक प्रतीक बनाए गए। यह किस प्रकार ठीक है? चूंकि देश में एक ऐसी सरकार का शासन है, जो बहुसंख्यकों के विचारों का समर्थन करती है, इसलिए यहां ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता, जो कहे कि अन्य धर्मों के लोगों को इस सरकार के अनुसार व्यवहार करना चाहिए।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी अखबार ने इस पत्र के माध्यम से श्री शिंदे के 'निर्णय' को प्रकाशित किया, वह भी एक संवेदनशील मामले पर, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय भी पूरी सावधानी से डील कर रहा था और अब उसने 10 फरवरी, 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है, वो भी तब जब पत्र पर पहले से ही सार्वजनिक रूप से विचार किया जा रहा था। शिकायतकर्ता का कहना कि पत्र लिखने वाले को वर्तमान विवाद की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी न हो, लेकिन लोकसत्ता प्रकाशक से इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी अखबार यह दावा नहीं कर सकता कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि विवाद न तो भाजपा की कर्नाटक सरकार ने शुरू किया और न ही उन्होंने उसमें वृद्धि की। लेकिन पत्र लिखने वाले का कहना है कि इस विवाद का इस्तेमाल भाजपा राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। लेकिन इस समय, इस तरह के पत्र को प्रकाशित करने वाले एवं उस गलत दावे का समर्थन करने वाला प्रतिवादी समाचारपत्र, इस विषय को एक मुद्दे में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी अखबार गलत तरीके से जहरीले दृष्टिकोण का समर्थन कर रहा है, जबकि उसे पता है कि तथ्य, लेखक के दावे से बहुत अलग हैं। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी समाचारपत्र को निश्चित रूप से यह जानकारी है कि स्कूलों के वर्दी नियम कुछ अनुभव पर आधारित हैं और माता-पिता को इन नियमों से अवगत कराया जाता है। उन्होंने कहा कि चाहे मामला कुछ भी हो, एक अत्यधिक संवेदनशील मामले के बारे में इस तरह के पत्र को प्रकाशित करना प्रेस की

स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। उन्होंने 12.02.2022 को प्रतिवादी संपादक का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

प्रतिवादी संपादक, लोकसत्ता, मराठी दैनिक, मुंबई को 27.07.2022 को कारण बताओ नोटिस सेवित किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 23.08.2022 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता प्रकाशन के लिए चुने गए पत्रों के साथ-साथ और संपादक द्वारा व्यक्त की गई राय से भी व्यथित हैं। एक भारतीय नागरिक के रूप में यह उनका अधिकार है। प्रतिवादी का कहना है कि letters to editor column संबंधी पत्र, एक ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त हुए, का दो स्टाफ सदस्यों ने अवलोकन कर प्रकाशन के लिए चयन किया। उन्होंने प्रस्तुत किया है माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश 11 फरवरी, 2022 को पारित किया गया था, न कि 10 फरवरी, 2022 को, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है। आदेश पारित होने से कुछ घंटे पहले, पत्र प्रकाशित नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता अलग-अलग दृष्टिकोणों का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। एक जीवंत संवैधानिक लोकतंत्र में, यह रवैया अस्वीकार्य है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि कई राजनीतिक विश्लेषकों और टिप्पणीकारों ने कहा है कि भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण में लिप्त है। पत्र लिखने वाले ने भी यही बात कही है। भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यह शिकायत लोकसत्ता, मुंबई पर एक असंयमित, अन्यायपूर्ण और भीषण हमला है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने 03.11.2022 की अपनी प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि वह आरएसएस जैसे किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से नहीं जुड़े हैं और उनकी किसी भी व्यक्त समूह के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी

भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह संपादक को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि उन्होंने हाल के दिनों में अपने संपादकीय में एक राजनीतिक दल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वह पत्र के लेखक की सोच के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वह लोकसत्ता द्वारा प्रकाशित ऐसे पत्र के खिलाफ हैं, जो वास्तविक मुद्दे पर चर्चा न करते हुए निराधार आरोपों पर चर्चा करता है। "लव जिहाद" "चाय बिस्कुट पत्रकार" की तरह ही एक शब्द है और "लव जिहाद" के अर्थ को अदालतों द्वारा स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि 95% से अधिक पत्रों में मोदी सरकार पर उन विषयों पर हमला किया गया है, जहां वास्तव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, विषय विशेषज्ञों के अनुसार केवल 5% पत्र मोदी सरकार के बारे में अच्छा कहते हैं।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज जवाब याचिका

प्रतिवादी-संपादक, लोकसत्ता, मुंबई ने दिनांक 3.4.2023 के अपने उत्तर में कहा है कि उनके पास उन्हें नफरत भरे मेल और अपमानजनक पत्र भेजने का रिकॉर्ड है, लेकिन आज तक शिकायतकर्ता ने उनके और उनके अखबार के खिलाफ, इस्तेमाल की गई तुच्छ भाषा के लिए माफी नहीं मांगी है न ही उसे वापस लिया है। तदनुसार, हाल ही में शिकायतकर्ता के दुर्व्यवहार के इतिहास के बावजूद, उन्हें संपादकीय से संबंधित, (विषय वस्तु से असंबंधित) एक लंबा पत्र प्राप्त हुआ था, जो 28 मार्च, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें एक विविध दृष्टिकोण था, इसे 29 मार्च, 2023 को, समुचित कांट-छांट के बाद, उनके समाचार पत्र के अंक के पृष्ठ 6 पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। अपने पत्र के प्रकाशन की सराहना करने के स्थान पर, शिकायतकर्ता ने एक और लंबा पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि उनके पहले के पत्र को संपूर्ण लिया जाए। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता यह तय नहीं कर सकता है कि एक समाचार पत्र को क्या प्रकाशित करना चाहिए या क्या प्रकाशित नहीं करना चाहिए या संपादक को पत्र उसे कैसे संपादित करना चाहिए। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने उसे

ट्रोल करने और परेशान करने के लिए माननीय पीसीआई के शिकायत तंत्र का दुरुपयोग किया है। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता का आचरण और भाषा एकदम निंदनीय है, और माननीय भारतीय प्रेस परिषद से निंदा के योग्य है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता, श्री गौतम भागवत के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, प्रतिवादी समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता, श्री प्रणित कुलकर्णी, सुश्री पूर्वी कमानी, सुश्री तेजस्वी घाग और श्री शिवम सिंह द्वारा किया गया।

श्री सुनील जी. गोडबोले द्वारा दिनांक 14.02.2022 को लोकसत्ता के संपादक के खिलाफ श्री बालकृष्ण शिंदे के झूठे, भ्रामक और आधारहीन पत्र को कथित रूप से प्रकाशित करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है, जिसका शीर्षक है 'क्या यह एक संयोग है कि हिजाब चुनावी मौसम में एक मुद्दा बन रहा है'। यह लोकसत्ता के दिनांक 10.02.2022 के अंक में प्रकाशित हुआ है। इसमें क्वेश्चन "Hijab Row Escalates".के तहत प्रकाशित समाचार का संदर्भ दिया गया है।

जांच समिति ने श्री गोडबोले के पक्ष को सुना। उन्होंने कहा कि पत्र लिखने वाले ने गलत कहा है कि हिजाब मुद्दे में एक धार्मिक पहलू है और इसका इस्तेमाल सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक धुवीकरण के लिए किया गया है। जांच समिति की राय में प्रत्येक नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है और किसी व्यक्ति के अपनी राय व्यक्त करने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जांच समिति को व्यक्तिगत राय की ऐसी अभिव्यक्ति में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। प्रतिवादी को पत्र प्रकाशित करने के लिए फटकार नहीं लगाई जा सकती है। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद को शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं. 24-31

फ़ा.सं. 44, 182, 203, 417, 503-505,

1864/एसएम/2020-ए

बलात्कार और हत्या की शिकार नाबालिग लड़की की तस्वीर के प्रकाशन के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया गया।

प्रतिवादी

1. संपादक,
पुढारी,
कोल्हापुर, महाराष्ट्र।
2. संपादक,
पुण्य नगरी,
मुंबई, महाराष्ट्र।
3. संपादक,
प्रवासी संदेश,
मुंबई, महाराष्ट्र।
4. संपादक,
यशोभूमि,
मुंबई।
5. संपादक,
राजस्थान पत्रिका,
मुंबई।
6. संपादक,

नवभारत,
मुंबई।

7. संपादक,
दोपहर का सामना,
मुंबई।
8. संपादक,
हिंदी समाचार,
ठाणे, महाराष्ट्र।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

जब परिषद को जनसत्ता समाचारपत्र के दिनांक 9.1.2020 के अंक में “महाराष्ट्र में नाबालिग बलात्कार पीडिता की तस्वीर छापने का मामला - सात अखबारों के खिलाफ मामला दर्ज” शीर्षक के तहत समाचार प्रकाशित होने पर यह ज्ञात हुआ कि ठाणे पुलिस द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सात समाचारपत्रों (1) पुढारी (2) दोपहर का सामना (3) पुण्य नगरी (4) हिंदी समाचार (5) नवभारत (6) राजस्थान पत्रिका और (7) प्रवासी संदेश के एक नाबालिग लड़की, जिसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, की तस्वीरें प्रकाशित करने के लिए, उनके खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, तब परिषद ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया।

मामले पर संज्ञान लेते हुए, 6.2.2020 को महाराष्ट्र पुलिस से मामले के तथ्यों पर एक रिपोर्ट मांगी गई।

महाराष्ट्र पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट

श्री कल्याणराव कार्पे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन, भिवंडी, महाराष्ट्र ने दिनांक 18.3.2020 के अपने उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत

किया है कि भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन, भिवंडी ने POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 23 (2), 23 (4) और IPC की धारा 228 (ए) के तहत (1) पुढारी (2) दोपहर का सामना (3) पुण्य नगरी (4) हिंदी समाचार (5) नवभारत (6) राजस्थान पत्रिका, (7) प्रवासी संदेश और (8) यशोभूमि, जिन्होंने इन अखबारों में सात साल की मृत बच्ची का नाम और फोटो प्रकाशित किए थे, के खिलाफ आपराधिक मामला संख्या 02/2020 दर्ज किया है।

उनके अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि 22.12.2019 को सुभाष नगर करीवाली, भिवंडी, जो भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन, भिवंडी के अंतर्गत आता है में, एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सात वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रिकॉर्ड आपराधिक मामला संख्या 421/2020 बनाम ए.364, 376, 376 (एबी), 376 (डीबी) और POSCO अधिनियम, 2012 की धारा 4, 8, 9 (एच), 10, 12 के तहत दर्ज किए गए थे। भरत धनीराम कोरी नाम के आरोपी की तलाश की गई और 10 घंटे के भीतर सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों को एक प्रेस नोट दिया था और प्रेस नोट में किसी भी तरह से मृत बच्चे के नाम, पते और रिश्तेदारों का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन लड़की का नाम और फोटो नीचे उल्लिखित समाचारपत्रों द्वारा मुद्रित किए गए-

- (1) पुढारी 23.12.2019 को पृष्ठ संख्या 1 पर, लड़की का फोटो और नाम, पीड़िता के रूप में पाया गया।
- (2) दोपहर का सामना में दिनांक 23.12.2019 को पृष्ठ संख्या 7 पर उसी लड़की का नाम पीड़िता के रूप में पाया गया।
- (3) पुण्य नगरी में दिनांक 23.12.2019 को पृष्ठ क्रमांक 1 पर, मृत लड़की का नाम प्रेषित किया गया था।

- (4) दिनांक 22.12.2019 को हिंदी समाचार ई-पेपर में मृत बालिका की तस्वीर और नाम प्रेषित किया गया।
- (5) नवभारत में दिनांक 28.12.2019 को पीड़िता का नाम प्रेषित किया गया।
- (6) राजस्थान पत्रिका में दिनांक 23.12.2019 को पृष्ठ क्रमांक 3 पर पीड़ित का नाम प्रेषित किया गया था।
- (7) प्रवासी संदेश में दिनांक 23.12.2019 को पृष्ठ संख्या 2 पर, यह पाया गया कि पीड़िता की तस्वीर और नाम प्रेषित किया गया था।
- (8) यशोभूमि में दिनांक 23.12.2019 को अखबार ने पीड़िता का नाम और फोटो प्रकाशित किया।

आगे कहा गया है कि माननीय विशेष जिला और सत्र न्यायालय, ठाणे ने समाचारपत्रों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, संबंधित समाचारपत्र के संपादकों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की क्योंकि समाचारपत्रों में मृत लड़की का नाम और फोटो प्रकाशित किया गया था। उक्त समाचारपत्रों के संपादकों और संबद्ध कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इस अपराध को दर्ज करने के बाद, उपर्युक्त सभी समाचारपत्रों के संपादकों को सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत नोटिस सेवित किया गया और उन्हें भिवंडी के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के बारे में बताया गया और उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि वे अन्य समाचारपत्रों में भी मृतक पीड़िता के नाम की जांच कर रहे हैं।

उसके बाद प्रतिवादी समाचारपत्रों को दिनांक 6.1.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

पुण्य नगरी का लिखित वक्तव्य

संपादक, पुण्य नगरी ने दिनांक 27.1.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया कि पीड़िता के पिता ने, अभियुक्त को मौत की सजा दिलवाने

के इरादे से उनसे पीड़िता का नाम और तस्वीर प्रकाशित करने का अनुरोध किया। प्रतिवादी ने आगे कहा कि खबर प्रकाशित होने के बाद, उन्हें गलती का पता चला और उन्होंने तुरंत अपना पक्ष रखते हुए, माफीनामा प्रकाशित किया। प्रतिवादी के अनुसार, इस सब के बावजूद, भिवंडी के भोईवाड़ा में पुलिस द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। यह मामला ठाणे जिला और सत्र अदालत में विशेष मामला संख्या 345/2020 के साथ न्यायिक जांच के अधीन है। प्रतिवादी ने परिषद को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए, कानून के सख्त पालन का उचित ध्यान रखा जाएगा।

दैनिक यशोभूमि का लिखित वक्तव्य

संपादक, दैनिक यशोभूमि ने दिनांक 27.1.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से उपर्युक्त पुण्य नगरी के संपादक द्वारा दिए गए वक्तव्य को दोहराया है।

पुढारी का लिखित वक्तव्य

श्री सुरेश पवार, समूह कार्यकारी संपादक, पुढारी ने दिनांक 1.2.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से बताया कि मामले की कार्यवाही कानून की अदालत में लंबित है, इसलिए परिषद को इस मामले में जांच करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने परिषद से इस आधार पर मामला बंद करने का अनुरोध किया है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने तुरंत 9.1.2020 को अपने समाचारपत्र में एक माफी प्रकाशित की। इसके अलावा, उन्होंने संबंधित कार्यकारी संपादक, उप-संपादक और फ्रीलांस रिपोर्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की है और उन्हें 25.12.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि पीड़िता के माता-पिता द्वारा एक हलफनामा दिया गया है और उक्त हलफनामे से यह स्पष्ट है कि माता-पिता ने स्वयं रिपोर्टर से उक्त खबर प्रकाशित करने का अनुरोध किया और अपनी बेटी की तस्वीर दी, ताकि खबर का व्यापक प्रचार हो और जांच मशीनरी पर दबाव पड़े। माता-पिता

ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए खुद अपनी बेटी के बारे में सारी जानकारी और उसकी तस्वीर दी। माता-पिता चाहते थे कि समाचारपत्र उनकी बच्ची का नाम और तस्वीर प्रकाशित करें।

दोपहर का सामना का लिखित वक्तव्य

स्थानीय संपादक, दोपहर का सामना, मुंबई ने दिनांक 19.5.2021 के एक लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार जिसमें अनजाने में गलती हुई थी, पर बहुत ध्यान दिया गया है। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि जब उन्हें अनजाने में हुई गलती का पता चला, तो उन्होंने अपने अखबार के दिनांक 9.1.2020 के अंक में एक माफी नामा प्रकाशित किया। इसके बाद, स्थानीय रिपोर्टर को फटकार लगाई और उसे तीन महीने के लिए रिपोर्टिंग से निलंबित कर दिया गया। प्रतिवादी ने कहा है कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 (3) के अनुसार, परिषद को जांच शुरू करने के लिए मामले का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह मामला कार्रवाई के समान कारण पर न्यायाधीन है।

पुलिस द्वारा प्रस्तुत आगे की रिपोर्ट

श्री अंकुश बांगड़, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन, भिवंडी ने दिनांक 17.4.2023 के पत्र के माध्यम से अपनी पूर्व रिपोर्ट को दोहराते हुए उल्लेख किया है कि उक्त अपराध में कुल 16 व्यक्तियों को आरोपी दर्शाया गया था और सभी 16 आरोपियों के खिलाफ 23 जून, 2020 को विशेष (POCSO) सत्र अदालत, ठाणे के समक्ष चार्जशीट दर्ज की गई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि विशेष अदालत मामला संख्या 345/2020 है और ट्रायल की अगली तारीख 28.4.2023 है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। प्रवासी संदेश के संपादक, श्री अरुण एन उपाध्याय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। श्री कल्याणराव कार्पे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तीसरे पक्ष के रूप में उपस्थित थे।

भारतीय प्रेस परिषद ने बलात्कार और हत्या की शिकार, एक नाबालिग लड़की की तस्वीर प्रकाशित किए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया। प्रकाशन, आठ समाचारपत्रों के संपादकों अर्थात् 1. संपादक, पुढारी, कोल्हापुर, माह। 2. संपादक, पुण्य नगरी, मुंबई, माह, 3. संपादक, प्रवासी संदेश, मुंबई, माह, 4. संपादक, यशोभूमि, मुंबई, 5. संपादक, राजस्थान पत्रिका, मुंबई, 6. संपादक, नवभारत, मुंबई, 7. संपादक, दोपहर का सामना, मुंबई, 8. संपादक, हिंदी समाचार, ठाणे, महाराष्ट्र द्वारा किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया था कि महाराष्ट्र पुलिस से इस विषय पर रिपोर्ट मँगवाई जाए। श्री कल्याण राव कार्पे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, भोईवाड़ा, पुलिस स्टेशन, भिवंडी, ठाणे कमीशनरेट आज बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने निदेशानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट दिनांक 8.3.2020 की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 अखबारों के खिलाफ POCSO अधिनियम, 2020 की धारा 23 (2), 23 (4) और IPC की धारा 228 (ए) के तहत आपराधिक मामला संख्या 2/2020 दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने घटना के बारे में पत्रकारों को प्रेस नोट जारी किया था। लेकिन प्रेस नोट में मृतक के रिश्तेदारों के नाम, पते और विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि, समाचारपत्रों ने अपने आप ही पीड़ित का नाम और फोटो प्रकाशित किया। कुछ समाचारपत्रों द्वारा लिखित वक्तव्य दर्ज किए गए हैं। चूंकि यह मामला प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) के अनुसार न्यायाधीन है, इसलिए प्रेस परिषद ऐसे किसी मामले की जांच शुरू नहीं कर सकती, जिसके संबंध में कार्यवाही न्यायालय में लंबित है।

इसलिए मामले को बंद करना होगा। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से मामले को बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और मामले को, न्यायाधीन होने के कारण, बंद करने का निर्णय लेती है।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.32

मामला सं. 478/2022-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता

प्रतिवादी

श्री एच.आर. नाशीरकर,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मैसर्स जिजाऊ कमर्शियल को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
अमरावती, महाराष्ट्र।

संपादक,
दैनिक जन संचालन,
बुलढाणा - महाराष्ट्र।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

दिनांक 10.06.2022 की यह शिकायत श्री एच.आर. नाशीरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैसर्स जिजाऊ कमर्शियल को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र द्वारा जन संचालन, बुलढाणा, महाराष्ट्र के संपादक के खिलाफ कथित तौर पर गलत, झूठी और आधारहीन समाचार सामग्री प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। (शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया गया अंग्रेजी अनुवाद) संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शीर्षक और उप-शीर्षक	दिनांक
1.	Threat notice to Dainik Jansanchalan by illegally appointed CEO of Bank. Chairman also attached to post illegally	14.05.2022
2.	President Shri Kothale and all are functioning in bank illegally? Even after, completion of tenure kept possession on bank.	16.05.2022
3.	Action taken upon bank when against Kothale? Being Government Employee contesting election of Co-Operative Bank is illegal as per law	18.05.2022
4.	Even after end of tenure existing Directors are conducting management of Jajau Bank.	19.05.2022

	Demand is coming for immediate dismissal of Bank, yet cold response from administration	
5.	No black in pulse, entire pulse is black. So many from directors are Government Employees, yet contested election?	20.05.2022
6.	When action to be taken upon guilty Chairman-Directors of Jijau Bank. Detail enquiry is necessary of Bank's illegal transactions.	22.05.2022
7.	Jijau Bank's officers distributed loan in lacs without taking mortgage. Daubing with complaint under apprehension of getting the case disclosed.	23.05.2022
8.	Jijau Commercial Bank means scams after scams. Jan Sanchalan news gets confirmation	24.05.2022
9.	Appoint administrator on Jijau Commercial Bank immediately. Invocation of Digambar Puri to Co-operation Commissioner of State	26.05.2022
10.	Now the ball of inquiry upon Jijau Commercial Bank is in Court of administration. Whether administration will act upon complaint of Puri Now?	30.05.2023
11.	Any CEO not ticking due to scams in Bank. Five CEO changed in five years	01.06.2022
12.	Kothale's interference in personal life of employees. Given unnecessary psychological trouble to one employee to become house son-in-law	03.06.2022
13.	Maratha Seva Sangh placed stand against Jijau Bank administration. Will make attempt to remove corrupted Kothale and team from bank.	05.06.2022
14.	Kothale lost control upon coming corruption on front. False accusations are made upon Jan Sanchalan doing journalism honestly.	06.06.2022
15.	Now Kothale's accusations upon Maratha Seva Sangh for saving himself. Vomited venom against officers of Maratha Seva Sangh.	07.06.2022
16.	Kothale Saheb means "Chanting outside and scene inside". Bragging out and doing illegal transaction inside.	09.06.2022

यह आक्षेपित समाचारों में बताया गया था कि अमरावती के मैसर्स जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक ने अवैध तरीके से कई अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की है। दैनिक जन संचालन को कानूनी नोटिस भेजने वाले सीईओ पूर्ण रूप से अवैध तरीके से नियुक्त किए गए हैं। बैंक में सीईओ से लेकर विभिन्न पदों पर नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवैध रूप से नियुक्त किया गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशकों का कार्यकाल कुछ समय पहले समाप्त हो गया था, लेकिन वे अवैध रूप से अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। इन खबरों में वित्तीय अनियमितताओं और अवैध रूप से भारी लेन-देन के आरोप भी लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि श्री दिगंबर भीकाजी पुरी ने उधारकर्ता के रूप में, अपने पुत्र, योगेश दिगंबर पुरी, गारंटर के साथ वर्ष 2013 में उक्त बैंक की अकोला स्थित शाखा के माध्यम से 60 लाख रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की थी। इस ऋण लेनदेन में उक्त उधारकर्ता और गारंटर ने अपनी अचल संपत्तियों, जिसमें शेगांव, टी क्यू शेगांव, जिला बुलढाणा के कुल 11 खुले लेआउट और परिवर्तित भूखंड और मकान शामिल थे, बंधक द्वारा प्रतिभूति के रूप में बैंक को दे दिया गया था। तदनुसार, वर्ष 2013 में राजस्व प्राधिकरण के पास उपलब्ध उक्त अचल संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में 60 लाख रुपये का चार्ज/बोजा दर्ज किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उक्त उधारकर्ता ने न तो अपने ऋण खाते को उचित तरीके से बनाए रखा और न ही बकाया ऋण राशि का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद बैंक ने उक्त उधारकर्ता को प्रारंभिक मांग नोटिस जारी करते हुए उसे बकाया ऋण देयता चुकाने के लिए मौखिक अनुरोध किया, लेकिन काफी समय दिये जाने और विचार-विमर्श के बाद भी उक्त उधारकर्ता ने न तो बैंक के अनुरोध पर विचार किया और न ही ऋण राशि का भुगतान किया। नतीजतन, बैंक को वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI ACT, 2002) और नियम 2002 (अब 'प्रतिभूतिकरण अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार, बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। हालांकि, उक्त उधारकर्ता और गारंटर ने बकाया ऋण देयता का पुनर्भुगतान करने के बजाय विभिन्न प्राधिकरणों और अदालतों के समक्ष कई मुकदमों को दर्ज करके, लंबी और व्यस्त प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिससे वसूली प्रक्रिया के बारे में शिकायतें मिलीं। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि वसूली प्रक्रिया का विवरण प्राधिकारियों, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का रिकॉर्ड शामिल है, सहित बैंक और संबंधित अदालतों में रिकॉर्ड का विषय होने के कारण इसे, इस कार्यवाही में आवश्यकता पड़ने पर पेश किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वसूली प्रक्रिया पूरी होने के बाद उधारकर्ता को एहसास हुआ कि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा की गई वसूली प्रक्रिया के संबंध में अदालतों और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तब, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त उधारकर्ता प्रिंट और प्रसारण चैनलों सहित मीडिया को गलत और झूठी जानकारी प्रदान करके हाय-तौबा मचा रहा है।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी समाचारपत्र दैनिक जन संचालन ने उधारकर्ता और गारंटर के खिलाफ बैंक द्वारा की गई वसूली प्रक्रिया के बारे में समाचार प्रकाशित करना शुरू कर दिया। इस संबंध में बैंक ने उक्त समाचारपत्र और उसके संपादक से उचित जानकारी लेने और बैंक के खिलाफ इस तरह की झूठी और बुरी खबर प्रकाशित करने से बचने का अनुरोध किया, लेकिन प्रतिवादी समाचारपत्र ने न तो बैंक के मौखिक/ टेलीफोनिक कि अनुरोध पर कोई ध्यान दिया और न ही समाचार को प्रकाशित करना बंद किया। दूसरी ओर, समाचारपत्र के संपादक ने सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित कर बैंक की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि 27.04.2022 को उन्होंने एक कानूनी नोटिस जारी किया और प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित की जा रही अनावश्यक खबरों की ओर ध्यान आकर्षित किया,

लेकिन उन्हें प्रतिवादी समाचारपत्र से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी समाचारपत्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी संपादक, दैनिक जन संचालन, बुलढाणा को 20.12.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

प्रतिवादी संपादक, दैनिक जन संचालन द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि यह विवादित नहीं है कि श्री दिगंबर भीकाजी पुरी ने उधारकर्ता के रूप में, अपने बेटे योगेश दिगंबर पुरी, गारंटर के साथ वर्ष 2013 में अकोला शाखा के माध्यम से शिकायतकर्ता बैंक से 60 लाख रुपये की ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। प्रतिवादी ने जानकारी न होने से इनकार किया कि 11 खुले लेआउट और परिवर्तित भूखंड और शेगांव स्थित घर को पंजीकृत बंधक द्वारा प्रतिभूति के रूप में दिया गया था। प्रतिवादी ने जानकारी न होने से इनकार किया है कि परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता बैंक, वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI ACT, 2002) और नियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार, बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए बाध्य है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उधारकर्ता और गारंटर को को-ऑपरेटिव विभाग, राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार सहित विभिन्न विभागों को शिकायत करने का अधिकार है और शिकायतकर्ता बैंक के अवैध कार्य के खिलाफ शिकायत करने में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा है कि को-ऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय सहित अन्य अदालतों द्वारा जो भी आदेश पारित किए जाते हैं, वे रिकॉर्ड का विषय हैं। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि शिकायतकर्ता बैंक के इन आदेशों का पालन करके प्रतिभूतिकरण अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अनुसार वसूली प्रक्रिया में आगे होने के परिणामस्वरूप सरस्वती नगर शेगांव में स्थित गारंटर की घर की संपत्ति को नीलामी बिक्री द्वारा बेचा गया।

उन्होंने प्रस्तुत किया है कि नीलामी खरीदार के नाम पर बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से बचने के लिए उप-रजिस्ट्रार शेगांव के समक्ष शिकायत और आवश्यक कार्यवाही करके उधारकर्ता और गारंटर द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रिकॉर्ड का विषय है। बैंक द्वारा कुछ परिसंपत्तियों की बिक्री हानिकारक है और नीलामी बिक्री भी प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा है कि उक्त उधारकर्ता और उसके ऋण खाते के खिलाफ बैंक द्वारा की गई वसूली प्रक्रिया विधिनुसार नहीं है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा विशेष रूप से प्रारंभिक चरण में कोई अनुरोध किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य को विशेष रूप से नकारा जाना चाहिए कि प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित समाचार झूठे और हानिकारक जानकारी पर आधारित थे और इसमें वसूली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए के निदेशकों, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, बैंक प्रबंधन सहित के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों और पुलिस तंत्र के खिलाफ भी विभिन्न आश्चर्यजनक अवैध और आधारहीन आरोप लगाए गए। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 27.4.2022 का कानूनी नोटिस विवादित नहीं है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि यह विवादित नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार, शिकायतकर्ता बैंक अपने एनपीए को कम करने और सार्वजनिक निधि की रक्षा करने के लिए बाध्य है। बैंक का यह भी कर्तव्य है कि वह ऋण करार करते समय सहमत राशि से अधिक राशि की वसूली न करे और देय ऋण की वसूली के विभिन्न तरीकों को अपनाकर अपने उधारकर्ता सदस्यों को धमकी न दे। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके समाचारपत्र द्वारा कोई गलत, फर्जी, अवैध और आधारहीन समाचार प्रकाशित नहीं किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती ने दिनांक 25.01.2023 की अपनी प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि जहां तक शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दर्ज शिकायत की विषय-वस्तु का प्रश्न है, प्रतिवादी द्वारा दर्ज उत्तर काफी अप्रासंगिक और भ्रामक है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता अपने अधिवक्ता, श्री गर्जेंद्र रामदास सदर के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, श्री जितेंद्र कायस्थ, मुख्य संपादक और श्री सुधीर देशमुख, उप-संपादक, प्रतिवादी समाचारपत्र की ओर से पेश हुए।

दिनांक 10.06.2022 की शिकायत श्री एच.आर. नाशीरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेसर्स जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र द्वारा जन संचालन, बुलढाणा, महाराष्ट्र के संपादक के खिलाफ कथित तौर पर झूठी और आधारहीन समाचार सामग्री प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शीर्षक और उप-शीर्षक	दिनांक
1.	Threat notice to Dainik Jansanchalan by illegally appointed CEO of Bank. Chairman also attached to post illegally	14.5.2022
2.	President Shri Kothale and all are functioning in bank illegally? Even after, completion of tenure kept possession on bank.	16.05.2022
3.	Action taken upon bank when against Kothale? Being Government Employee contesting election of Co-Operative Bank is illegal as per law	18.052022
4.	Even after end of tenure existing Directors are conducting management of Jajau Bank. Demand is coming for immediate dismissal of Bank, yet cold response from administration	19.052022
5.	No black in pulse, entire pulse is black.	20.05.2022

	So many from directors are Government Employees, yet contested election?	
6.	When action to be taken upon guilty Chairman-Directors of Jijau Bank. Detail enquiry is necessary of Bank's illegal transactions.	22.06.2022
7.	Jijau Bank's officers distributed loan in lacs without taking mortgage. Daubing with complaint under apprehension of getting the case disclosed.	23.05.2022
8.	Jijau Commercial Bank means scams after scams. Jan Sanchalan news gets confirmation	24.05.2022
9.	Appoint administrator on Jijau Commercial Bank immediately. Invocation of Digambar Puri to Co-operation Commissioner of State	26.05.2022
10.	Now the ball of inquiry upon Jijau Commercial Bank is in Court of administration. Whether administration will act upon complaint of Puri Now?	30.05.2022
11.	Any CEO not ticking due to scams in Bank. Five CEO changed in five years	01.06.2022
12.	Kothale's interference in personal life of employees. Given unnecessary psychological trouble to one employee to become house son-in-law	03.06.2022
13.	Maratha Seva Sangh placed stand against Jijau Bank administration. Will make attempt to remove corrupted Kothale and team from bank.	05.06.2022
14.	Kothale lost control upon coming corruption on front. False accusations are made upon Jan Sanchalan doing journalism honestly.	06.06.2022
15.	Now Kothale's accusations upon Maratha Seva Sangh for saving himself. Vomited venom against officers of Maratha Seva Sangh.	07.06.2022
16.	Kothale Saheb means "Chanting outside and scene inside". Bragging out and doing illegal transaction inside.	09.06.2022

शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री गजेंद्र रामदास सदर द्वारा किया जा रहा है। श्री जितेंद्र कायस्थ, मुख्य संपादक और श्री सुधीर देशमुख, उप संपादक प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री दिगंबर पुरी शिकायत में पक्षकार नहीं हैं। वह बैंक के उधारकर्ता हैं। वह बैठक में उपस्थित हैं।

प्रतिवादी संपादक ने लिखित वक्तव्य दर्ज किया है। लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी संपादक ने कहा है अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि उधारकर्ता और गारंटर को सहकारिता विभाग, राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार सहित विभिन्न विभागों को शिकायत करने का अधिकार है और शिकायतकर्ता बैंक के अवैध कार्यों के खिलाफ शिकायत करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सहकारी विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों द्वारा पारित आदेश रिकॉर्ड का विषय हैं। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि शिकायतकर्ता बैंक ने इन आदेशों का पालन करके प्रतिभूतिकरण अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अनुसार वसूली प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप सरस्वती नगर शेगांव में स्थित गारंटर की घर की संपत्ति को नीलामी बिक्री द्वारा बेचा गया। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि नीलामी खरीदार के नाम पर बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से बचने के लिए उप-रजिस्ट्रार शेगांव के समक्ष शिकायत और आवश्यक कार्यवाही दर्ज करके उधारकर्ता और गारंटर द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया गया है। बैंक द्वारा कुछ परिसंपत्तियों की बिक्री हानिकारक है और नीलामी बिक्री भी प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अनुसार नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उक्त उधारकर्ता के खिलाफ बैंक द्वारा की गई वसूली की प्रक्रिया विधिनुसार नहीं है। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि यह विवादित नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतकर्ता बैंक अपने एनपीए को कम करने और सार्वजनिक निधि की रक्षा करने के लिए बाध्य है। बैंक का यह भी कर्तव्य है कि वह ऋण करार करते समय सहमत राशि से अधिक राशि की वसूली न करे और

ऋण राशि की वसूली के विभिन्न तरीकों को अपनाकर अपने उधारकर्ता को न धमकाए। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके समाचारपत्र द्वारा कोई गलत, फर्जी, अवैध और आधारहीन समाचार प्रकाशित नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है।

जांच समिति ने अपीलकर्ता के परामर्शदाता, श्री गजेंद्र रामदास सदर और उप-संपादक, श्री सुधीर देशमुख को सुना और प्रतिवादी की शिकायत और प्रतिक्रिया का अवलोकन करने के बाद जांच समिति ने पाया कि इस मामले में तथ्यों के कई विवादित प्रश्न शामिल हैं, जिन पर उसके द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ कार्यवाही डीआरटी और को-ऑपरेटिव न्यायालय के समक्ष लंबित बताई गई हैं। जांच समिति ने प्रतिवादी संपादक से पूछा कि क्या वह शिकायतकर्ता का पक्ष प्रकाशित करेंगे। इस पर प्रतिवादी ने कहा कि उसने उचित सत्यापन के बाद खबर प्रकाशित की है और खबर सही है। वह शिकायतकर्ता का वर्तन प्रकाशित नहीं करना चाहेंगे। यह दृष्टिकोण पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के मानक 41 के विपरीत है, जो 'उत्तर का अधिकार' से संबंधित है। यह उच्च पत्रकारिता के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। आदर्श स्थिति यह है कि प्रतिवादी को शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रकाशित करने के लिए सहमत होना चाहिए था।

चूंकि इस शिकायत की विषय वस्तु के संबंध में कार्यवाही डीआरटी और सहकारी न्यायालय में लंबित बताई गई है, इसलिए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा, निस्संदेह वहां तय किया जाएगा। शिकायतकर्ता ऐसे अन्य कानूनी उपाय भी कर सकता है, जो उसे अपनी शिकायत का निवारण करने की सलाह दी जाए। इसके अतिरिक्त, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) को ध्यान में रखते हुए न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने के मद्देनजर, प्रेस परिषद के लिए इस मामले की जांच करना संभव नहीं है।

इन परिस्थितियों में, जांच समिति उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है। इस निदेश के साथ कि प्रतिवादी समाचारपत्र, पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के मानक 41, अर्थात्, "उत्तर का अधिकार" के अनुसरण में शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रकाशित करेंगे। तदनुसार, जांच समिति प्रतिवादी समाचारपत्र "दैनिक जन संचालन" को शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करने और परिषद में इसकी एक प्रति प्रस्तुत करने का निदेश देती है। उक्त निदेश के साथ, परिषद ने मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया।

भारतीय प्रेस परिषद

क्र.सं.33

मामला सं. 14/437/2019-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री भाग्य एम.जी.,
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,
मैसूर, कर्नाटक।

प्रतिवादी

1. संपादक,
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस,
चेन्नई, तमिलनाडु।
2. सुश्री बाला चौहान,
वरिष्ठ विशेष संवाददाता,
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस,
चेन्नई, तमिलनाडु।

न्यायनिर्णय दिनांकित 29.05.2023

यह शिकायत 28.11.2019 को स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री भाग्य एम.जी. द्वारा द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के संपादक और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ विशेष संवाददाता, सुश्री बाला चौहान के खिलाफ उनके अंक दिनांकित 10.11.2019 में शीर्षक "*I-T Department Raids 3 Medical Equipment Firms*" के तहत कथित तौर पर झूठी और अपमानजनक खबर प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि आयकर महानिदेशालय (जांच), कर्नाटक और गोवा ने 6 नवंबर को तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण निर्माण में बड़े पैमाने पर आईटी धोखाधड़ी का खुलासा किया है। इसके अलावा यह बताया गया है कि (समाचार कतरन का

प्रासंगिक उद्धरण पुनः प्रस्तुत किया गया है) “A searched group – Skanray Technologies-have also allegedly admitted unaccounted income of Rs.71.39 crore consequent to transfer of shares held in foreign and domestic companies,” अधिकारी ने कहा। उन्होंने आगे बताया, “On examination of their books, the tax officials have reportedly unearthed discrepancies of Rs.174.70 crore. The tax officials have seized Rs.1.77 crore cash and 2 kg jewellery worth Rs.70.00 lakh from the residence of one of their employees,” आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कर अधिकारियों ने 'उनके बही-खातों की जांच में कथित तौर पर 174.70 करोड़ रुपये की विसंगतियों का पता लगाया है। कर अधिकारियों ने उनके एक कर्मचारी के आवास से 1.77 करोड़ रुपये नकद और 70.00 लाख रुपये मूल्य के दो किलोग्राम आभूषण जब्त किए हैं।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि उक्त समाचारपत्रों में उपर्युक्त वक्तव्य सच्चाई से परे है और ऐसा प्रतीत होता है कि तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही उक्त समाचारपत्र के संपादकों/पत्रकारों ने इसे गलत इरादे से प्रकाशित किया है, जिसका कारण उन्हें ही पता है। उन्होंने कहा है कि आयकर अधिकारी को कभी भी कोई नकद लेनदेन, सोना या अवैध लेनदेन नहीं मिला, जैसा कि समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसे संबंधित आईटी अधिकारियों द्वारा जारी स्पॉट पंचनामा के माध्यम से ही प्रमाणित किया जाता है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस तरह की अपमानजनक खबर के प्रकाशन से कंपनी की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा संपर्क किए जाने के बाद, सुश्री बाला चौहान के न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दिनांक 09.11.2019 को प्रकाशित किए गए समाचार के ऑनलाइन संस्करण को तुरंत 10.11.2019 को वापस ले लिया गया और एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया, लेकिन समाचारपत्र द्वारा न्यू इंडियन एक्सप्रेस के प्रिंट संस्करण में न तो इसे वापस लिया गया और न ही इस विषय में कोई स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया। 12.11.2019 को, शिकायतकर्ता ने फिर से न्यू इंडियन एक्सप्रेस को एक पत्र जारी किया, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण प्रकाशित

करने का अनुरोध किया गया, लेकिन प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि वह प्रतिवादियों को माफी नामा जारी करने/प्रकाशित करने का निदेश दे।

20.03.2020 को प्रतिवादी संपादक न्यू इंडियन एक्सप्रेस, सुश्री बाला चौहान, वरिष्ठ विशेष संवाददाता न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ विशेष संवाददाता, सुश्री बाला चौहान द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

सुश्री बाला चौहान, रिपोर्टर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने दिनांक 05.02.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया है कि सम्पूर्ण समाचार रिपोर्ट आईटी कर्मियों द्वारा स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सहित तीन मेडिकल उपकरण फर्मों पर की गई छापेमारी पर दी गई जानकारी के आधार पर प्रकाशित की गई थी और यह खबर सद्भावना में और शिकायतकर्ता को बदनाम करने के किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना प्रकाशित की गई थी। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, श्री विश्वप्रसाद अल्वा ने प्रतिवादी से संपर्क किया और तथ्यों पर अपना पक्ष दिया और उसे तुरंत ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित किया गया, जैसा कि शिकायतकर्ता ने भी अपनी शिकायत में स्वीकार किया था। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि उन्होंने दिनांक 07.12.2019 के अपने अंक में शीर्षक "*we are tax compliant: Skanray Technologies*" के तहत शिकायतकर्ता का वक्तव्य प्रकाशित किया है और 27.12.2019 को शिकायतकर्ता को भी इसके बारे में सूचित किया गया है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के संपादक द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक; द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने दिनांक 08.02.2021 के जवाब के माध्यम से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ विशेष संवाददाता अर्थात्, सुश्री बाला चौहान द्वारा दर्ज किये गये जवाब को दोहराया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 09.02.2021 की प्रति टिप्पणी

शिकायतकर्ता ने 09.02.2021 की अपनी प्रति टिप्पणियों में कहा है कि वरिष्ठ आईटी अधिकारियों ने मीडिया को कोई वक्तव्य देने से इनकार कर दिया। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि वह सुश्री बाला चौहान को आईटी की आधिकारिक विज्ञप्ति पेश करने का निदेश दें, जिसे अपने पास होने का उन्होंने दावा किया है और यदि उनका वक्तव्य सही पाया जाता है, तो वे मामले में आवश्यक कानूनी सहायता लेंगे। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली झूठी खबरों के लिए व्यापक कवरेज के विपरीत, छोटे प्रिंट में माफी के बिना छोटे फॉन्ट में स्पष्टीकरण प्रकाशित करना जोकि दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक नहीं है। इसके अलावा, सुश्री बाला चौहान और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने स्पष्टीकरण के प्रकाशन द्वारा स्वीकार किया है कि प्रकाशित मूल समाचार गलत था और उन्हें अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से, श्री भाग्य एम.जी., कंपनी सचिव, विक्रान्त सिंह और अधिवक्ता प्रिया सिंह पेश हुए, प्रतिवादी अखबार का प्रतिनिधित्व श्री दीपक वाई चिटनिस, अधिवक्ता ने किया।

स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री भाग्य एम.जी. ने 1. संपादक, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई, तमिलनाडु 2. सुश्री बाला चौहान, वरिष्ठ विशेष संवाददाता, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस,

चेन्नई, तमिलनाडु के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का पक्ष यह है कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने 10 नवंबर, 2019 के अपने अंक में प्रकाशित किया कि स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के व्यावसायिक परिसर पर छापा मारा गया था। समाचार का शीर्षक निम्नानुसार है:

“I-T Department Raids 3 Medical Equipment Firms,”

शिकायतकर्ता से संबंधित प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-

तलाशी लिए गए अन्य समूह - स्केनरे टेक्नोलॉजीज - ने भी विदेशी और घरेलू कंपनियों में रखे शेरों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप कथित 71.39 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय की बात स्वीकार की है, "अधिकारी ने कहा, "उनके बही-खातों की जांच में, कर अधिकारियों ने कथित तौर पर 174.70 करोड़ रुपये की विसंगतियों का पता लगाया है। आयकर अधिकारियों ने उनके एक कर्मचारी के आवास से 1.77 करोड़ रुपये नकद और 70 लाख रुपये मूल्य के दो किलोग्राम आभूषण जब्त किए हैं।

स्वीकार किया गया है कि छापा मारा गया था, लेकिन स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के व्यावसायिक परिसर से या इसके किसी भी कर्मचारी के निवास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था।

इसलिए, यह खबर झूठी है। प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि समाचार प्रकाशित होने के बाद और प्रतिवादी को इस तथ्य का पता चलने पर कि हालांकि, छापा मारा गया था, शिकायतकर्ताओं के पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था, उन्होंने 10 नवंबर, 2019 को एक ई-स्पष्टीकरण प्रकाशित किया था जब लेख प्रकाशित हुआ था। प्रतिवादियों द्वारा 7 दिसंबर, 2019 को अपने समाचारपत्र के मुद्रित संस्करण में फिर से स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया था।

जांच समिति की राय है कि यदि प्रतिवादी शिकायतकर्ता के बारे में इस तरह की हानिकारक खबर प्रकाशित करना चाहता था, तो उन्हें शिकायतकर्ता को फोन करना चाहिए था, उचित सत्यापन करना चाहिए था और फिर समाचार प्रकाशित करना चाहिए था। दूसरे, उन्हें एक उचित माफी प्रकाशित करनी चाहिए थी, न कि केवल एक स्पष्टीकरण। जांच समिति ने दिनांक 7 दिसंबर, 2019 का स्पष्टीकरण पढ़ा है। इसमें कोई माफी नहीं मांगी गई है और कहा गया है कि नकदी और आभूषणों की जब्ती और कथित कर उल्लंघन के बारे में खबर अनजाने में प्रकाशित की गई थी। इसे किसी भी तरह माफी नहीं कहा जा सकता। माफी स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। जांच समिति ने प्रतिवादी के वकील से पूछा कि क्या प्रतिवादी अपने अखबार में एक प्रमुख स्थान पर माफी नामा प्रकाशित करेगा। प्रतिवादी के विधि अधिकारी, श्री गोपालन से बात करने के बाद विद्वान वकील ने कहा कि प्रतिवादी इस गलत रिपोर्टिंग के लिए बिना शर्त माफी प्रकाशित करेगा। जांच समिति प्रतिवादी के वकील द्वारा दिए गए वक्तव्य को स्वीकार करती है। वकील द्वारा लिखित माफीनामे का एक मसौदा जांच समिति को सौंप दिया गया है। दोनों ने मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उक्त मसौदे को 'ए' चिह्नित किया गया है। प्रतिवादी के वकील का कहना है कि उक्त माफी दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित की जाएगी।

जांच समिति इस वक्तव्य को स्वीकार करती है। जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह प्रतिवादी के वकील के वक्तव्य को स्वीकार करे और उपर्युक्त शर्तों के साथ शिकायत को समाप्त करे।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त निदेश के साथ शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।